वर्ष -8, अंक -3, जुलाई-सितंबर, 2022 मुंबई

यूनियन सृजन

राजभाषा विशेषांक

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 15.11.2022

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिन्दी पत्रिका

वर्ष - 8 अंक - 3 जुलाई-सितंबर, 2022

संरक्षक

ए. मणिमेखलै
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रधान संपादक

लाल सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

संपादक

डॉ. सुलभा कोरे
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

अशोक चंद्र
मुख्य महाप्रबंधक

अरूण कुमार
महाप्रबंधक

अम्बरीष कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित

ई-मेल: sulabhakore@unionbankofindia.bank
union.srijan@unionbankofindia.bank
9820468919, 022-22896517

Printed and Published by Dr. Sulabha Shrikant Kore on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Editor : Dr. Sulabha Shrikant Kore

इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं. प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

अनुक्रमणिका

- माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश 3-4
- परिदृश्य 5
- संपादकीय 6
- हिन्दी की विकास यात्रा 7-9
- साहित्य सृजन : विश्वनाथ सत्यनारायण 10-11
- हमारी हिंदी / राजभाषा: संविधान से समाज की ओर... 12-14
- देश के सांस्कृतिक विस्तार में राजभाषा हिन्दी की भूमिका 15-16
- राजभाषा संबंधी प्रावधान 17-18
- देश को एक सूत्र में बांधती हिन्दी / भाषा में अनुवाद का महत्व 19-21
- काव्य सृजन 22-23
- बैंकिंग उद्योग में हिन्दी के प्रयोग की व्यापकता 24-25
- विशेष साक्षात्कार : डॉ सुनील केशव देवधर 26-28
- वैश्विक स्तर पर हिन्दी की लोकप्रियता 29
- सेटेलाइट चैनलों में हिंदी 30-31
- हिंदी और सहयोगी अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ 32-34
- सोशल साइट्स में बढ़ती हिन्दी की लोकप्रियता 35
- विज्ञापन में हिंदी 36-37
- सेंटर स्प्रेड : खिलौनों की दुनिया-एटिकोप्पका 38-39
- उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भारत में हिंदी की स्थिति 40
- विभिन्न हिन्दी शिक्षण योजनाएँ 41
- नई शिक्षा नीति 2020 और हिन्दी 42-44
- हिंगलिश बिगड़ैल रूप या स्वीकृति / बैंकिंग सफर-हिंदी से हिंदी में बैंकिंग तक... 45-47
- राजभाषा के प्रचार प्रसार में हिन्दी सिनेमा का योगदान 48
- के वाई सी अनुपालन का महत्व 49
- हिंदी दिवस समारोह 50-56
- कहानी : निर्णय 57-58
- हिन्दी की लोकप्रियता में बाधाएँ 59-60
- विश्व हिंदी सम्मेलन-हिंदी के प्रचार-प्रसार में इसकी भूमिका 61-62
- पुस्तक समीक्षा: आषाढ़ का एक दिन / क्या आपका बच्चा हिंदी पढ़ सकता है?.. 63-65
- जंगल सफारी-रणथंबोर नेशनल पार्क 66-67
- राजभाषा पुरस्कार 68-69
- राजभाषा समाचार 70-73
- आयुष्मान भव: 74
- आपकी नज़र में 75
- बैक कवर 76

सत्यमेव जयते

अमित शाह
गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हिन्दी दिवस संदेश 2022

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है. देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं. भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं. विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है. यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की. 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया. संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए.

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो. हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया. इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई. राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है. विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं.

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं. देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है. विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है. राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11 वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है.

राजभाषा विभाग द्वारा 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया. इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है. यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस-2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है.

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है. राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं. इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है. राजभाषा विभाग द्वारा जन साधारण के लिए 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषाओं से नि:शुल्क हिंदी सीख सकते हैं. राजभाषा विभाग के 'ई-महाशब्दकोश' में 90 हज़ार शब्द सम्मिलित किए गए हैं और 'ई-सरल हिंदी वाक्यकोश में 9 हज़ार वाक्य शामिल हैं.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है. राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि तकनीकी, स्वास्थ्य पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी 'बृहत शब्दकोश' के निर्माण पर भी काम शुरू किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है. इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी.

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है. भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है. इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द-संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है. राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है.

प्रिय देशवासियो! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश-विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है. आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है. ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है.

आइये, आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे.

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुन: मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद !

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022

(अमित शाह)

परिदृश्य

प्रिय साथियो,

किसी भी संस्था में गृहपत्रिका संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम होती है. यह सभी स्टाफ सदस्यों को अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करती है. बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात रखने में मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है.

यूनियन सृजन का यह अंक 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी देश के समस्त भू-भाग में बोली जाने वाली एक प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है. भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं वाले देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. इसके माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के लोग आपस में सुचारु रूप से संवाद कर सकते हैं.

हिंदी ने बहुत लंबा सफर तय किया है. पहले राजभाषा के विषय में जब बात की जाती थी तो राजभाषा नियम, अधिनियम पर ही अधिक जोर दिया जाता था. परंतु आज वस्तुस्थिति बदल चुकी है और आधुनिक तकनीक के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वियन की गति बहुत तीव्र हुई है. आज वॉइस टाइपिंग, यूनिकोड, अनुवाद टूल्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति हिंदी में कार्य कर सकता है.

हिंदी के साथ-साथ देश की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी बहुत ज़रूरी है. हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं आज देश में एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रही हैं. हमारे बैंक में स्टाफ सदस्यों को क्षेत्रीय भाषा के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है जिससे वे अपनी पदस्थी के स्थान पर ग्राहकों को उनकी भाषा में सेवा प्रदान कर सकें.

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में यूनियन बैंक का स्थान सदैव अग्रणी रहा है. बैंक में राजभाषा के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ एक ऐसा वातावरण सृजित किया गया है जिसमें स्टाफ सहज रूप से अपना समस्त कार्य हिंदी में कर सकता है. हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के लिए बैंक में अनेक प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं.

ग्राहक सुविधाओं को भारतीय भाषाओं में प्रदान कर बैंक बैंकिंग कारोबार को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर रहा है. हमारे बैंक ने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का समावेश किया है. निजी बैंक और निजी संस्थाएं भी अपना प्रचार-प्रसार हिंदी में कर रही हैं. यह इस बात को ठोस रूप से साबित करती है कि हिंदी आज व्यापार की भाषा भी बन गई है.

बैंक में हिंदी पखवाड़ा/ माह के साथ-साथ हिंदी उत्सव को विभिन्न स्तरों अर्थात् अंचल कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जोश और उल्लास के साथ मनाया गया. स्टाफ सदस्यों ने इनमें बहुत उत्साह के साथ सहभागिता दी तथा राजभाषा के प्रति अधिक सकारात्मक वातावरण तैयार किया. यह माहौल सिर्फ पखवाड़ा, माह तथा हिंदी दिवस तक ही सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि इसे हमारे दैनंदिन जीवन में शामिल करना होगा.

राजभाषा के हर पहलू को इस अंक में कवर करने का प्रयास किया गया है. मुझे आशा है यह अंक आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा.

शुभकामनाओं सहित,

आपकी

(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संपादकीय

राजभाषा हिन्दी-भारत की आन, बान और शान तो है ही, साथ में वह भारत जैसे विविधता से भरपूर देश की एकता का अनूठा रंग है. इस अनूठे रंग को अपने अनूठे अंदाज में पेश करने हेतु 'यूनियन सृजन' का 'राजभाषा विशेषांक' आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है.

आज विश्व में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है. देश की प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी अपना स्थान बना चुकी है. देश के किसी भी कोने में जाइए, हिंदी जानने-समझने वाले हर जगह मिल जाएंगे. हिन्दी के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के लोग आपस में संवाद कर सकते हैं और विविध संस्कृतियों के बीच इस तरह से बातचीत और आपसी जुड़ाव पैदा होकर राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को भी बल मिलता है.

हमारा बैंक राजभाषा कार्यान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है, जिसमें डिजिटल क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ावा दिया जाना भी शामिल है. बैंक द्वारा विभिन्न बैंकिंग विषयों पर पत्रिकाओं तथा कार्टून बुक का प्रकाशन एक अभिनव पहल है. बहुत से नराकास में बैंक संयोजक की भूमिका भी निभा रहा है. समय-समय पर इन संयोजक कार्यालयों को भारत सरकार से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है.

ग्राहक सुविधाओं को ग्राहक की भाषाओं में प्रदान किया जाना, बैंकिंग कारोबार को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है. हमारे बैंक ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का समावेश किया है. सरकारी बैंकों के साथ-साथ निजी बैंक और निजी संस्थाएं भी अपनी प्रचार-प्रसार सामग्री हिंदी में उपलब्ध करवा रही हैं. यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिंदी आज न केवल राजभाषा के रूप में स्थापित हुई है, बल्कि यह कारोबार की भाषा भी बन गई है.

मुझे विश्वास है कि 'यूनियन सृजन' का यह राजभाषा विशेषांक निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और आप उससे लाभान्वित होंगे.

आपकी,

(डॉ. सुलभा कोरे)
संपादक

हिन्दी की विकास यात्रा

भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी अपने विचारों को प्रस्तुत करता है. यह ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गयी ऐसी शक्ति है, जो मनुष्य को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के साथ-साथ उसका सम्मान तथा यश बढ़ाती है. जिसे वाणीरूपी ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है, वह बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है और उच्च सम्मान का अधिकारी भी बन सकता है.

राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं. इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं. यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार 'उस भाषा को राजभाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो' जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई है, तभी से राजभाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है. राजपूत काल में तत्कालीन भाषा हिन्दी का प्रयोग राजकाज में किया जाता था. किंतु भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद धीरे-धीरे हिन्दी का स्थान फ़ारसी और अरबी भाषाओं ने ले लिया.

अंग्रेज शासक यह महसूस करते रहे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, अत: उन्होंने हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को और अन्य प्रदेशों में, वहां की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया. इस श्रीगणेश का शुभ परिणाम यह हुआ कि हिन्दी और भारतीय भाषाएं विकसित होने लगीं और वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनीं. इतना ही नहीं स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास आरंभ किया व देश के कोने-कोने से अनेक अहिन्दी भाषी राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये.

महात्मा गांधी ने एक बार यह विचार व्यक्त किया था कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भाषा में नीचे दिए गए पांच गुण होने आवश्यक होने चाहिए-

1. उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें
2. वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो,
3. वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो,
4. सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो,
5. ऐसी भाषा को चुनते समय क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए.

महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया तो काफी विचार मंथन के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी विधिवत भारत संघ की राजभाषा है.

राजभाषा देश के भिन्न-भिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है. इसके माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भलीभांति समझ सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है. प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है. विश्व के सभी स्वतंत्र देश और नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका उत्थान, उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव है. रूस, जापान, जर्मनी, आदि सभी राष्ट्र इसके प्रमाण हैं. भारतीय संविधान सभा इस तथ्य से पूर्णतय: परिचित थी.

हिन्दी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 ओर विशेषकर राजभाषा अधिनियम, 1963 के पास होने के बाद से प्रारंभ किया गया. उस समय यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे:-

1. प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण.
2. प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद.
3. गैर हिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण.
4. हिन्दी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि.

शब्दावली का निर्माण : शब्दावली निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी. इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य चालू किया था. बाद में हिन्दी विभाग का विस्तार होते-होते सन् 1960 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई. इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई.

प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद : केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि का अनुवाद कार्य पहले शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा किया जाता था. मार्च, 1971 से यह कार्य गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के अधीन स्थापित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया है. ब्यूरो ने

निदेशालय द्वारा अनूदित साहित्य के अतिरिक्त अब तक लगभग 3 लाख मानक पृष्ठों का अनुवाद करके विभिन्न मंत्रालयों को उपलब्ध करा दिया है. इस समय ब्यूरो मंत्रालयों, विभागों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों आदि के मैनुअलों का भी अनुवाद कर रहा है.

हिन्दी शिक्षण योजना : केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण का कार्य शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 1952 से प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार अक्टूबर, 1955 से यह कार्य गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहा है. प्रारंभ में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए था, जो अपनी इच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं, बाद में अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के अधीन हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया जो 01-01-1961 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे. फिर भी, स्वेच्छा से हिन्दी सीखने वालों की तादाद अधिकतर जगहों पर इतनी पर्याप्त है कि राजभाषा विभाग ने अभी तक इस अनिवार्यता का प्रयोग नहीं किया है और हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य सारे देश में स्वेच्छा तथा प्रोत्साहन के आधार पर चल रहा है.

यांत्रिक साधनों की व्यवस्था : कुछ वर्ष पहले देवनागरी के टाइपराइटरों का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं था. किंतु अब औद्योगिक विकास विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय एवं टाइपराइटर बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी टाइपराइटरों के उत्पादन में प्रगति हुई है. इस समय देवनागरी टाइपराइटरों का उत्पादन मांग के अनुसार है.

कम्प्यूटर : कम्प्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधा के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. कुछ वर्ष पहले ई.सी.आई.एल हैदराबाद ने कम्प्यूटर में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया था. उसे और उपयोगी बनाने के लिए कदम उठए जा रहे हैं.

इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर : संचार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. द्वारा इलेक्ट्रानिक टैलीप्रिंटर्स बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है. इसी प्रकार हिन्दी के बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों, पता लेखी मशीनों और पिनप्वाइंट टाइपराइटरों के निर्माण के लिए भी कार्रवाई की जा रही है.

राजभाषा के संबंध में कानूनी व्यवस्थाएं : राजभाषा नीति को लागू करने के लिए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और इसमें वर्ष 1976 में संशोधन किया गया. इसके कुछ प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं:-

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित कागजपत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है- 1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनाएँ, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ, 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 8. सरकारी कागजपत्र, 9. संविदाएँ, 10. करार, 11. अनुज्ञप्तियाँ, 12. अनुज्ञापत्र, 13. टेंडर नोटिस और 14. टेंडर फार्म.

2. धारा 3 (4) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण हो, तब भी वह अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित न हो.

3. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3(5) के रूप में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग खत्म करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे.

राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करने के साथ-साथ दिसंबर, 1967 में संसद के दोनों सदनों में सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी पारित किया था. इस संकल्प के पेरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेज़ी लाने के लिए एक अधिक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी. इसके अतिरिक्त इस संबंध में किए गए उपायों तथा उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के सदनों के सभापटल पर प्रस्तुत करेंगी. सन् 1968 से निरंतर वार्षिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभाग से अनुरोध किया जाता है कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उसके अनुसार कार्रवाई करें. अब तक इस प्रकार की 10 रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और 11वीं रिपोर्ट मुद्रणाधीन है.

राजभाषा अधिनियम, 1976 : सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया है. यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हिन्दी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिली है. इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं:

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर है. इस नीति के समन्वय का कार्य राजभाषा

विभाग करता है. यह विभाग समन्वय के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को जारी करने के अलावा कई प्रकार की समितियों का गठन करके यह कार्य कर रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

(1) **केंद्रीय हिन्दी समिति** : हिन्दी के विकास और प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का समन्वय करने और नीति संबंधी दिशा-निर्देश देने वाली यह सर्वोच्च समिति है. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्रीय सरकार के 11 मंत्री तथा राज्य मंत्री, राज्यों के 8 मुख्यमंत्री, 7 संसद सदस्य तथा हिन्दी के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल है. राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इसके सदस्य सचिव हैं.

(2) **हिन्दी सलाहकार समितियाँ** : सरकार का यह निर्णय है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में हिन्दी सलाहकार संमितियां गठित की जाएँ. इस निर्णय के अनुसार 25 मंत्रालयों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिनमें संसद सदस्यों तथा हिन्दी के विशिष्ट विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं. वे अपने मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में आवश्यक विचार विर्मश करके निर्णय लेते हैं.

(3) **राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ** : केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) 25 या इससे अधिक है, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं. मंत्रालयों व विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को मिला कर एक केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है, जो उसकी समस्याओं पर आंतरिक रूप से विचार करके उनका समाधान ढूँढती है. 1976 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार ऐसे 55 नगरों में भी, जहाँ 10 या इनसे अधिक केंद्रीय कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है.

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके हैं. इसका कारण यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी जानते भी हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट होने के कारण हिन्दी के बजाय अंग्रेज़ी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वे पहले से अंग्रेज़ी में काम करने के अभ्यस्त रहे हैं दूसरे हिन्दी में काम करने में वे कुछ हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं. यह हीनता और संकोच की भावना इस समय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है. इसके अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए अभी जितने यांत्रिक साधन और सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे हिन्दी में सुलभ नहीं हैं. इससे विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित रूप में नहीं हो पा रहा है. अत: विभिन्न प्रकार के टाइपराइटरों, कंप्यूटरों आदि की अपेक्षित सुविधाएँ हिन्दी में सुलभ कराने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. हिन्दी भाषी राज्य सरकारें भी, जहाँ अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, अभी तक संपूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं कर पा रही हैं. इससे अन्य राज्यों में हिन्दी का प्रयोग करने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

यद्यपि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के अनुसार अनेक कागज पत्रों एवं प्रकाशनों को द्विभाषिक रूप में अथवा केवल हिन्दी में जारी करना पड़ता है. किंतु सरकारी प्रेसों की हिन्दी की मुद्रण-क्षमता अभी भी संतोषजनक नहीं है. इससे न तो हिन्दी के प्रकाशन समय पर निकल पाते हैं और न ही समुचित मात्रा में हिन्दी का प्रयोग बढ़ पाता है. यह भी देखा गया है कि राजभाषा नीति के कार्यन्वयन के लिए अभी तक मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि में समुचित हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उपयुक्त वातावरण न होने की है. प्राय: सभी सही सोचते हैं कि उनके बजाय किसी और को हिन्दी में काम करना है. फिर भी, विविध प्रयासों के परिणामस्वरूप हिन्दी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि में वार्षिक कार्यक्रमों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है. हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले मंत्रालयों व विभागों को शील्ड देने की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त हिन्दी में पर्याप्त काम करने वाले को आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना भी विचाराधीन है. राजभाषा विभाग अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों की जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहा हे. विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियाँ तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है. हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से भी कर्मचारियों की झिझक दूर करके उन्हें हिन्दी में काम करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है. तात्पर्य यह है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं. यद्यपि हमारी मंजिल कुछ दूर अवश्य है, किंतु हम सब का सहयोग लेते हुए सशक्त और संतुलित कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. हमें आशा है, हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे.

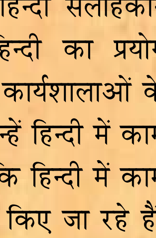

अंशुल जैन
क्षे.का. आणंद

विश्वनाथ सत्यनारायण

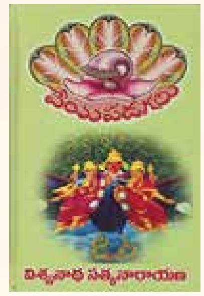

तेलुगू के महान साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का जन्म 10 सितंबर 1895 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के उनके पूर्वजों के स्थान नंदमुरु नामक गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनकी प्रारम्भिक शिक्षा खुले आसमान में चलने वाले स्कूल जिसे उस समय स्ट्रीट स्कूल भी कहा जाता था, में हुई थी, जिसे 19-20वीं शताब्दी में अनौपचारिक स्कूलों के रूप में मान्यता दी गयी थी. विश्वनाथ सत्यनारायण एक ब्राह्मण जमींदार शोभानाद्रि और उनकी पत्नी पार्वती के पुत्र थे. उनके पिता शोभनाद्रि, जो तब तक अपनी दानशीलता के कारण अपनी संपत्ति लगभग खो चुके थे, ने सोचा कि अँग्रेजी केन्द्रित शिक्षा उनके बेटे को अच्छा जीवन प्राप्त करने में मदद कर सकती है. उनकी उच्च प्राथमिक शिक्षा 11 साल की उम्र में पास के बंदरगाह मछलीपटनम में प्रसिद्ध नोबल कॉलेज में आरंभ हो गयी.

उनके बचपन के दौरान ग्राम संस्कृति ने सत्यनारायण पर लंबे समय तक प्रभाव डाला और उन्होंनें इससे बहुत कुछ सीखा. सड़क लोक कला के पारंपरिक कलाकारों ने उन्हें आकर्षित और शिक्षित किया. इन विभिन्न कला रूपों में कहानी कहना, असाधारण कविता, संगीत, प्रदर्शन और नृत्य शामिल है. इन बातों ने उनके विचार और कहानी कहने पर गहरी छाप छोड़ी. जातियों और सामाजिक बंधनों से परे ग्रामीणों के बीच संबंध, ग्रामीण जीवन की सुंदरता ने भी बाद में उनके विचार और विचारधारा को आकार दिया. आप आंध्र प्रदेश राज्य से थे और तेलुगू के आधुनिक युग में एक उत्कृष्ट कवि रहे थे. वे संस्कृत पंडित तो थे ही, तुलसीदास के 'रामचरितमानस' से भी वो बहुत प्रभावित थे. विश्वनाथ सत्यनारायण 'ग्रंथिक' शैली को मानने वाले थे, जबकि अन्य पत्रकार व्यावहारिक शैली के प्रवर्तक थे. दोनों विचारधाराओं में कई विवाद चले. वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंनें कई विद्याओं में सफलता से लिखा है. सत्यनारायण जी ने करीमनगर गवर्नमेंट कॉलेज (1959-61) के पहले प्रिंसिपल के रूप में काम भी किया था.

विश्वनाथ सत्यनारायण अपने विराट उपन्यास 'वेयिपगलु' (हिन्दी अनुवादक - श्री पी. वी. नरसिंहराव) महाकाव्य, श्री रामायण कल्पवृक्षम् (हिन्दी अनुवादिका - डॉ. सरोजिनी 'महिषी') तथा 'मध्यक्करुलु' नामक कविता संग्रह के लिए विख्यात है. आपको 1970 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया. वह तिरुपति वेंकट कावुलु जोड़ी के प्रसिद्ध तेलुगू लेखक चेलपिल्लावेंकट शास्त्री के छात्र थे. उनकी स्मृति में विशाखापट्नम शहर, आंध्र प्रदेश में उनकी मूर्ति स्थापित की गयी है. भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है. 1935 में आया उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'एकवीरा' पर दूरदर्शन ने एक चलचित्र भी प्रसारित किया था. आगे चल कर उनके उपन्यास से प्रेरणा लेकर प्रोड्यूसर डी. एल. नारायण ने 1963 में एक फिल्म का निर्माण भी किया और इससे मिलने वाली सारी धनराशि, विश्वनाथ सत्यनारायण जी को देने का निर्णय किया क्योंकि तेलुगू साहित्य के प्रति उनका योगदान अतुलनीय था. यह भी बताया जाना आवश्यक है कि 1963 में आई प्रसिद्ध फिल्म 'नार्थनसला' जो पांडवों के एक साल के अज्ञातवास की कहानी चित्रित करती थी, विश्वनाथ जी के नाटक 'नार्थनसला' से प्रेरित थी.

विश्वनाथ जी की साहित्यिक कृतियों में 30 कविता, 20 नाटक, 60 उपन्यास, 10 आलोचनात्मक अनुमान, 200 खंड काव्य, 35 लघु कथाएँ, तीन नाटक, 70 निबंध, 50 रेडियो नाटक, अँग्रेजी में 10 निबंध, 10 संस्कृत रचनाएँ, तीन अनुवाद, 100 परिचय शामिल है. उनकी कुछ कविताओं और उपन्यासों का अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत में अनुवाद किया गया है.

उन्हें 'कवि सम्राट' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया. 1964 में आंध्र विश्व कला परिषद ने उन्हें 'कालप्रपूर्ण' की उपाधि से सम्मानित किया. श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट उपाधि देकर सम्मानित किया. 1962 में उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 'विश्वनाथ मध्यक्कारलु' के लिए दिया गया. 1970 में आंध्र प्रदेश

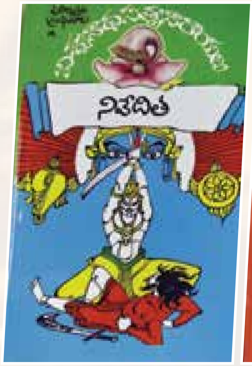

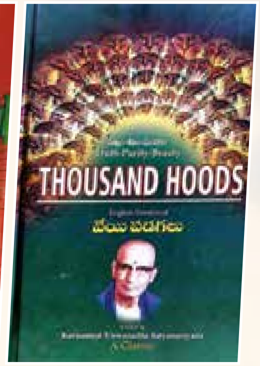

सरकार ने उन्हें पुरस्कार विजेता के रूप में सम्मानित किया गया. 1970 में उन्हें 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया. 1971 में उनकी पुस्तक 'रामायण कल्पवृक्षम्' 'के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले तेलुगू लेखक हैं.

'श्रीमद्रामायण कल्पवृक्ष' नाम से सम्पूर्ण रामायण की रचना करके उन्होनें इस आधुनिक युग में एक अद्भुत कार्य किया है. कई विद्वानों का मत है कि तेलुगू में आज जितने रामायणों की रचना हुई है, उन सब में 'कल्पवृक्ष' मुकुटायमान है. रामायण कल्पवृक्ष महाकाव्य के अतिरिक्त सत्यनारायण जी ने अनेक खंड काव्यों और गीत काव्यों की रचना की है. उनकी सिद्धहस्तता इसी बात से प्रकट होती है कि उनके लिखे हुए 'किन्नरसानी पाटटलु' नामक गीत आंध्र प्रदेश के लाखों पाठकों को आनंद विभोर करने में समर्थ हुए हैं. महाकाव्य एवं गीत इन दोनों का एक ही लेखनी से निकलकर समान रूप से लोकप्रिय होना प्रायः अन्यत्र बहुत कम देखने में आता है.

आपने लेखों के अतिरिक्त सैकड़ों व्याख्यान भी दिये हैं. सत्यनारायण जी का व्याख्यान श्रोताओं के लिए एक उदात्त अनुभव होता है. उनकी वाणी कहीं गंगा की तरह धीर - गंभीर, कहीं पर्वतों से कूदने वाली निर्झरिणी की तरह उतावलापन लिए हुए, कहीं बादलों की गड़गड़ाहट जैसी भयानकता और कहीं कोकिल के पंचम स्वर का अनुसरण करने वाली होती है. शब्दों का संयोजन भी विश्वनाथ सत्यनारायन को विशेष आकर्षित करता हैं. इसी को वे उत्तम कोटी का साहित्य मानते हैं और औरों से मनवाने की निरंतर चेष्टा करते हैं. इसी का वे स्वयं अपनी रचनाओं में भरसक अनुष्ठान भी करते हैं.

इस प्रकार श्री विश्वनाथ सत्यनारायण, साहित्यिक क्षेत्र में अद्वितीय स्थान के अधिकारी हैं. विस्तार, विविधता, विद्वत्ता, गंभीरता, सहृदयता - ये सभी गुण उनके साहित्यिक व्यक्तित्व में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं. इस साहित्यिक वैशिष्ट्य के साथ-साथ श्री विश्वनाथ का वैचारिक पक्ष है जो उनकी सारी रचनाओं पर अपनी अमिट छाप डाले हुए हैं. इस पक्ष को समझे बिना सत्यनारायण जी का साहित्यिक पक्ष भी पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है. आप एम.ए. भी हैं और प्राचीन परंपरा एवं संस्कृति के मर्मज्ञ भी. आप वेदों, उपनिषदों एवं शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं ही साथ ही अंग्रेजी साहित्य तथा अन्य आधुनिक शास्त्रों के पारखी भी हैं.

उनके साहित्यिक व्यासंग का प्रारम्भिक काल देश के इतिहास में बड़े उथल-पुथल का था. ब्रिटिश सत्ता तथा अँग्रेजी पढ़ाई के कारण एवं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का आसरा लेकर भारतीय संस्कृति पर निरंतर दुराक्रमण करने वाले अन्य प्रभावों के कारण सत्यनारायण जी के व्यक्तित्व में एक प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति सी उत्पन्न हुई. प्रतिभावान एवं विद्वान होने के नाते किसी भी प्रकार के ढोंग से उन्हें चिढ़ थी. आधुनिक सभ्यता के नाम पर समाज में नए प्रकार के पाखंड एवं अन्याय का जो दौर चल पड़ा, उससे सत्यनारायण जी की आत्मा खीज उठी. इस प्रकार सत्यनारायण जी के व्यक्तित्व में परस्पर मेल न खाने वाले दो सांस्कृतिक प्रवाहों का समावेश हुआ. समावेश क्या हुआ, संघर्ष उत्पन्न हुआ. हमारी संस्कृति के मूल्य तत्वों को समझे बिना ही उसकी ओछी आलोचना करने का फैशन सर्वत्र चल पड़ा था, उसका खंडन करने के लिए ही सत्यनारायण जी की प्रभावशाली लेखनी बारम्बार उठी है. उनका तर्क पक्का है, विद्वत्ता अपार है, वाग्वैदग्ध्य (सुंदर अलंकार और चमत्कारपूर्ण उक्तियों की निपुणता) अचूक है और सद्भावना अप्रतिम! सत्यनारायण जी के विचार प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति एवं परंपरा में शत-प्रतिशत पले है. जैसा कि उन्होनें सहस्त्रफण के नायक से कहलवाया है, वे सोलह आने 'वैदिक' है.

'सहस्त्रफण' जिस पर दूरदर्शन पर धारावाहिक भी प्रसारित हुआ था, विश्वनाथ सत्यनारायण का सर्वमान्य बृहद उपन्यास है. 'ज्या क्रिस्टोफि' जैसी रचनाओं की तरह इस उपन्यास में इतिहास भी है, समाजशास्त्र भी है, राजनीति भी है, प्राचीन संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ निरूपण है, कला की पराकाष्ठा है, शास्त्रार्थ भी है, डांट-फटकार भी है और बहुत बड़ी मात्रा में रसात्मकता भी है. कुछ आलोचकों ने 'सहस्त्रफण' को उपन्यास कहना भी पसंद नहीं किया था. प्रायः उनका मत इस अर्थ में ठीक है कि 'सहस्त्रफण' उपन्यास के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है.

प्रसिद्ध रचनाएँ- वेयिपगलु (उपन्यास), एकवीरा (उपन्यास), किन्नरसानि पाटलु (गीतकाव्य), ऋतुसंहारम् काव्य- हरिश्चंद्र

विश्वनाथ सत्यनारायण का निधन 18 अक्तूम्बर 1976 को आंध्रप्रदेश के गुंटूर में हुआ था. ऐसे महान व्यक्तित्व को हम शत-शत नमन करते हैं और तेलुगू और भारतीय साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा.

उपासना सिरसैया
क्षे.का. पंजागुट्टा, हैदराबाद

हमारी हिंदी

हिंदी-भाषा जैसे विषय पर विद्वानों ने बहुत शोध कार्य किये, चाहे वह उसकी उत्पत्ति को लेकर हो अथवा उत्थान की यात्रा से सम्बन्धित हो. आम व्यक्ति, राजनीतिक या सामाजिक विशिष्ट वर्ग आज जिस जुनून में हिंदी को लेकर हिंदी दिवस पर हिंदी की पताका फहराता हुआ दिखाई देता है वह यूँ तो किसी आडम्बर से कम नहीं है मगर, यह भी सत्य है कि यदि ये आडम्बर न हो तो इस देश में निज भाषा के अस्तित्व को मिटने में कोई लम्बा समय नहीं लगने वाला.

हमारे बदलते परिवेश और जुनून ने जिस गति से हमारी संस्कृति को रौंदा है उसमें आज कलाओं के साथ भाषाएँ भी ख़तरे में हैं. ऐसे में देश की एक मुख्य भाषा हिंदी है जिसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसके वजूद के लिऐ हम सभी को कुछ प्रयास तो करने ही होंगे.

हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी से सम्बन्धित अनेक लेख हम सभी पढ़ते आए हैं. हम जानते हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी भारत की ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की सबसे उत्तम और विशालतम लिपि है जिसमें संसार की लगभग प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने का माद्दा है.

इस युग में हम सब जानते हैं कि समय के साथ चलना अत्यंत आवश्यक है और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है. इसी से जुड़ा डार्विन का प्रकृतिवर्णन का सिद्धांत कहता है कि जो प्रजाति प्रकृति के साथ स्वयं को ढाल नहीं पाती वह कालांतर में शनैः शनैः विलुप्त होती जाती है.

यहाँ चूँकि हम हमारी भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी की बात कर रहे हैं अत: इसके अद्यतन रखने की आदत भी हमारे लिये एक गर्व का विषय है.

सामान्य रूप से हम पढ़ते आए हैं कि आज देवनागरी की वर्णमाला में हमारे पास बावन वर्ण हैं. क्या आज से पचास वर्ष पूर्व भी ये बावन थे? नहीं,,,,. बल्कि आज हमारे पास उच्चारण के आधार पर कई विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिये भी वर्ण हैं और इन वर्णों की कुल संख्या अब लगभग उनसठ है. यही हमारी लिपि और भाषा की समृद्धता है. यही गुणग्राहकता इसे पुष्ट बनाती है और इसे ही अपडेशन या अद्यतन कहा जाता है.

शब्दों से भावाभिव्यक्ति करने का जो गुण हिंदी को हासिल है वो विश्व की किसी भाषा को नहीं है. दूसरी भाषाओं की लिपियों ने कभी कल्पना ही नहीं की कि लेखन में द्वार पर दी जाने वाली दस्तक को नॉक-नॉक (knock ! knock !) लिख कर अभिव्यक्त किया जा रहा है उसे हम 'खट खट',,,, लिखकर हूबहू लिख कर जीवंत रूप दे सकते हैं. ढोल बजने के बैंग-बैंग (bang bang),,,, को हम ढम ढम या ढम ढमा ढम लिख सकते हैं.

उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में लगभग हर प्रकार का वर्ण हैं इसलिये हम हिंदी में शुद्धता की बात करते हैं. प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदी एक शुद्ध भाषा है? संभव है, इसमें विद्वानों में मतांतर हो, मगर इसके पूर्व हमें यह विचार करना होगा कि हम शुद्ध किसे कहते हैं? मतभेद यहीं से आरम्भ होते हैं कि किसी मिलावट को हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं या नकारात्मक. यदि हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हिंदी एक मिश्रित भाषा कही जा सकती है.

वास्तव में हिंदी का आज जो स्वरूप है वो बहुत मिलाजुला है क्योंकि यह भाषा संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए अवहट्ट तक आई और आज हमारे समक्ष इसका यह आधुनिक रूप है.

स्वाभाविक है, सत्ताओं के लगातार बदलते परिवेश वाले देश में भाषा कैसे अपरिवर्तित रहती?

प्रत्येक युग में इस भाषा के विभिन्न रूपों के अनेक साहित्यिक प्रमाण प्राप्त हैं.

हिंदी में चार प्रकार के शब्द हैं.

तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी. तत्सम जो संस्कृत से यथावत हिंदी में आ गए यथा; अक्षि, उष्ट्र, अग्नि, चन्द्र, आदि. तद्भव शब्द जो तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप हैं यथा; आँख, ऊँट, आग, चाँद आदि.

देशज शब्द वे शब्द जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से निकल कर भाषा की मुख्यधारा में स्थान बना गए यथा; बागुड़, खेती, बोवनी, ढुल्ली, लोटा आदि और चौथा प्रकार है विदेशज, जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में किसी विदेशी भाषा से आयातित हैं यथा; जंगल, इंटरनेट, लैपटॉप, हॉस्पिटल, पतलून, कम्प्यूटर, बंदूक, कैमरा, डॉक्टर, इलाज, चश्मा, ज़िला, अदालत, नज़र, निगाह, वकील आदि.

यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की ग्राह्य क्षमता विश्व की किसी भी भाषा से अधिक है.

हम अगर हिंदी भाषी होने का दावा करते हैं तो हमें यह ज्ञान होना चाहिये कि हमारे बोलचाल में बेशुमार फ़ारसी, अरबी, उर्दू से लेकर पुर्तगाली, इंग्लिश, फ्रेंच भाषाओं के शब्द विद्यमान हैं. कुछ लोग हिंदी में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को उचित नहीं मानते. संभव है कि हिंदी में उस शब्द का विकल्प मिल भी जाए किंतु जो विदेशी शब्द प्रचलित हैं उनकी स्वीकारोक्ति इतनी अधिक है कि उन्हें बदल पाना मुश्किल है. जैसे; इंटरनेट को अंतर्जाल, कम्प्यूटर को संगणक या कैलकुलेटर को गणक कहना और समझाना अब असम्भव नहीं तो मुश्किल और पेचीदा ज़रूर है.

आज जिस तरह हम अपनी तरक्की को तकनीक से जोड़ के देखते हैं, यही तकनीक हमारे देश के युवा वर्ग को इंग्लिश की ओर बेतहाशा धकेले जा रही है. क्योंकि यह एक मजबूरी भी है. यही कारण है कि जैसे-जैसे हम गाँव से कस्बे, कस्बे से नगर और नगर से महानगर की ओर बढ़ते हैं, इंग्लिश का वर्चस्व क्रमशः बढ़ता हुआ दिखाई देता है.

संस्कृति की दृष्टि से अपनी हिंदी का यही बदलता रूप हमारे लिये चिंता का कारण भी है. हालांकि यह अकाट्य सत्य है कि भाषा कभी किसी के लिये नहीं रुकी और वह हर युग में परिवर्तनशील रही है, किन्तु कोई भाषा परिवर्तन की आँधी में अपने अस्तित्व को खो दे तो यह देश और उसकी संस्कृति पर आघात की तरह होगा. इसलिये हमें हमारी बोलचाल की हिंदी में विदेशज शब्दों को एक सीमा तक ही स्थान देना चाहिये. हिंदी का अपना एक विशाल शब्द भंडार है. अतः हमें अपनी हिंदी के शब्दों के प्रयोग को महत्व देना होगा अन्यथा यह कहना, किसी आमोद-प्रमोद का नहीं, बल्कि चिंता का विषय है कि हमारा बच्चा उनहत्तर और उन्नासी का अंतर नहीं समझता.

राजकुमार कोरी
बैतूल शाखा, भोपाल (दक्षिण)

राजभाषाः संविधान से समाज की ओर

प्रसिद्ध मनोभाषाविज्ञानी श्री अजीत मोहंती के मतानुसार 'भाषा हमें मानव बनाती है. निःसंदेह, वैचारिक क्षमता उन गुणों में से एक है जो मनुष्य को साथी प्राणियों से भिन्न करते हैं. विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में भाषा एक शक्तिशाली माध्यम हैं; साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज की प्रकृति और आचरण को दिशा प्रदान करने का माध्यम भी है. भाषा अपने विचारों और भावनाओं को तर्कसंगत रूप में अभिव्यक्त करने का सबसे प्रभावी साधन है.

भाषा वास्तव में संचार और अभिव्यक्ति के साधन होने से परे एक ऐसा बल है, जो लोगों को एकजुट करती है, अपनेपन और सशक्तीकरण की भावना को मज़बूत करती है और संस्कृति, सभ्यता और विचारधाराओं की वाहिका है, जिनसे समुदाय की पहचान होती है. भारतीय होने के कारण हम सभी विविध संस्कृतियों तथा बहुभाषी विरासत के धनी हैं, परंतु जहां विविधता है वहां विवाद होना तो संभावित है. भारत की स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान सभा की बैठक के समय राजभाषा के चुनाव पर बहस इस संदर्भ में एक उपयुक्त उदाहरण है. राजभाषा के बारे में चर्चा दो विरोधी खेमों द्वारा चिह्नित की गई थी, जिसमें एक समूह हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के पक्ष में था, जबकि दूसरा समूह संविधान में एक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान देने के पक्ष में था. बहस को मुंशी-अयंगर सूत्र के रूप में जाना गया, जिसके माध्यम से हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जबकि अंग्रेज़ी को 15 वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी थी. इन 15 वर्षों की अवधि के दौरान हिंदी लेक्सिकॅन को विकसित किया जाना प्रस्तावित था. इस फॉर्मूले को

संविधान सभा ने भारी बहुमत से वोट दिया और 14 सितंबर को इस भाषाई बहस के संकल्प के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया. 1965 में अंग्रेजी को डी-फेक्टो राजभाषा के रूप में घोषित करने के साथ, मुंशी-अयंगर सूत्र की प्रासंगिकता अकादमिक हित के लिए कम हो गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से हिंदी दिवस की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है. औपचारिक शिक्षा में भाषाई माध्यम का चुनाव और अंग्रेजी की तुलना में हिंदी और स्थानीय भाषा को दिया जाने वाला स्थान आज भी एक प्रासंगिक प्रश्न है. इसी तरह, प्राचीन भारतीय शास्त्रों तक पहुंचने की क्षमता, जो ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है, संस्कृत, तमिल और हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के ज्ञान पर गंभीर रूप से निर्भर करती है. नीति-निर्माताओं, समाज और व्यक्तिगत नागरिकों की ओर से इन आसन्न मुद्दों के अस्तित्व की स्वीकृति शायद उन्हें हल करने की दिशा में पहला कदम है.

वैश्वीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं का ज्ञान नि:संदेह एक विशिष्ट गुण है, लेकिन हमारे सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी मूल भाषा संभवत: सबसे महत्वपूर्ण साधन है. संयुक्त राष्ट्र एवं स्वतन्त्र शोधकर्ताओं द्वारा किए गये विभिन्न मनो-भाषाई अध्ययनों से पता चलता है कि जो छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, वे बेहतर संज्ञानात्मक लचीलेपन, विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करते हैं और सामाजिक रूप से अधिक सुसंगत होते हैं. इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया से सुलभ अवसरों तक पहुँचने के लिए और उन गुणों को प्राप्त करने के लिए जो हमारी मूल भाषा का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, एक समन्वित रणनीति तैयार कर सकें.

वैश्वीकरण के दौरान जब विदेशी भाषाओं का ज्ञान एक संपत्ति माना जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वदेशी भाषाओं में अपने भाषाई कौशल को मजबूत करते रहें, जो हमारी जड़ों से जुड़े रहने में हमारी सहायता करती हैं और हमें हमारे उस विशाल बौद्धिक संसाधन को अभियोजित करने में सहायक होती हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों और पीढ़ियों से संकलित किए गए हैं.

यह महत्वपूर्ण है कि हम हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे सीखने हेतु प्रदत्त जीवनोपयोगी ज्ञान के विशाल भंडार को संचित व संवर्धित करने के लिए आवश्यक प्रयास करें जिसके लिए हमें अपनी मूल भाषा में निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है. फूलों के सुंदर गुलदस्ते की तरह भारत की भाषाई विविधता निस्संदेह हमारी बहुआयामी पहचान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है और सभी के लिए गर्व की बात है. हिन्दी, जो संचार का माध्यम होने के परे है, वास्तव में एक एकीकृत शक्ति है. हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें इस वास्तविकता की याद दिलाता है और हमें इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि कमोबेश हम अपनी मूल भाषा में संवाद करने में सकुचाते हैं, विदेशी भाषा में संचार करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं और ऐसा ना कर पाने में लज्जित महसूस करते हैं...

और इस समस्या के समाधान हेतु हिन्दी साहित्य के हरिश्चंद्र युग के प्रणेता, श्री भारतेंदु हरिशचंद्र अपनी प्रसिद्ध कविता 'मातृभाषा के प्रति' में मातृभाषा का उपयोग सभी प्रकार की शिक्षा के लिए करने पर जोर देते हुए कहते हैं-

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल.
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटै न हिय के सूल..
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार,
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार..''

भारत को उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां अकादमिक पत्रिकाओं से लेकर समाचार पत्रों तक सभी पठन सामग्री स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाती है. भारत का सांस्कृतिक उत्थान और विजय तब होगी जब हिंदी; जो हमारे लोगों और समाज को हमारी पहचान में एकीकृत करती है और एक विशेष प्रतीकात्मक स्थान रखती है; हमारे अस्तित्व के हर पहलू में प्रवेश प्राप्त कर सकेगी और जब हम इसे हासिल कर लेंगे, तो हिंदी दिवस एक 'एक-दिवसीय उपलक्ष्य के रूप में अपनी विशिष्ट और विशेष प्रासंगिकता खो देगा और भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकीकरण पर अध्यायों' के हिस्से के रूप में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में अपने सही स्थान पर आ जाएगा...

कल्याणलक्ष्मी चित्ता
क्षे.का. पुणे (पश्चिम)

देश के सांस्कृतिक विस्तार में राजभाषा हिन्दी की भूमिका

भाषा, नि:संदेह रूप से किसी भी देश की संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है. विभिन्न भाषाएँ दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं, इसीलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलनेवाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार से ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है. विशेष रूप से, किसी संस्कृति के लोगों का दूसरे से बात करना जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित करती है. लहजा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों के बातचीत में अपनापन, यह सभी किसी भी देश या स्थान विशेष की संस्कृति के प्रतिबिम्ब और दस्तावेज़ हैं. अत: किसी भी देश की संस्कृति और उसका विस्तार उसकी भाषाओं में समाहित है. किसी भी राष्ट्र के साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की सराहना करना बिना अपनी भाषा के संभव नहीं है.

भारत की संस्कृति में कुछ ऐसा है जो हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है. संस्कृति दूसरों से व्यवहार करने की सौम्यता से चीजों पर प्रतिक्रिया करने का, मूल्यों के प्रति हमारी समझ का, न्याय, सिद्धांत और मान्यताओं को मानने का एक तरीका है. भारत की संस्कृति में सबकुछ है जैसे विरासत के विचार, लोगों की जीवन शैली, मान्यताएँ, रीति-रिवाज, मूल्य, आदतें, परवरिश, विनम्रता, ज्ञान आदि. पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी संस्कृति को आगे नयी पीढ़ी को सौंपते हैं.

भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है. इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है. एक भाषा के रूप में हिन्दी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन-मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है. बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिन्दी विश्व की संभवत: सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और इसे चाहनेवाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं. यही कारण है कि भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है.

संस्कृतियाँ और भाषाएँ दोनों एक-दूसरे की वाहक होती हैं. दो सौ वर्षों का साम्राज्यवादी शासन झेलने के बाद भी हिन्दी नष्ट होने के बजाय और गतिशील होती चली गई. हिन्दी का योगदान भारतीय संस्कृति के विस्तार में सदैव से महत्वपूर्ण रहा है. यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो हमारे पारंपरिक संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के मध्य एक सेतु का काम करती है. हिन्दी को पहले से ही बहुसांस्कृतिक परिवेश में सक्रिय रहने का अनुभव है जिससे वह अपेक्षाकृत देश के सांस्कृतिक विस्तार में ज्यादा रचनात्मक भूमिका निभा रही है. साधू-संतों, फकीरों, व्यापारियों, शासकों, धार्मिक स्थलों और आम जनता ने जिस हिन्दी को गढ़ा वो दक्षिण में अपनी पहचान दक्खिनी के रूप में बनाती रही या जो हिन्दी, हिंदुई, हिंदवी, एंदुई या फिर रेख्ता-रेख्त होकर स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनी. चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो या जन-जागरण के गीतों के माध्यम से हो.कहने का आशय यह है कि स्वाधीनता दिलाने से लेकर, स्वभाषा, स्वदेशी, सूराज तक की यात्रा में हिन्दी को परिष्कार, संशोधन और समन्वय की अनेक स्थितियों होकर गुजरना पड़ा है.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पश्चिमी घाट से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के सांस्कृतिक विस्तार में हिन्दी की बहुत बड़ी भूमिका रही है. विभिन्न छोटी-बड़ी संस्कृतियाँ हैं, उनकी अपनी अलग भाषाएँ हैं, हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है जो हजारों वर्षों में विकसित होती है जिसके मूल में हिन्दी है. जिस भी देश ने, भाषा ने, अपने सांस्कृतिक द्वार नहीं खोले, अपने को विस्तार नहीं दिया, वो सिकुड़कर दम तोड़ देती है यानि उनका विलोपन हो जाता है. वहीं हिन्दी सहज प्रवाह में निरंतर आगे बढ़ रही है. जिसे छोड़ना है छोड़ दिया और जिसे साथ लेना है उसे परिष्कृत कर आत्मसात कर रही है. साहित्य, वाचिक परंपरा, कला, सिनेमा, नृत्य, ड्रामा, गीत-संगीत, सामाजिक परिवेश, सोच, जीवन-शैली सब भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है.

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के नाते जो हिन्दी का पाठक वर्ग है वो दूसरी संस्कृतियों से परिचित हो रहा है 'भारतीय संस्कृति कोई एकल संस्कृति नहीं है यह बहुविद् संस्कृतियों का समुच्चय है' विभिन्न संस्कृतियों के खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन, धर्म-जाति आदि. देश की अखंडता के लिए आवश्यक है कि हम दूसरी भाषाओं के धर्म का, समाज का जो सामाजिक ताना-बाना है, उसमें जो कुछ अच्छा है उसका आदान-प्रदान करें.

हिन्दी सिनेमा अपने संवादों एवं गीतों के माध्यम से विश्व पटल पर भारत का सांस्कृतिक विस्तार कर चुका है. इसने सदा से विश्वमन को जोड़ा है. हिन्दी की मूल प्रकृति लोकतांत्रिक तथा रागात्मक संबंध निर्मित करने की रही है. यह विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की राजभाषा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फ़िजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद तथा सूरीनाम जैसे देशों की संपर्क भाषा भी है. यह भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच खाड़ी देशों, मध्य एशियाई देशों, रूस, समूचे यूरोप, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको जैसे प्रभावशाली देशों में रागात्मक जुड़ाव तथा विचार-विनिमय का सबल माध्यम है.

हिन्दी विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन में भागीदार है. अकेले अमेरिका में ही लगभग एक सौ पचास से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है. आज जब वैश्वीकरण के दबावों के चलते विश्व की तमाम संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ आदान-प्रदान व संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, ऐसे में हिन्दी इस दिशा में विश्व मनुष्यता को निकट लाने के सेतु का कार्य कर रही है.

भाषा समाज की रचना का मुख्य आधार है और समाज की प्रगति में भाषा ही मुख्य आधार होती है. हिन्दी देश को अखंड भारत बना कर एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है. साथ ही यह अपनी सरहदों से बाहर जाकर भी अपना जश्न मनाती है. जब भारत के किसी क्षेत्र का निवासी विदेश में कहीं जाता है तो वहाँ उसकी पहचान किसी क्षेत्र विशेष से नहीं अपितु उसके भारत देश और हिन्दी से होती है. जन-गण-मन की भाषा हिन्दी, सरकारी कार्यालयों में अनुशासित और लोक-व्यवहार में बहुत ही सरल हो जाती है. मुहावरों-कहावतों के माध्यम से गागर में सागर भरती है. हिन्दी की देवनागरी लिपि सर्वमान्य रूप से मनोवैज्ञानिक है. इसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है हमारी हिन्दी अत्यंत ही सरल, सहज और आत्मीय भाषा है, और जो सरल होता है उसे परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है.

मानक हिन्दी ने देशी-विदेशी अनेक शब्दों को ग्रहण किया और अपने परिवार की अनेक बोलियों और भाषाओं के प्रभावकारी तत्वों और शक्तियों को मिलाकर एक परिष्कृत खड़ी बोली का शानदार रूप गठित किया है जो आज राजभाषा, देश का गौरव बन गयी है. कोई कहीं से भी आए, किधर से भी आए, सब के साथ घुल-मिल जाती है हमारी प्यारी हिन्दी. इसमें पश्चिमी हिन्दी की अकड़ता और पूर्वी हिन्दी की मधुरता दोनों का सुंदर समन्वय है. इसने लोक भाषाओं, बोलियों को उदरस्थ कर स्वयं को विकसित किया है. पूर्वोत्तर में बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, हर पहाड़ी की अलग भाषा है, शैली है. एक पहाड़ी के लोग दूसरे पहाड़ी के लोगों से अपरिचित रहते हैं, वहाँ हिन्दी ही संपर्क की भाषा बनी हुई है. हिन्दी भाषी संस्कारों के लोग दुनिया के हर देश में पहुँच चुके हैं, वहाँ वे हिन्दी में ही लिखते-पढ़ते हैं. विदेशों से हिन्दी की अनेक साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं. संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी एक-दूसरे को जोड़ने का कम करती है. प्रादेशिक लोक-पर्व छठ पूरे देश में मनाया जाता है. यह लोक संस्कृतियों के विस्तार का सामाजिक ढांचा है. इसका श्रेय हिन्दी को जाता है. यह नवीन और प्राचीन का समन्वय है.

प्रसिद्ध शायर इकबाल की ये पंक्तियाँ हिन्दी भाषा पर सटीक बैठती हैं कि -

यूनान-ओ-मिस्र-ओ-रोमां, सब मिट गए जहां से
अब तक मगर है बाकी नाम-ओ-निशां हमारा,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-ज़मां हमारा.

हिन्दी 'उच्छल जलधि तरंग' की तरह बहती जा रही है, नए स्वरूप, नए रंग और नए ढंग में. अक्सर तीर्थ स्थलों पर बड़ी संख्या में विदेशियों को 'हरे कृष्णा, हरे रामा' का जाप करते हुए देखा जाता है. कहना गलत नहीं होगा कि यह भारतीय दर्शन, सांस्कृतिक परम्पराओं और हिन्दी का आकर्षण ही है.

यहाँ गिरिजा कुमार माथुर जी कि पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा :-

सागर मिलती धाराएँ हिन्दी सबकी संगम है,
शब्द, नाद, लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है,
गंगा-कावेरी की धारा साथ मिलाती हिन्दी है,
पूरब-पश्चिम, कमल- पंखुड़ी सेतु बनाती हिन्दी है।

एशिया के अधिकतर देशों यथा चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, जावा आदि में रामलीला के माध्यम से श्रीराम के चरित्र पर आधारित कथाओं का मंचन किया जाता है. वहाँ के स्कूली पाठ्यक्रम में रामलीला को शामिल किया गया है. हिन्दी की रामकथाएँ भारतीय संस्कृति का संवाहक बन चुकी हैं.

सांस्कृतिक विस्तार केवल संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहता है, इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है. हमारे जीवन में लोगों को स्वतः जिज्ञासा होने लगती है जिससे न केवल हमारा सम्मान बढ़ता है बल्कि हमारी आर्थिक प्रगति के दरवाजे भी खुल जाते हैं.

हिन्दी हमारे देश के सांस्कृतिक विस्तार कि एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा ही हम अपने वैभव को एकीकृत रूप से और अपनी पहचान स्थापित करते हुए विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं.

मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारें आरती,
भगवान विश्व भर में गूँजे हमारी भारती।

यह सच है कि हिन्दी, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समझने और खोलने की कुंजी है. सच मायने में देश की सांस्कृतिक विस्तार में और वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की जोत जगाए रखने में हिन्दी संवाहिका के रूप अपनी महती भूमिका निभाते आ रही है.

ज्योत्स्नेश्वर पांडेय
क्षे.म.प्र.का. रांची

राजभाषा संबंधी प्रावधान

प्रशासन की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, अस्तु सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है तथा राज्य सरकारें जिस भाषा में अपने पत्र आदि केन्द्र सरकार को तथा केन्द्रीय प्रशासन अपने संदेश राज्य सरकारों को संप्रेषित करता है, वह राजभाषा कही जाती है.

केन्द्र की राजभाषा को 'संघभाषा' भी कहा जाता है. सरकारी आदेश, आज्ञाएँ, विज्ञापन, पत्र-व्यवहार वगैरह इसी भाषा में मुद्रित और प्रसारित होते हैं.

राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: चार क्षेत्रों-शासन, विधान, न्यायपालिका और विधान पालिका में होता है. हमारे देश में समय-समय पर कई राजभाषाओं द्वारा शासन स्थापित किया गया है. प्राचीन और मध्यकालीन भारत में संस्कृत ने राजभाषा का कार्य किया. मौर्यों के शासन का संचालन पाली भाषा ने किया. मुसलमानों के शासन काल में फारसी राजभाषा बनी और अंग्रेजों के शासनकाल में इसके स्थान को अंग्रेजी भाषा ने ग्रहण किया. स्वतंत्र भारत में राजभाषा का स्थान हिन्दी को सौंपा गया है.

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया. 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया. इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी. इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है. संविधान का भाषा सम्बन्धी तत्कालीन भाग 14 क और वर्तमान भाग 17, संविधान का भाग बन गया.

राजभाषा अधिनियम व नियम की मुख्य विशेषताएं

अनुच्छेद 120 (भाग 5) संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा - संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा. परंतु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा.

अनुच्छेद 210 (भाग 6)

विधान मंडल में प्रयुक्त होनेवाली भाषा : राज्य के विधान-मंडल कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा. परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा.

भाग 17

अनुच्छेद 343 (1) : संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा.

अनुच्छेद 343(2) : संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था.

अनुच्छेद 343(3) : उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा:

i) अंग्रेजी भाषा का या

ii) अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

अनुच्छेद 344 (1): राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति: राष्ट्रपति, संसद के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी.

अनुच्छेद 344 (4): एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे.

अनुच्छेद 345

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं: किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा.

अनुच्छेद 346A राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा: संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी. परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच, पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा.

अनुच्छेद 347A किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबंध में विशेष उपबन्ध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए.

अनुच्छेद 348A उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होगा.

अनुच्छेद 349A भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 350A व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा; प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा; भाषायी अल्प संख्यकों के लिए विशेष अधिकारी.

अनुच्छेद 351A संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे.

संविधान में हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिलने पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई देते हुए कहा, "आज पहली बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी. इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा"

ए. वी. लक्ष्मी
क्षे.म.प्र.का. विजयवाड़ा

देश को एक सूत्र में बांधती हिन्दी

देश की एकता की पहचान
हिंदी से हिंदुस्तानियों की पहचान
हिंदी गुणों व भावों की खदान
सभी भाषाओं में यही है महान

हिंदी भाषा सहज व सरल है, सभी प्रदेशों के लोग हिंदी भाषा को समझ लेते हैं, यह भाषा भावनाओं से भरी है. यह स्वयं सिद्ध भाषा है. देश में 65% से अधिक जनता की बोलचाल की भाषा हिंदी ही है. आजादी की लड़ाई में जब सभी जातियों, धर्मों, प्रदेशों के लोगों ने भाग लिया था तब इसमें हिंदी को आधार बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए. हमारे देश की सरकार भी विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा दे रही है. सभी विकास योजनाएं व नागरिक सेवाओं को हिंदी में ही आयोजित किया जाता है. हिंदी देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है क्योंकि यह लगभग हर जन की भाषा है जिसकी वजह से हम आपस में अपने विचारों को साझा करवाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं.

विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी. भारत संघ की राजभाषा होने के साथ-साथ 11 प्रमुख राज्यों और तीन संघ शासित राज्यों की प्रमुख राजभाषा है. संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी को विशेष स्थान प्राप्त है. हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है, हिंदी की तमाम उप भाषाएं भी हैं. स्थान के हिसाब से हिंदी में बदलाव भी हो जाते हैं. चूँकि हमारे देश में कई राज्य हैं, जिनकी अलग-अलग भाषाएं हैं, ऐसे में हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े का आयोजन उन क्षेत्रों के लोगों को जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, उनको भी हिंदी से जोड़ता है उनमें हिंदी के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है. हमारा देश भारत हमेशा से ही कई संस्कृतियों, रीति-रिवाजों का स्वागत करता है. उसने ग्रीक, फारसी, हड़प्पन, अरबी, मंगोलियन, प्रीवैदिक, आर्यन, द्रविड़, नवीनतम मुगल और अंग्रेजी सभ्यताओं आदि को अपनाया है. इन सब की झलक भी हम अपने देश में देख सकते हैं. इस प्रकार हमारा देश भारत विभिन्न भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है, जिसने हमेशा स्वयं को निखारा है.

भाषा हमारे देश भारत के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है. 1947 में जब अंग्रेज़ों से आजाद होने के बाद सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधे रखने की जरूरत थी, तब एक सार्वभौमिक भाषा को अपनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि हिंदी काफी सरल, सहज व पसंदीदा भाषा थी, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 1950 में भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा अधिनियम के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को 15 साल बाद 26 जनवरी, 1965 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था. किंतु ग़ैर हिंदी भाषियों द्वारा कड़े विरोध के परिणामस्वरुप, 'अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी की साहित्यिक परंपरा कम विकसित है' इस तर्क को आधार बनाते हुए संसद ने 1965 के बाद भी हिंदी के साथ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के अधिकारों का फैसला लिया. 14 सितंबर, 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था और हिंदी के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के महत्व को समझते हुए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से पूरे भारत देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था. पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया. इस दिन को मनाने का उद्देश्य, हिंदी को प्रसारित करना एवं इसके विकास को और समृद्ध बनाना है. इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों व संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है तथा स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं व सरकारी विभागों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है. हिंदी को भले ही कभी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला, परंतु हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में हमारी सामाजिक संस्कृति की वाहिका बनकर विकसित और समृद्ध हुई है. इसका यह इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है.

अंत में, हिन्दी सिर्फ भाषा के रूप में भारत की पहचान नहीं, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेक्षक की परिचायक भी है.

'सहजता, सरलता का गुण लिये,
यह विश्व की वैज्ञानिक भाषा भी कहलाये!!'

हिंदी अभी तक संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है. अन्य भाषाओं के विद्वान भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन देते हैं. फिर भी हिंदी को आज तक गौरव प्राप्त नहीं हो पाया है. भाषावार प्रांतों की रचना के कारण, वे सभी भाषाएं जिनको हिंदी की बहने

कहा जाता था, आज हिंदी से ही प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जो कि हिंदी का, अपनी राजभाषा का अपमान है. किसी राज्य में जाने पर वहां के लोग अपनी ही भाषा में वार्तालाप करते हैं, अन्य भाषा मे बोलने वालों को क्रूरता की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें असहज व अपने ही देश में परायों जैसा महसूस कराया जाता है. भाषा को धर्म से जोड़ना एक दुखद पहलू है. इसके अलावा आजकल अंग्रेज़ी को वर्चस्व देते हुए हमारी राजभाषा को वरीयता देना भूल गए हैं.

देशवासियों की भाषा, संस्कृति की वाहक होती है।
यदि भाषा छिन जाए तो संस्कृति बिछड़ने का डर रहता है।।

यदि राष्ट्र को एक परिवार के रूप में परिभाषित किया जाए, तो क्या एक अमीर परिवार जिसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान ना करें, एक दूसरे को असहज महसूस कराएं, अपनेपन का एहसास ना कराएं, तो क्या वह परिवार सुखी, उन्नत एवं सफल माना जाएगा? नहीं ना, ठीक उसी प्रकार अगर एक राष्ट्र के लोग आपस में प्रेम भाव से ना रहें, एक दूसरे को असहज महसूस कराएं, एवं क्रूरता की दृष्टि से देखें तो क्या वह देश उन्नत माना जाएगा, एकता का परिचायक कहलायेगा? नहीं ना. राष्ट्र कितनी भी उन्नति करे उसकी असली उन्नति देशवासियों के जुड़े रहने से होती है और राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही देशवासी आपस में जुड़े रहते हैं. देश के हर कोने में उसे अपनी भाषाई लोग मिलने पर, उसे हर कोने मे देश में अपनत्व की भावना का एहसास होता है, एवं अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का भाव उसे सुकून देता है.

'हिंदी हम हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधती है !
भिन्नता के बावजूद अनेकता में एकता दर्शाती है !! '

आज हिंदी को बोलने से लोग अपना स्तर कम समझने लगते हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में गर्व महसूस करने लगते हैं. हम भारत में रहकर ही अपनी मातृभाषा को नहीं अपना रहे हैं यह अति शर्म की बात है.

'सीखो भले ही सभी भाषाओं को ,
परंतु अपनाओ अपनी ही भाषा को.'

कृपया, हिंदी भाषा अपनी भाषा से प्रेम करें. उसके गौरव को बनाए रखने में और देश की एकता को बनाए रखने में अपना सहयोग करें.

टीना डिंगलानी
क्षे.का. भोपाल (सेंट्रल)

भाषा में अनुवाद का महत्व

किसी भाषा में कही या लिखी गयी बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन ही अनुवाद कहलाता है. 'अनुवाद' शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो 'अनु' उपसर्ग तथा 'वाद' के संयोग से बना है. इस प्रकार अनुवाद शब्द का अर्थ पुन: कहना, पुनरावृत्ति अथवा पुन: कथन आदि होता है. अनुवाद एक कला है अत: अन्य कलाओं की भाँति इस कला में भी निपुणता के लिए निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होती है. अनुवाद का विदेशी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण स्थान है. इससे हिन्दी-अंग्रेजी या अन्य भाषाओं की योग्यता बढ़ती है. अनुवाद के द्वारा ही अंग्रेजी आदि भाषाएँ बोलने एवं लिखने में सुगमता होती है. इससे स्पष्ट है कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में सम्प्रेषण करने की वह प्रक्रिया है, जिससे भाषा का ज्ञान होता है. इस सम्प्रेषण की प्रक्रिया को ही संस्कृत एवं हिन्दी में अनुवाद तथा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है. अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति 'वद्' धातु से हुई है. वद् धातु में 'घञ' प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बना तथा उसमें 'अनु' उपसर्ग लगा देने से अनुवाद शब्द प्रयोग में आया. इसमें 'वद्' का अर्थ बोलना या कहना तथा अनु का अर्थ बाद या उपरान्त लिया जाता है. इस प्रकार अनुवाद शब्द का अर्थ किसी के कहने के बाद कहना होता है.

हिन्दी साहित्य में अनुवाद की परम्परा का प्रारम्भ भारतेन्दु युग से माना जाता है. भारतेन्दु काल में अधिकांश साहित्यकारों ने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं के नाटकों एवं उपन्यासों का अनुवाद हिन्दी में किया. अनूदित नाटकों में भवभूति के 'उत्तर रामचरित' का 'देवदत्त तिवारी' तथा 'लाला सीताराम', 'कालिदास' के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' का 'नन्दलाल' तथा 'विश्वनाथ दुबे', बंगला के नाटककार 'माइकेल मधुसूदन' के नाटक 'पद्मावती' का 'बालकृष्ण भट्ट' 'शामैष्ठा' का 'रामाचरण शुक्ल' तथा अंग्रेजी नाटकों में 'मर्चेन्ट ऑफ वेनिस', 'मेकबेथ' आदि का हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध है. इसी तरह अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों का भी हिन्दी में अनुवाद किया गया. बंगला उपन्यासकार 'रमेशचन्द्र दत्त' कृत 'बंग विजेता' एवं 'बंकिमचन्द्र' कृत 'दुर्गेश नन्दिनी' का हिन्दी रूपान्तर 'गदाधर सिंह' ने किया.

अनुवाद को मौलिक सृजन की कोटि में रखा जाए या नहीं, यह हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है.

अनुवाद कार्य में रत अनुवादकों का मत है कि अनुवाद दूसरे दरजे का लेखन नहीं, बल्कि मूल के बराबर का ही सृजनधर्मी प्रयास है. यदि अनुवाद को मौलिक प्रेरणाओं से एकात्म होकर किया जाए तो मौलिक सृजन से कम महत्व नहीं देता. अनुवाद मौलिक सृजन से भी अधिक कठिन-साध्य होता है. मूल कृति से रागात्मक संबंध जितना अधिक होगा, अनुवाद का प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा. दरअसल, सफल अनुवादक वही है जो अपनी दृष्टि भावों, कथ्य और आशय पर रखे. साहित्यानुवाद में शाब्दिक अनुवाद सुंदर नहीं होता. एक भाषा का भाव या विचार जब अपने मूल भाषा माध्यम को छोड़कर दूसरे भाषा माध्यम से एकात्म होंगे तो उसे अपने अनुरूप शब्द राशि संजोने की छूट देनी ही होगी. यहीं पर अनुवादक की प्रतिभा काम करती है और अनुवाद मौलिक सृजन की कोटि में आ जाता है .

मेरे विचार से यदि सच कहा जाए तो अनुवादक का महत्व इस रूप में है कि वह दो भाषाओं को न केवल जोड़ता है, बल्कि उनमें संजोई ज्ञानराशि को एक-दूसरे के निकट लाता है. अनुवादक अन्य भाषा की ज्ञान संपदा को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने में शास्त्रीय ढंग से कहां तक सफल रहा है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना दूसरी भाषा के पाठकों का अनुवाद द्वारा एक नई कृति से परिचित होना. मूल रचना का स्वल्प परिचय पूर्ण अज्ञान से बेहतर है. अनुवादक की निजी भाषिक क्षमताओं, लेखन अनुभव और प्रतिभा पर निर्भर है कि उसका अनुवाद कितना सटीक, सहज और सुंदर बन पाया है. मेरा मानना है कि एक अच्छे अनुवादक के लिए एक अच्छा लेखक होना भी बहुत जरूरी है. एक अच्छा लेखक होना उसे एक अच्छा अनुवादक बना देता है.

भारत जैसे बहुभाषी एवं विकासशील देश के राष्ट्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विकासशील देशों की एक अन्य आवश्यकता विकसित देशों के वैज्ञानिक, शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक साहित्य की अधिकाधिक जानकरी अपने देश के लोगों को सहजता से उपलब्ध कराने की होती है. इस प्रयोजन हेतु भी अनुवाद का महत्व स्वयंसिद्ध है. संक्षेप में कहा जा सकता है कि अनुवाद समकालीन मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रथम सोपान है.

संसार के विविध देशों में विशिष्ट विज्ञानों, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, खगोल, उद्यानकृषि आदि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विशिष्ट विकास हो रहा है. विकासशील देशों में विकास के लिए इन विशिष्ट विज्ञानों से सम्बन्धित अनुसंधानों और अन्वेषणों से परिचित होना आवश्यक है. इतना ही नहीं, सैटेलाइट युग में हमारे प्रवेश से अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी विकास आज की पहली आवश्यकता है और यह कार्य विकसित देशों में बिना अनुवाद के सम्भव नहीं है. संसार में लगभग 3500 भाषाएँ बोली जाती हैं और लगभग 350 भाषाओं में साहित्य प्रकाशन तथा संचार का काम होता है. इससे स्पष्ट है कि इतनी भाषाएँ कोई एक व्यक्ति नहीं जान सकता. अत: इस विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए अनुवाद ही एकमात्र विकल्प है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाद ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक, इंजीनियरिंग आदि के अधुनातन ज्ञान का संवाहक है.

मानव सभ्यता हजारों वर्षों की विकास प्रक्रिया के बाद प्रजातंत्र और गणतंत्र के युग प्रवेश कर गयी है. अत: शासन, प्रशासन, प्रजातंत्रीय प्रणाली आदि के उत्तरोत्तर विकास के लिए इससे सम्बन्धित विशिष्ट जानकारी के लिए अनुवाद ही एक मात्र महत्वपूर्ण साधन है. इस प्रकार विधि, न्याय, प्रशासन, प्रजातंत्र आदि संबंधी ज्ञान के संवर्धन के लिए अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. राजनीति, कूटनीति तथा विदेशी राष्ट्र नीति के संवर्धन हेतु इसकी उपयोगिता की दृष्टि से अनुवाद और आशु अनुवाद का महत्व अनिवार्य है. एक देश दूसरे देश से राजनयिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि के निर्वाह के लिए शिष्ट मंडल, राजदूत मंत्री आदि को भेजकर आदान-प्रदान करता है. उस समय सदैव अनुवाद का सहारा लिया जाता है. धर्म, संस्कृति, दर्शन सम्बन्धी अन्त: सम्बन्धों के विकास के लिए अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है. मानव चेतना के उत्कर्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निर्वाह के लिए हमारे पास अनुवाद ही एक माध्यम होता है. अनुवाद विश्व मैत्री का साधन एवं भावात्मक एकता और राष्ट्रीय सामाजिक संस्कृति के विकास का सोपान है. विश्व व्यापार के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं. पर्यटन से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और प्रकृति के रम्य दृश्यों से परिचित होते हैं. इन सभी के लिए अनुवाद की भूमिका मूल्यवान है. तुलनात्मक साहित्य और सामान्य ज्ञान तथा विदेशी भाषा शिक्षण की दृष्टि से ज्ञानार्जन के लिए हम अनुवाद पर आश्रित हैं. मानव की प्रवृत्ति होती है अधिक से अधिक ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक जानना, अपनी जन्मजात जिज्ञासाओं के समाधान खोजना. इन सबमें अनुवाद ही हमारी सहायता करता है. संसार की लगभग सभी भाषाओं में रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य हो रहा है. स्पष्ट है कि फिल्मों और सीरियलों तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हम घर बैठे ही विश्व के घटनाचक्रों से, संसार की गतिविधियों से और विविध भाषाओं की कला चेतना से परिचित हो सकते हैं.

इस तरह हम देखते हैं कि अनुवाद की भूमिका मानव जीवन और मानव मूल्यों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में गुणात्मक एवं विशिष्ट है एवं आज अनुवाद केन्द्रीय स्थिति में है एवं भविष्य में अनुवाद ही हमारे सर्वमुखी विकास का सोपान बनेगी.

प्रेमा पाल
क्षे.का. कानपुर

हिंदी भारत की राजभाषा
अनेकता में एकता लाती है,
इसके सरल शब्दों से यह
हर मन को आसानी से जोड़ती है.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर को
सहजता से संधारण करती है,
भारत के सामाजिक प्रगति में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

व्यक्ति विकास से समाज विकास
और समाज विकास से राष्ट्र विकास,
देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में
निरंतर प्रोत्साहित करती है.
हिंदी भारत की राजभाषा
अनेकता में एकता लाती है.

विकास महांगरे
स्टा.प्र.कें. भोपाल

मैं और मेरी हिन्दी

न जाने मन में यह वहम क्यों आया है
मैं कौन हूँ मेरी भाषा क्या है
जन्मा अन्डमान में, पढ़ा केरल में
नौकरी की शुरुआत की कर्नाटक से,
मिली सरकारी नौकरी हिन्दी पढने से
मातृभाषा थी मलयालम
फिर भी कुछ तो खास है 'हिन्दी' में
इसलिए हिन्दी अधिकारी बन गया.
शुरुआत में अनजान थी हिंदी भाषा
आज मेरी संतुष्टि और अभिमान है हिन्दी भाषा
केन्द्र सरकार ने इसे बनाया राजभाषा
पर मेरे लिए है यह संपर्क और प्यार की भाषा
मेरी खुशियों के आंगन की भाषा,
चाह कर भी मैं इससे अलग नहीं हो सकता
इसे अपनी जुबान से हटा नहीं सकता, आखिर क्यों ?
मुझे लगता है कि जो हमारे सबसे करीब है
हमारे विचारों की वाणी है, हमारी भावनाओं का स्पर्श है
वही हमारे लिए सब कुछ है, मैं और मेरी हिन्दी ही
मेरे लिए सब कुछ है
जन्म भी हिन्दी दिवस के दिन हुआ
पत्नी भी हिन्दी प्राध्यापक है
बेटे और, घर का नाम भी ऋषिकेश है
मेरे हजारों मित्र भी हिन्दी वाले हैं
आज जो प्यार और सम्मान हिन्दी से
मिला है या मिल रहा है वो भी हिन्दी के कारण ही है
मेरे भाई बहन
मुझे हिन्दी भईया कह कर पुकारते हैं
जो प्यार और स्नेह मुझे हिन्दी से मिला
शायद न तो किसी और भाषा से मिल सकता है
न मिलेगा.
मैं और मेरी हिन्दी जीवन के राह में अग्रसर है
कभी मैं उससे कुछ सीखता हूँ
कभी औरों को सीखने के लिए प्रेरित करता हूँ
यह यात्रा यूं ही चलती रहेगी जीवन के अंत तक,
मैं रहूं न रहूं मेरी हिन्दी जरूर रहेगी.

राजेश के.
क्षे.का. कोषिक्कोड

समंदर की तलाश

लाख टूटें हौसले फिर भी
मन में आस धर
छोड़ टूटी पतवारें हाथों पर विश्वास कर
मंजिलों पे रुकना नहीं
पथ पे बढ़ते जाना है
दरिया गर मिल जाए तो
समंदर की तलाश कर

बैठ के अपनी किस्मत पे
तू क्यों हर पल रोता है
कर्म छोड़ कर भाग्य भरोसे
हरदम तू क्यों सोता है
इतना भी सब्र ठीक नहीं
जो दिनभर पत्थर ढोता है
बना अजंता एलोरा तू
उन्हीं पत्थरों को तराश कर
दरिया गर मिल जाए तो
समंदर की तलाश कर

सींचो जो ना उपवन तो
फूल नहीं वो देता है
मेहनत वाले छोड़ दें जितना
उतना ही क्यों लेता है
पहचान स्वयं को हे मानव
क्यूँ तू छोटा कहता है
तू नहीं है आम आदमी
अब तो खुद को खास कर
दरिया गर मिल जाए तो
समंदर की तलाश कर

देख तू सपने अंबर के
धरती पर कब तक दौड़ेगा
क्षमताएँ हैं तेरी मुट्ठी भर
ये मिथक कब तू तोड़ेगा
औकात बदल दे जो तेरी
वो सांचा कब तू फोड़ेगा
सोच बदल दे अपनी बंदे
और सबका तू विकास कर
दरिया गर मिल जाए तो
समंदर की तलाश कर

पंकज कुमार गुलिया
क्षे.का. चेन्नई (पश्चिम)

कठपुतली की तरह

ऐ ज़िंदगी
कभी तो मिल,
फ़ुर्सत में कुछ पल गुज़ारू
तेरे साथ सुकून के
भीड़ से दूर, बहुत दूर।

चाय की चुस्की के साथ
बहुत अनकही बातें करनी है तुझसे बयां
और कितने टूटे हुए सपने और
भीगे हुए अरमानों की सुनानी है तुझे दास्तां।

ना कभी जताई नाराजगी तुझसे
ना कभी तुझसे की कुछ शिकायतें
फिर क्यूं तू ना सुने मेरी बात
सिर्फ नचाते गये कठपुतली की तरह
मुझे तेरे हर एक इशारों पे।

कभी तू भी मुझे सुन
कभी तू भी मान ले मेरी बात
कभी थामने दे मुझे डोर मेरी जिंदगी की
और तू बैठ के देख तमाशा
कैसे मैं नचाती हूं तुझे
अपने हर एक इशारे पे!

अर्चना सेनापति
क्षे.म.प्र.का. भुवनेश्वर

संतुलन

जीवन से सीखी जाने वाली
सबसे बड़ी कला है, संतुलन.

कर्म और मर्म दोनों जरूरी है,
बस दोनों में हो संतुलन.

कर्मपथ की राह बड़ी कठिन है,
रास्ते में बाधाएँ है अपरंपार,

बस हमें रखना है संतुलन.

परिवार का सहारा,
सफर को आसां बनाती है,

और आसां होता है बनाना संतुलन.

समस्याओं से जूझते हुए,
इंद्रियों को चाहिए मानसिक संतुलन,

विचारों का मतभेद है लाजिमी,
चाहिए वैचारिक संतुलन,

परिवार को प्यार के धागे में पिरो को रखना है,

पारिवारिक संतुलन.

जब तक जिंदगी है,
सबसे जरूरी है समय और संतुलन,

समय पे हमारा बस नहीं,
बस बना सकते है संतुलन.

जीवन में सीखी जाने वाली
सबसे बड़ी कला है संतुलन.

रवि कुमार श्रीवास्तव
क्षे.म.प्र.का. वाराणसी

कुछ न कहना.....

कभी-कभी बहुत भला लगता है
चुप रहना और कुछ न कहना
शब्दों के जाल से दूर रहना,
सन्नाटे में विचरना .....
यूं ही आसमानों को तकना
और कुछ न कहना?

कभी-कभी बहुत भला लगता है
नन्हें बच्चों को देखना और कुछ न कहना
उनमें अपना बचपन निहारना,
पुरानी स्मृतियों को पुन: जीना;
स्कूल की छुट्टियों सी फुरसत ढूँढना
और कुछ न कहना?

कभी-कभी बहुत भला लगता है ...
उम्र होती हुई माँ के पास बैठना
और कुछ न कहना
उनके हाथों का सहलाना,
अपने बालों में तेल लगवाना
उनकी ममता की गर्माहट महसूस करना
और कुछ न कहना

कभी-कभी बहुत भला लगता है
अपनी बीतती ज़िंदगी देखना
और कुछ न कहना
बेटी, बहन, दोस्त, पत्नी, माँ
सभी किरदार यथाशक्ति निभाना
जुड़ी सारी जिंदगियाँ संवारना
और कुछ न कहना

कुछ अधूरी सी... कुछ पूरी सी
कभी मिर्ची सी.... कभी मिश्री सी....
कभी-कभी बहुत भला लगता है
रेत सी हाथों से फिसलती ज़िंदगी देखना
और कुछ न कहना

कविता श्रीवास्तव
क्षे.का. रायपुर

बैंकिंग उद्योग में हिन्दी के प्रयोग की व्यापकता

आर्थिक जगत के भूमंडलीय परिवेश में पिछले कुछ वर्षो में व्यापक बदलाव आया है, जिसमें से पिछले दशक में आर्थिक जगत में नित नए परिवर्तनों की आंधी सी आ गई है. किसी भी समाज या राष्ट्र के आर्थिक जगत की धुरी उस देश की बैंकिंग व्यवस्था होती है. सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ और अभिलाषाएँ भी परिवर्तित होती हैं, जिससे नव चेतना, नव उमंग का प्रादुर्भाव होता है. इन सबके परिणामस्वरूप बैंकिंग को भी तद्नुसार परिवर्तन करना पड़ता है. भूमंडलीकरण के साथ-साथ देशगत परिस्थितियों ने भी बाजार के स्वरूप में लगातार परिवर्तन करना आरंभ किया. इस परिवर्तन से जन-सामान्य के जीवन में भी बदलाव आना शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनके आर्थिक जीवन में भी प्रगति की नई किरणें आनी शुरू हुई और फिर आरंभ हुआ नवधनाड्य वर्ग का जिसने उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ाना शुरू किया. हमारे देश की उदार आर्थिक नीतियों से विश्व बाजार देश के बाजारों में दिखना आरंभ हुआ, जिसे बाजार में नए उत्पादों के आगमन के साथ जन-सामान्य में एक आकर्षण पैदा होने लगा. देश की आर्थिक स्थिति के सुधार होने की प्रक्रिया से जीवन शैली में वैभव की झलक मिलने लगी तथा बेहतर सुख और सुविधाओं की मांग बढ़ने लगी. इस प्रकार की आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन आदि ने जनसामान्य के मन में सपने सजाने शुरू किए तथा हैसियत से बढ़कर जीने की ललक ने व्यक्ति को बैंकों की ओर मुड़ने पर विवश किया. बैंकों ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया और नई-नई योजनाओं के साथ बेहतर सेवा प्रदान कर ग्राहक आधार बनाने लगा.

बैंकिंग एक सेवा उद्योग है और किसी भी सेवा उद्योग में ग्राहक भाषा का महत्व बहुत ज्यादा होता है. बैंकों में हिन्दी का प्रयोग कम और अंग्रेजी का अधिक होता है. जिसकी वजह से अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोगों को काफी परेशानी होती है. बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना न सिर्फ एक सांविधिक दायित्व है बल्कि इससे बैंकिंग कार्य जन-जन तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी और परिणाम स्वरुप कम पढ़े-लिखे लोग भी बैंकों में बेझिझक पहुंचकर अपनी लेनदेन की प्रक्रिया आसानी से कर सकेंगे. जिससे बैंकिंग कारोबार में भी काफी बढ़ोतरी हो सकती है. एक ओर सरकार द्वारा जन-धन योजना के तहत हर एक ग्रामीण का खाता खुलवाया जा रहा है लेकिन कितने लोग उसका लाभ उठा पाते हैं यह कहना मुश्किल है. जब तक ग्राहकों को उसकी भाषा में बैंकिंग सेवाएं नहीं मिलेंगी तो वो बैंक से जुड़ेंगे ही क्यों? अंग्रेजी नहीं जानने वाले देश के ग्राहक किसी बैंक से जुड़ जाएं तो अंग्रेजी के दम पर बैंक उसका शोषण करते ही रहेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा. बहरहाल सच यही है कि बैंकों में अंग्रेजी का बोलचाल कम नहीं हुआ तो हर बार हिन्दी दिवस के अवसर पर केवल हिन्दी की बात होती है फिर थम जाती है.

बैंकिंग के इस बदलते स्वरूप को एक प्रतियोगितापूर्ण तेज गति देने में विदेशी बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. विदेशी बैंकों की ग्राहक सेवा एक गति और आकर्षण लिए हुए थी. विदेशी बैंकों के परिसरों ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसर की परिकल्पना को एक नई ऊर्जा प्रदान की. बैंकों के सामने एक तरफ शहरी तथा महा-नगरीय जनता की आवश्यकताएँ थीं तो दूसरी ओर ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व भी था. इन दायित्वों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने बड़े आधार और विस्तृत ग्राहक अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं में इतना व्यापक परिवर्तन लाना आरंभ किया कि बैंक के स्टाफ तक हतप्रभ रह गए. बैंकों ने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाया जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई. प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग के लगभग सभी क्रियाकलापों को अपने अंदर समेट लिया जिसमें कार्यनिष्पादन की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. परिवर्तनों को बैंकिंग के सभी स्तरों पर देखा जाने लगा तो इन परिवर्तनों में बैंकों के बीच बेहतर होने की होड़ सी लग गई.

वित्तीय व्यवसाय सामान्यजन से जुड़ा है. पिछले दो दशक में बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थानों का स्वरूप काफी बदल गया है. घंटों-घंटों कतार में खड़े रहने वाला, थका देने वाला माहौल आज कितना आसान हो गया है. नई तकनीक के प्रचार व प्रसार, उसकी महत्ता, गुण, उपयोगिता ने आज मानव को उसके घर में ही सीमित कर, उसे पूरी तन्मयता के साथ नये-नये साधनों का प्रयोग करते हुए, एक छोर से दूसरे छोर तक संपर्क करने व लेन-देन करने के योग्य बना दिया है. आज तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, नये-नये आयामों को प्राप्त कर ले, फिर भी मूल इकाई क्या है, जिससे हमने लक्ष्यों को पाना है, कारोबार को बढ़ाना है, वह है- ग्राहक, उपभोक्ता, एक आम आदमी, जो हिन्दी ही जानता है, हिंदी ही समझता है, हिंदी ही बोलता है. बैंकिंग व अन्य व्यवसाय में हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है, आपको अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार हिंदी भाषा को बिंदु बना कर, उसे लक्ष्य मान कर करना होगा.

एक अत्यधिक तेज गति के साथ प्रगति करती हुई बैंकिंग दुनिया को बहुत जल्दी समझ में आने लगा कि ग्राहकों के लिए सारी व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ एकत्र कर लेने के बावजूद भी ग्राहक के बौद्धिक और भावनात्मक रूप को भी समझना आवश्यक है. इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए बैंक को विज्ञापन तथा ग्राहक संपर्क का सहारा लेना पड़ा तो यहां पर भाषा का महत्व प्रमुखता से उभरकर आया.

बैंकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर एक नया दायित्व आने लगा तथा बेहतर और प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए अधिकांश महाविद्यालयों में प्रशिक्षण मिली-जुली भाषा हिंदी और अंग्रेजी में दिया जाना आरंभ किया गया. इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने में पहली बार बैंकिंग

प्रशिक्षण में राजभाषा की उपयोगिता का सफल प्रशिक्षण हो सका तथा साथ ही साथ प्रशिक्षणार्थियों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया ने इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया.

बैंकिंग के विभिन्न विषयों पर अंग्रेजी में जितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उसकी तुलना में हिंदी में लिखी पुस्तकें काफी कम है. इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा उठाए गए कदम उल्लेखनीय है. हिंदी में बैंकिंग की नई विधाओं पर पुस्तकें हिंदी में आनी शुरू हो गई हैं जो अनुदित नहीं हैं बल्कि मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हैं. हिंदी की इन पुस्तकों द्वारा यह तथ्य स्पष्टतया उभरा है कि बैंकिंग के गंभीरतर विषयों को हिंदी में अभिव्यक्त किया जा सकता है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि साहित्य, रंगमंच, फिल्मों तथा बोलचाल में अपनी उपयोगिता और धाक जमानेवाली हिंदी के लिए बैंकिंग प्रशिक्षण के लिए साहित्य सरल, सहज और सर्वमान्य भाषा में दे पाना हिंदी भाषा की विशिष्टता का द्योतक है. यदि बैंककर्मियों की हिंदी भाषा के प्रति रूझान का विश्लेषण किया जाए तो अभी भी वह लिखित रूप की तुलना में बोलचाल के रूप में ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है. बैंकिंग प्रशिक्षण में उपयोग में लाई जानेवाली मिलीजुली भाषा सर्वाधिक लोकप्रिय है जिसमें यह स्वतंत्रता रहती है कि जब चाहें तब हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें. भारतीय रिज़र्व बैंक मिली-जुली भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा के प्रयोग की सिफारिश करता है तथा रिपोर्ट में भी मिली-जुली भाषा विषयक कोई कॉलम नहीं है. यह संकाय-सदस्यों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यदि अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है तो उसमें केवल हिंदी में चर्चा करने पर सम्प्रेषण की समस्या हो सकती है.

भारत गांवों में बसता है और सबसे अधिक आवश्यकता इन्हीं ग्रामीण लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की है. यह वर्ग अधिकांश हिंदी भाषा ही समझता है और बोलता है. आज बैंकिंग व अन्य वित्तीय व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा है, चुनौती है, आगे बढ़ने की होड़ है, क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है, तो ऐसे में तो हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है. जो भी तकनीक आम आदमी से जुड़ी है, उसमें असीम वृद्धि की हमारे यहां गुंजाइश है, अपेक्षा है. हमारी अर्थव्यवस्था उठान पर है, इसलिये तकनीक का प्रयोग करने वालों की संख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है. यह बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थानों में हिंदी को महत्व देने व उसके प्रचार-प्रसार के कारण ही है.

आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है, जबकि हिंदी सरल एवं वैज्ञानिक भाषा है. हिंदी जानना, बोलना और लिखना पिछड़ेपन की निशानी नहीं, अपितु यह तो गरिमामयी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है. हिंदी राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता का प्रतीक ही नहीं, भारत की आत्मा की आवाज़ है. यही आवाज़ बैंकिंग व अन्य वित्तीय व्यवसाय में हिंदी की महत्ता को समझते हुए जब गुंजायमान होगी, तो हिंदी हिन्द का गौरव होगी, माँ भारती के माथे का तिलक होगी. जब हिंदी का बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थानों में भरपूर प्रयोग होगा, जन-जन तक लोगों को अपनी भाषा में योजनाओं की जानकारी मिलेगी, उनका लाभ उठा कर, अपने व्यवसाय को, रोजगार को, अपनी दुकान, अपने कार्य को बढ़ावा देकर गति देंगें, तो देश भी प्रगति के रास्ते पर चल पड़ेगा, दौड़ेगा, उम्मीदों के आसमाँ को अपने कदमों में ले आएगा. उसके साथ-साथ देश का भी विकास होगा और वह तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा.

वित्तीय व्यवसाय में हिन्दी को तभी सम्पूर्ण महत्व मिल पाएगा, जब सूचना प्रौद्योगिकी को अपने अंदर आत्मसात कर लेगी. यह तकनीक भी अपने प्रवाह के लिये भाषा का माध्यम ढूंढती है और जनभाषा से बेहतर कोई अन्य सशक्त माध्यम नहीं हो सकता. इस कारण ही विश्व के किसी भी कोने तक हमारा संपर्क हो गया है. आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने घर पर या कार्यालय में बैठे अपने अन्य कार्यालयों में काम कर रहे लोगों से संवाद कर सकते हैं. यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अधिकतर हिंदी में ही होती है. आम कम्प्यूटर उपभोक्ता के कामकाज से लेकर डाटा बेस तक में हिंदी पूरी तरह उपलब्ध है.

ईमानदारी, निष्ठा, आत्मविश्वास से भरा प्रयास एक दिन हिंदी को आसमां की ऊंचाईयों तक ले जाएगा. हिंदी का अधिकतम प्रयोग ही, बैंकिंग व अन्य वित्तीय व्यवसाय को प्रगति देगा, उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, आखिर अधिकांश लोगों की भाषा,जन-जन की भाषा को कैसे नकार सकते हैं. रोजमर्रा के काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना ही है, सरलतम, सुलभ ढंग से नित नई तकनीक का प्रयोग कर, हर आदमी की पहुंच में, आम आदमी की पहुंच में ला कर ही बैंकों व अन्य सभी वित्तीय संस्थानों के लिये अपने लक्ष्यों को पाना आसान होगा. सभी वित्तीय संस्थानों ने, हिंदी के महत्व को, हिंदी की महत्ता को अमीर-गरीब, बड़े-छोटे, सभी ने अनुभव किया, महसूस किया. इन्हीं सब वर्गों के ग्राहकों ने ही हिंदी की सुलभता, सरलता को अपना कर, जुड़ कर, आज बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थानों के क्षेत्र को व्यापक आकाश में देदीप्यमान कर दिया है. ग्राहक की अपेक्षा व महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही है. यह ग्राहक अधिकतर हिंदी-भाषी हैं. अंग्रेजी के वर्चस्व के बावजूद भी हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है. राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रभाषा के प्रति अगाध प्रेम इन संभावनाओं को कभी मिटा नहीं सकता. इससे एक नया आयाम, नया आकार मिलेगा. हम सब मिल कर इसे एक नया जोश प्रदान करेंगे नित नई आशाओं को मूर्त रूप देने में हिंदी की महती भूमिका है. यही भूमिका ही नये रंग व नये आयाम में प्रस्तुत होगी. इरादा मजबूत हो तो हर चुनौती का पूर्ण समाधान होगा. इरादों को कभी बांधा नहीं जा सकता.

मयंक गुप्ता
क्षे.का. कानपुर

समय की सीध पर चलता साहित्यकार

- डॉ सुनील केशव देवधर

डॉ. सुनील केशव देवधर को मराठी और हिन्दी के बीच सेतु के रूप में जाना जाता है. आप आकाशवाणी, पुणे से जुलाई, 2016 में सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए आपने एम. ए. (अर्थशास्त्र/हिन्दी) में किया एवं पीएचडी (हिन्दी) में, बी. सी. जे. (पत्रकारिता) में किया है. आपकी प्रकाशित कृतियाँ हैं -

'मत खींचो अंतर रेखाएं, मोहन से महात्मा, आकाश में घूमते शब्द,
संवाद अभी शेष है, संवादों के आईने में (साक्षात्कार),
लिखी कागद कोर, बड़े अनमोल गीतों के बोल,
शब्द कलश, वाणी संचार-रेडियो प्रसारण

आपने अनुवाद का कार्य भी किया है. नेशनल बुक ट्रस्ट से अनुवाद की चार पुस्तकें प्रकाशित, जिसमें मराठी का प्रथम यात्रा वर्णन समझी जाने वाली पुस्तक - 'माझा प्रवास' का हिन्दी अनुवाद - 'मेरी यात्रा' भी शामिल हैं.

श्री सुनील देवधर से हमारी संवाददाता सुश्री पूजा वर्मा की बातचीत :

प्रश्न : सर, अपने बारे में एवं अपनी यात्रा के बारे में बताएं?

उत्तर : सबसे पहले मैं यूनियन बैंक के जरीए आप सबसे जुडने का जो अवसर मुझे मिला है, इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ. मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृहनगर छतरपुर से हुई. वहीं मेरा बचपन बीता एवं वहाँ के महाराजा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की अर्थशास्त्र में! फिर दोबारा स्नातकोत्तर किया हिन्दी से! लेकिन मुझे नौकरी स्नातकोत्तर करने के पश्चात् ही मिल गई थी, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे साहित्य की जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैंने हिन्दी में एम. ए. कर लिया. मेरा बचपन संघर्षपूर्ण रहा. 13 वर्ष की आयु में पिता का हाथ सर से उठ गया, 40 वर्ष की आयु में माता जी का स्वर्गवास हुआ एवं 48 बर्ष की आयु में मेरी अर्धांगिनी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई. जीवन का यह पक्ष दुख भरा रहा पर मेरा विश्वास है कि व्यक्ति को दु:ख में ईश्वरवादी होना चाहिए. मैं भाग्य के भरोसे नहीं हूँ लेकिन ईश्वरवादी जरूर हूँ और अपने परिश्रम पर मुझे विश्वास है. हमनें जो भी हासिल किया नि:संदेह ही हमारा अपना परिश्रम है. मेरा चयन नये खुले ऑल इंडिया रेडियों के लिए हुआ. हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मित्रों ने कहा, "तुम ऑडिशन के लिए जाओ. तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है." मैं गया और मेरा चयन हो गया. वहां मैं लगभग 11 वर्षों तक रेडियो अनाउन्सर रहा. मेरा मन जरूर था कि मैं लेक्चरर बनूं और वह बात पुणे आने के बाद पूरी हो गई. नौकरी लगने के बाद 1991 में मेरा चयन यूपीएससी द्वारा प्रोग्राम एक्जिक्यूटीव के लिए हुआ और हम मुंबई आ गए. मराठी में एक कहावत है, 'गरुड भरारी' - मतलब बाज की ऊंची उडान! मेरे रिश्तेदारों ने कहा- "आप छत्तरपुर से मुंबई आ गए. क्या इतनी ऊंची उडान आप कर पाएंगे?" तब मैंने कहा काम, का स्वरूप तो एक ही है और जब पंख मजबूत है तो छलांग कितनी भी ऊंची हो, उससे फर्क नहीं पड़ता.

प्रश्न : आप अपने कार्यकाल का कोई रोचक किस्सा सुनाए

हमने एक प्ले किया था उसमें मैंने अभिनय भी किया. यह ग्रीक ट्रेजेडी का रूपांतरण था, जिन्होंने इसका रूपांतरण किया था, उनका नाम सिद्धार्थ था. वो भी वहां आए थे. उन्होंने कहा 'जिसने प्रेमेचियस का रोल किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ.' मैंने कहा 'मैं ही वह आदमी हूँ, जिसने वह रोल किया है' तब उनके मुंह से निकला शब्द 'अद्भुत' मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था.

साक्षात्कार के दौरान उपस्थित अंचल प्रमुख श्री आलोक कुमार; क्षेत्र प्रमुख, श्री वेद प्रकाश अरोड़ा; एंथनी बारा, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा(क्षेमप्रका), कृष्ण कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा (स्टा.प्र.म.), पूजा वर्मा, प्रबंधक राजभाषा (क्षे. का. बेंगलूरू दक्षिण).

प्रश्न : आपकी उड़ान छतरपुर से मुंबई और बाद में आप विदेशों में भी कार्यक्रमों का संचालन करते रहे, तो यह अनुभव कैसा रहा?

उत्तर : रेडियों का अपना एक दायरा है. रेडियों में मैं कार्यक्रमों का संचालन करता था. मैंने लगभग 125 साक्षात्कार एवं उतनी ही परिचर्चाओं का संचलन किया हैं. लोगों को मेरी आवाज पसंद आयी और उन्होंने पूछा, 'क्या आप संचालन करने विदेश चलेंगे?' मैं पहली बार गया फिर दूसरी बार सिंगापूर गया. दोबारा अवसर मिलना आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता हैं, उसके लिए आपको खुद को साबित करना पड़ता हैं अन्यथा वह अंतिम अवसर हो जाता है. लेकिन मैंने अपने पद को कभी अपने सर पर हावी होने नहीं दिया.

प्रश्न- आपने काफी रचनाएं की हैं, अनुवाद, शोध किया, आपके हिसाब से आपकी सबसे उत्कृष्ट कृति कौन सी हैं''

उत्तर : लेखक को अपनी सभी रचनाएं अच्छी लगती हैं. पर वह लिखते समय खुद को अलग-अलग बाँट लेता है. जब कविता लिखता है तो कवि बन जाता है, जब अनुवाद करता है तो अनुवादक! जब वह स्वतंत्र लेखन का कार्य करता है तो केवल लेखक है! रेडियों में जो लेखन की तमाम विधाएं हैं उन सबमें मुझे कुशलता हासिल है और रेडियो रूपक लिखने में मुझे रुचि भी थी और कुछ अच्छे रुपक मुझसे बन गए जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुए. रेडियो की विडंबना है कि जब तक आप ना लिखे आपका लिखा हुआ, हवा में विलीन हो जाता है. इसलिए मैंने दो रूपक संग्रह प्रकाशित किये - 'मोहन से महात्मा' और 'आकाश में घूमते शब्द'.

प्रश्न : आपने काफी रचनाओं का अनुवाद भी किया है, आप हिन्दी और मराठी की रचनाओं में क्या अंतर, विशेषता पाते हैं?

उत्तर : देखिए, हर भाषा की अपनी एक शैली होती है और जहां तक विषय की बात है, समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वह हर साहित्य में उसी तरह मिलता है. प्रश्न होता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं. मेरे हिसाब से एक सीधा सिद्धांत है जो मैंने सीखा है और समझा भी है. एक श्रेष्ठ अनुवादक हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा, डॉ दामोदर खड़से. उनके साथ अनुवाद को लेकर काफी बातें होती हैं. वे कहते हैं - 'ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ा जाए ना ही कुछ छोड़ा जाए', अनुवाद में यह सबसे जरूरी है कि उसकी मौलिकता रहे. इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते. मेरा मानना है कि कोई भी शब्द किसी शब्द का पर्याय नहीं होता क्योंकि कौन सा- शब्द कहां इस्तेमाल करना है, यह बात उस वाक्य की रचना पर निर्भर करता है. भले ही शब्द एक से लगे पर आपको जहां 'असंख्य' इस्तेमाल करना है वहाँ आप 'अनंत' का इस्तेमाल नहीं कर सकते. मराठी-हिन्दी की लिपि एक है, शब्द भी एक से हैं पर उपयोग और उच्चारण अलग होता है. मराठी में संसार मतलब गृहस्थी और हिन्दी में संसार मतलब दुनिया- उच्चारण लगभग एक सा है पर अर्थ अलग है. मैंने अब तक लगभग 10-12 मराठी पुस्तकों का अनुवाद किया है.

प्रश्न : आपके 'एक पल का मधुमास' - स्वर गीतों की कृति के बारे में कुछ बताएं.

उत्तर : असल में आकाशवाणी में मेरी शुरुआत युवा कवि के रूप में हुई. मैं कविताएं लिखता था, गीत लिखते थे. बाद में मुझे एहसास हुआ मुझसे कुछ ऐसे गीत बन पड़े हैं, जिनसे ऋतुओं की कहानी गीतों की जुबानी बन पड़ी है. हमने उसका शीर्षक दिया, 'एक पल का मधुमास- ऋतुओं की कहानी गीतों की जुबानी' उसमें सभी ऋतुओं के गीत है. साथ ही होली, नया साल, गुजरा हुआ साल आदि भी है. यह कुल 8 गीतों की सीडी है, जिसमें मेरी कमेंट्री भी है.

प्रश्न : आप लेखक, कवि, संचालक हैं, आपने अभिनय भी किया है, इस बारे में हमारे पाठकों को बताइए.

उत्तर : 'जरीना का क्या होगा' की निर्माता और लेखिका हमसे कभी कभी सलाह मशवरा भी कर लेती थीं. उन्होंने कहा, 'हम लोग चाहते है कि इसमें जो प्रोफेसर का किरदार है, उसमें आपको ही देखते हैं. मैंने कहा, ठीक है. इस फिल्म के लिए जिस तरह के सेट की जरूरत थी, वह सेट भी जहां मैं इंस्टिट्यूट में पढ़ाने जाता था वहीं पर उन्हें मिल गया. कहानी में जरीना अपने मजहब और पर्दाप्रथा के खिलाफ कुछ कह देती है.

प्रश्न : आप डबिंग एवं वॉयस ओवर आर्टिस्ट का काम भी करते हैं, वह क्या है?

उत्तर : आप डाक्यूमेंट्री में देखते है कि एक पूरा नरेशन रहता है जिसे वॉयस ओवर कहते है. कलाकारों के लिए अपनी आवाज देने का

काम भी मैंने किया है. यह सिर्फ डबिंग नहीं है, वॉयस एक्टिंग भी है. मैं वॉयस ओवर, डबिंग और वॉयस कल्चर की क्लास लेता हूँ. उसमें अभिनय की भी बात होती हैं. आप केवल आवाज नहीं देते है. यदि किसी व्यक्ति की आवाज में आप डब कर रहे हैं तो वो अभिनय भी है. वॉयस ऐक्टिंग, डबिंग और वॉयस ओवर तीनों अलग बातें हैं.

प्रश्न : इस क्षेत्र के प्रति युवाओं का कैसा रुझान है?

उत्तर : युवाओं का रुझान तो बहुत अच्छा है लेकिन युवाओं को यह भी एक रोजगार का अवसर है इसका पता नहीं है. मैं रेडियों प्रजेंटेशन और राइटिंग पर सत्र लेता रहा हूँ, माध्यमों की तरफ कॉलेजों का रुझान नहीं था, सिर्फ पढ़ने के लिए रखेंगे तो काम नहीं चलेगा. आपको उसकी उपयोगिता भी बतानी होगी. मैं अपने सत्र में यह सब बताता हूँ. अब लोगों का रुझान बढ़ा है. लोग फिल्म विषयों में पीएचडी कर रहे हैं. हिन्दी में पीएचडी करने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं.

प्रश्न : आज कल का युवा आकाशवाणी नहीं सुनता, एफ़एम से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी उसका रुझान कम है, क्या कहेंगे?

उत्तर : यह समय की महिमा है. समय के हिसाब से बदलना पड़ता हैं. जहां तक पारंपरिक रेडियो, आकाशवाणी का प्रश्न है तो हमारे पास जो विषय की विविधता थी, वो अब नहीं रही. अब ना नाटक है, ना रुपक है, ना विविध विषयों की वार्ताएं हैं. फिल्मी गीतों की प्रस्तुति में भी विविध भारती का वह स्टाइल नहीं है और आकाशवाणी कभी प्रतियोगिता में नहीं थी. प्रतियोगिता और प्रतिबद्धता में आकाशवाणी ने प्रतिबद्धता को सामने रखा. लोग नए एफ़एम को पसंद तो करते हैं पर एक समय के बाद इससे ऊबना भी है. अभी-अभी मैं अमेरिका में प्रेजेंटेशन करके आया हूँ. वहां भी नए गानों की बात नहीं होती. सिर्फ लता, नौशाद, किशोर के गानों की बात होती है. पुराने गीतों में लय है, जोकि प्रकृति के साथ जुड़ती है. जहां आप लय से अलग हो जाएंगे, प्रकृति से अलग हो जाएंगे और आपको वह याद नहीं रहता. यही कारण है, आप नए गीत जल्दी भूल जाते है और पुराने सदाबहार गीतों को याद रखते हैं.

प्रश्न : आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

उत्तर : पुरस्कार सभी को प्रिय होते हैं. जब मैं पुणे आया तो मेरी पुस्तक 'मोहन से महात्मा' के लिए महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, दूसरा अकादमी पुरस्कार वसंत गोवारीकर जी की पुस्तक 'कथा इसरो की' के अनुवाद के लिए, तीसरा मराठी भाषी हिन्दी लेखक वर्ग का पुरस्कार है, गजानन माधव मुक्ति बोध पुरस्कार! उनके नाम का पुरस्कार मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का सौहार्द सम्मान, हैदराबाद के आनंद ऋषि साहित्य निधि का भी पुरस्कार मिला है तो पुरस्कार से जिम्मेदारी तो बढ़ती है. वैसे पुरस्कार छोटा हो या बड़ा प्रसन्नता होती है.

प्रश्न : डॉक्यूमेन्टरी वर्ग में आकाशवाणी का वार्षिक पुरस्कार 'जिंदा कहानियां' के लिए मिला है- उसके बारे में....

उत्तर : 'जिंदा कहानिया' यह एक पूरी सीरीज थी. इसमें महिलाओं के संघर्ष को बताया गया है. इसमें नसीमा हुजरो, सिन्धुताई सपकाल, सुनीता ताई आदि 13 महिलाओं के नाम है. यह बेहद पसंद की गई. इसका शीर्षक गीत भी मैंने लिखा था. इसे आज भी हमारे संग्रहालय में सहेजकर रखा गया है. जब यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो सिंधुताई जी की कहानी सुनकर लोग उनकी मदद करने आगे बढ़े.

प्रश्न : हिन्दी के प्रति लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है?

उत्तर : सबसे बड़ी दिक्कत मानसिकता ही है. यदि आप हिन्दी में बात करते हैं तो कुछ कमतर है, कम ज्ञान रखते है, ऐसी धारणा होती है. हिन्दी भाषा मानसिकता की ही बात है और इस मानसिकता को बदलने के लिए आत्म विश्वास की जरूरत है. हिन्दी जानने वाले भी हिन्दी अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते और दक्षिण का हौआ खड़ा कर देते है. राजनीतिक कारण हो सकते हैं पर लोग हिन्दी में आना चाहते है क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र व्यापक है. एक चीनी प्रोफेसर ने कहा था कि जब भारतीय चीन जाते हैं तो द्विभाषिकता में अंग्रेजी की मांग करते हैं ना कि हिन्दी की! दूसरी बात अंग्रेजी केवल 5 देशों की मातृभाषा है. हमारा देश आज भी बिना किसी मातृभाषा के है. हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा में फंस कर रह गए हैं और जब तक किसी चीज को आप अनिवार्य नहीं करते हैं तो उसमें काम नहीं होता. लोगों को अगर रोजगार के अवसर दिखेंगे तो लोग हिन्दी को अपनाएंगे. वैसे अवसर तो हैं पर लोगों को उनकी जानकारी नहीं है. सबसे जरूरी है राजाश्रय. जब तक सख्ती नहीं होगी, लोग नहीं करेंगे.

प्रश्न : आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे?

उत्तर : समय को ! कोई भी काम मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वहीं जो लड़ा नहीं. आप लड़ो, लड़ने का साहस है तो आपको कोई रोक नहीं सकता.

पूजा वर्मा
क्षे.का.बेंगलूरु (दक्षिण)

वैश्विक स्तर पर हिन्दी की लोकप्रियता

भारत वर्ष में सबसे अधिक बोली, समझी और लिखी जाने वाली भाषा हिंदी है. विश्व में भी यह चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था. हिंदी जन साधारण द्वारा बोली जाने वाली एक सरल भाषा है. हिंदी पुरातन भी है और आधुनिक भी. इसी विशेषता के कारण हिंदी को भारत की राजभाषा का सम्मान प्राप्त है.

हिन्दी की शक्ति और क्षमता से हम भली-भांति परिचित हैं. महात्मा गांधी ने कहा था कि 'राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है.' हिंदी भारतवर्ष की विविधता में एकता का भी प्रतीक है. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, सी. राजगोपालाचारी जैसे महापुरुषों ने हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में अपनाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी.

भले ही अंग्रेज़ी मानसिकता वाले अँग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ भाषा मानते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर, जो एक हिंदी दैनिक है, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार है. टीवी पर भी सबसे अधिक हिंदी के समाचार, विज्ञापन एवं कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और वेब मीडिया पर भी हिंदी का ही बोलबाला है. आज मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, सयुंक्त अरब अमीरात आदि देशों में हिंदी बोली जा रही है. अमेरिका में भी अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी ही है.

उत्पादों का विज्ञापन हो या प्रचार-प्रसार की भाषा हो, जब तक वह हिंदी में नहीं होगी तबतक किसी उत्पाद को भारत में बेचने में मुश्किल होगी. बड़े बाजार होने के कारण ही अंग्रेजी व दूसरी विदेशी भाषाओं वाले फिल्मों को हिंदी में डब किया जा रहा है. इतना ही नहीं दक्षिण भारत एवं पंजाबी फिल्मों को भी हिंदी में डब किया जा रहा है. जाहिर है, हिंदी के विस्तार में भारतीय बाजार बड़ी भूमिका निभा रहा है.

आजादी से पहले भी हिंदी लोगों के बीच एक संपर्क भाषा थी. उस समय भी हिंदी जनसंचार, संवाद और संपर्क की भाषा थी. इससे पता चलता है कि हिंदी शुरू से ही व्यावहारिक और लोकप्रिय भाषा रही है. इसी वजह से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रयोग में तेजी से इजाफा हो रहा है. वैश्विक भाषा बनने की पहली शर्त होती है कि अधिक से अधिक लोग उस भाषा में संवाद करें, उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता हो, उसका साहित्य समृद्ध हो आदि. इन सभी कसौटियों पर हिंदी भाषा खरी उतरती है. आज विश्व के अनेक देशों के करोड़ों लोग हिंदी लिखते व बोलते हैं.

आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया है. हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है. आज विदेशों में अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है. ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें भी बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखीं जा रही हैं. सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है.

भूमंडलीकरण और बाजारवाद की वजह से हिंदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है. आज दुनिया एक गाँव बन गयी है, विश्व के किसी भी देश में जाना बहुत ही आसान है. कोई भी देश तभी मजबूत हो सकता है, जब उसका अंतर्देशीय कारोबार उम्दा हो. भारत का बाजार बहुत ही बड़ा है और इसके विस्तार की अभी भी गुंजाइश है. भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदी भाषी है. अत: भारतीय बाजार में घुसने का रास्ता हिंदी भाषा के रास्ते से होकर गुजरता है. हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है और जितना अधिक हम हिंदी और प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में करेंगे, उतनी ही तेज गति से भारत का विकास होगा.

हिंदी भारतीयता की चेतना है तथा सभी प्रांतीय भाषाओं की संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है. हिंदी और भारतीय प्रांतीय भाषाओं के साहित्य के परस्पर अनुवाद को हमें बढ़ावा देना होगा.

हिंदी और भारतीय प्रांतीय भाषाओं के साहित्य के परस्पर अनुवाद को बढ़ावा देने से हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं में संबंध और गहरा होगा. लोगों को एक दूसरे के ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होगा. भारत में लोग जब यह समझेंगे की हमारा अतीत और वर्तमान और हमारा साहित्य और संस्कृति एक है, तब राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होगी. भारत सरकार द्वारा विकास योजनायें तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं.

इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं. विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है. सरकार द्वारा हिंदी में अच्छे कार्य के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शील्ड प्रदान की जाती है. हिंदी में लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का प्रावधान है. आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार पुरस्कार प्रदान करती है. इन प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.

कुलदीप कुमार
क्षे.का. कानपुर

सेटेलाइट चैनलों में हिंदी

हिंदी की व्यापकता हर ओर, हर मोड़ पर हिंदी है.
मीडिया हो या मनोरंजन चैनल, हर छोर पर हिंदी है.
भारत के जन-जन को जोड़े, संवाद का यह मार्ग गढ़े,
इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर धूम मचाए, सबको भाए हिंदी है.

परिचय: यदि वर्तमान युग को हम सेटेलाइट युग कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने हमारे जीवन शैली तथा मनोरंजन के तौर-तरीकों को भी प्रभावित किया है. आज के युग में हम जहां अधिक से अधिक समय अपने टेलिविज़न चैनलों के सामने व्यतीत करने लगे हैं तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों ने हम सबको इस तरह अपने आगोश में बांध लिया है कि हम उन कार्यक्रमों को बिना देखे रह ही नहीं सकते. यदि भारत की बात करें तो इन सेटेलाइट चैनलों में भाषा के रुप में हिंदी ने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है उसने भाषा को गौरवान्वित किया है.

किसी भी मीडिया या चैनल के लिए एक प्रखर तथा प्रभावी भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है. हमारा देश भारत एक बहुभाषी एवं बहुआयामी देश है. वर्तमान समय में देखें तो हिंदी एवं विभिन्न उपग्रह चैनलों ने जिस तरह से आपस में भाषायी संबंध बनाकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है वह गौर करने वाली बात है.

सेटेलाइट चैनलों का संक्षिप्त इतिहास : जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बढ़ रहा है वैसे-वैसे मनुष्य की बहुत सारी सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं. सेटेलाइट चैनल मुख्यत: पूर्णत: तकनीक पर आधारित प्रसारण होता है जिसमें सेटेलाइट की मदद ली जाती है. प्रसारण के स्थान से विभिन्न दृश्य एवं ध्वनि तरंगों को सेटेलाइट के माध्यम से ट्रांजिट किया जाता है तथा पूरे विश्व में रिसिवर द्वारा प्राप्त कर इन तरंगों को डिकोडिंग करते हुए टेलिविज़न के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है. हिन्दी टेलीविजन का आरम्भ से आज तक की यात्रा प्रारंभ में काफी धीमी रही है. किन्तु 1990 के दशक के पश्चात इसने गति पकड़ी और इस समय भारत में हिन्दी टेलीविजन चैनलों की बाढ़ आ गयी है. वर्ष 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निजी उपग्रह चैनलों के पदार्पण के उपरांत यह प्रक्रिया और तेज हो गई. रेडियो की तरह टेलीविज़न ने भी मनोरंजन कार्यक्रमों में फ़िल्मों का भरपूर उपयोग किया और फ़ीचर फ़िल्मों, वृत्तचित्रों तथा फ़िल्मी गीतों के प्रसारण से हिंदी भाषा को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के काम को आगे बढ़ाया. सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा धार्मिक विषयों को लेकर बनाए गए हिंदी धारावाहिक घर-घर में देखे जाने लगे. रामायण, महाभारत, हमलोग, भारत एक खोज जैसे धारावाहिक न केवल हिंदी भाषा के प्रसार के वाहक बने बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र भी बन गए. देखते-ही-देखते टीवी कार्यक्रमों से जुड़े लोग फ़िल्मी सितारों की तरह चर्चित और विख्यात होने लगे. समूचे देश में टेलीविज़न कार्यक्रमों की लोकप्रियता के बदौलत देश के हिंदीत्तर भाषी लोग हिंदी समझने और बोलने लगे.

टेलिविज़न की भाषा का दर्शकों पर प्रभाव : कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है, देखता है एवं सुनता है वैसा ही करने की कोशिश करता है. आज के संदर्भ में यदि हम टेलिविज़न एवं टेलेविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को छोड़कर घर की बात करें तो वह असंभव हो जाता है. हर टेलिविज़न चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषाएं हमारे लिए एक आधार बनती है तथा भाषा की एक बुनियाद भी गढ़ती हैं.

चैनलों में प्रयुक्त हिंदी भाषा का स्तर : हम जानते हैं कि किसी भी संवाद के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है. यूं कहें कि भाषा ही किसी संवाद की प्रमुख जड़ होती है. भाषा हमारे विचारों तथा भावनाओं को संप्रेषित करती है. जो कुछ भी हमारे अंत:स्थल में घटित होता है उसके अभिव्यक्ति का माध्यम मुख्यत: भाषा ही होती है. हमारे द्वारा प्रयुक्त भाषा हमारे चरित्र, ज्ञान तथा संस्कारों को व्यक्त करती है. भाषा हमारे संस्कृति की वाहक भी होती है.

दूरदर्शन चैनल में प्रयुक्त हिंदी भाषा का स्वरुप : सेटेलाइट चैनल की जब भी बात होती है तब हम अनायास दूरदर्शन के प्रसारण की तरफ रुख करते हैं. दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों को भी

हम प्रमुखतः दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं. एक तब का जब केवल दूरदर्शन चैनल ही हमारे घरों तक पहुंचता था. दूसरा वह जो दूरदर्शन अब हमारे घरों में पहुंच पा रहा है. वर्ष, 1990 के पूर्व में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था वह भाषा वर्तमान तकनीकी एवं मीडिया प्रभाव से कम प्रभावित भाषा होती थी. परंतु अभी दूरदर्शन सहित अन्य चैनलों पर प्रयुक्त भाषा पर मीडिया प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का भी काफी प्रभाव देखा जा सकता है. तत्कालीन कार्यक्रमों में हिंदी भाषा का स्तर उच्च कोटि का होता था.

हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि वर्तमान में दूरदर्शन सहित अन्य उपग्रह चैनलों में प्रयुक्त भाषा का स्तर नीचा है लेकिन यह भी रेखांकित करना चाहते हैं कि तब और अब में भाषा स्तर पर अंतर साफ देखा जा सकता है.

वर्तमान हिंदी चैनलों में प्रयुक्त भाषा का स्तर: हम यहां कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं जिनके आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किस प्रकार हिंदी के शब्दों के प्रयोग में निरंतर बदलाव आया है. हालांकि हमें यह भी याद करना चाहिए कि भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है. परंतु यह परिवर्तन कई स्तरों पर होता है जिसे हम संज्ञान में लाना चाहते हैं. उदाहरणस्वरुप, एक शब्द पहले चैनलों पर आरोपी या फिर मुजरिम के स्थान पर आज धड़ल्ले से क्रिमिनल या फिर क्राइम शब्द को हिंदी कार्यक्रमों में प्रयोग में लाया जा रहा है. उसी तरह नृत्य आधारित कार्यक्रमों को डांस प्रोग्राम या फिर गीत आधारित कार्यक्रमों को म्यूजिकल नाइट या फिर लिटिल चैम्प्स का नाम दिया जा रहा है. ऐसे शब्दों के प्रयोग से इसके हिंदी के विकल्प का विलोपन संभव हो सकता है.

विभिन्न प्रकार के सामाजिक धारावाहिक के नाम पर पारिवारिक पृष्ठभूमि में हिंदी के दूसरे दर्जे के शब्दों का प्रयोग कर दर्शकों के बीच सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है. इन धारावाहिकों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक दर्शकों को बटोरना होता है न कि किसी भाषा को संरक्षण अथवा उन्हें समृद्ध करना होता है.

परंतु इसके साथ ही 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे कार्यक्रमों तथा अमिताभ बच्चन जैसे उद्घोषकों ने लगभग पूरे देश को हिंदी भाषा के माध्यम से एकसाथ बांधे रखा. हिंदी में प्रसारित ऐसे कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और दक्षिणी राज्यों के प्रतियोगियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इस तथ्य को दृढ़ता से उजागर किया कि हिंदी की पहुंच समूचे देश में है.

वर्तमान में 'सब टीवी' पर दिखाए जाने वाला धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने सरल एवं सहज हिंदी भाषा के स्वरुप को दर्शाकर जो लोकप्रियता हासिल की है वह हिंदी भाषा के उत्थान तथा प्रचार-प्रसार के लिए उदाहरण स्वरुप है. इस पूरे धारावाहिक जोकि पिछले कई वर्षो से टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, की लोकप्रियता के मुख्य कारणों में से एक इसकी पटकथा, संवाद तथा प्रस्तुतिकरण माना जा रहा है.

हिंदी भाषा में बदलाव के कारण: भूमंडलीकरण का असर: वर्तमान वैश्विक परिवेश में भूमंडलीकरण का असर विभिन्न भाषाओं पर भी होता देखा जा सकता है. हिंदी भाषा भी इससे अछूती नहीं रही. उपभोक्तावादी दुनिया में भौतिकवादी विचारों तथा उत्पादों की महत्ता बढ़ती रही एवं भाषाएं इससे प्रभावित होती रही. भारत एक विकासशील देश है. पूरी दुनिया भारत को एक विश्व बाजार के रुप में देखती है. सभी प्रमुख विकसित देश अपने देश के निर्मित माल को भारत के बाजार में बिक्री के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं.

ख. हिंदी भाषा पर अंग्रेजी का प्रभाव: आज हम देखते हैं कि भारतीय समाज में प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा करते हैं न कि किसी हिंदी माध्यम के सरकारी विद्यालय में. कॉन्वेंट के बच्चे हिंदी भाषा पर कम जबकि अंग्रेजी भाषा पर अधिक केंद्रित रहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि यदि वह अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो वह करियर में सफल हो सकते हैं.

टेलिविज़न चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों में हिंदी भाषा: यदि हम कहें कि टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से हिंदी भाषा के साथ सबसे अधिक ज्यादती होती है तो यह गलत नहीं होगा. विज्ञापनों को हिंदी भाषा के प्रयोग का एक आंगन बना दिया गया है. इस आंगन में हिंदी के शब्दों के साथ अंग्रेजी शब्दों को जोड़कर विधिवत प्रस्तुत किया जाता है. विज्ञापन बाजार में किसी भी उत्पाद की परिकल्पना हिंदी भाषा में किया जाता है परंतु लिपिबद्ध करते हुए उसे रोमन लिपि का जामा पहनाने का प्रयास किया जाता है. हम यह भी देख रहे हैं कि कतिपय चैनल इस प्रयोग को अपनी उपलब्धि मानकर दर्शकों को परोस रहे हैं.

यह कहने की जरुरत नहीं कि हिंदी भाषा अभी भी अपनी कठिन दौर से गुजर रही है. आज के समय इसके सामने अनगिनत चुनौतियां सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है. हिंदी भाषा को लेकर देश में अभी भी मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है. टेलिविज़न चैनलों पर प्रयुक्त हिंदी भाषा के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है. आवश्यकता है कि इसकी अस्मिता एवं सम्मान के साथ खिलवाड़ न हो तथा वह सारे कोशिश किए जाएं जिससे टेलिविज़न पर प्रयुक्त हिंदी भाषा से सच्चे तौर पर इसके मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हो.

अंत में हम यह कहते हुए कि हिंदी भाषा में टेलिविज़न चैनलों के माध्यम से विश्व को नियंत्रित करने, विश्व समुदाय को मार्गदर्शित करने तथा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की असीमित ताकत है. जैसा कि राष्ट्रकवि मैथिलिशरण गुप्त जी ने कहा है:-

'मानस - भवन में आर्यगण जिसकी उतारे आरती,
भगवान संपूर्ण विश्व में सदैव गूंजे हमारी भारती.'

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
क्षे.का. पटना

हिन्दी और सहयोगी अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ

भारत देश की आजादी के बाद देश के समक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश के लिए एक सर्व स्वीकार्य व सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने की थी. संविधान बनाने का यह काम संविधान सभा सुचारु रूप से कर रही थी. संविधान सभा के सभी प्रस्ताव पर गहन चर्चा और बहस के बाद सभी तरह के विषयों पर आसानी से एक सहमति बन जाती थी परंतु यह सहमति राष्ट्रभाषा को लेकर बनना थोड़ा कठिन था. जिसका मुख्य कारण संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से आए सदस्यों का अपने क्षेत्र की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना था. संविधान सभा का यह मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की एक स्वतंत्र भाषा अवश्य होनी चाहिए जिसके लिए प्रथम बार महान स्वतन्त्रता सेनानी श्री विनायक धुलेकर के हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव संविधान सभा मे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया.

महात्मा गांधी के शब्दों में राजभाषा स्वीकृति के मापदंड निम्नलिखित हैं

1. प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए.
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार संभव होना चाहिए.
3. यह जरूरी हो कि भारत वर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों.
4. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर ज़ोर नहीं देना चाहिए.

भारत जैसे विविधता में एकता के देश में हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो उक्त विचारों से मेल खाती थी. हिन्दी भाषा की यह विशेषता है कि यह भाषा न केवल भारत वर्ष में अपितु विश्व के अन्य कई देशों में अलग अलग तरीकों से बोली और समझी जाती है. हिन्दी के साथ यह विशेषता भी है कि यह भाषा अपने मूलभाव के साथ विभिन्न रूपों में देश के सभी राज्यों और प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है. हिन्दी भाषा की कुल 5 उप भाषाएँ हैं 1- पूर्वी हिन्दी, 2- पश्चिमी हिन्दी, 3- बिहारी हिन्दी, 4- राजस्थानी हिन्दी और 5- पहाड़ी हिन्दी.

भाषा के उपयोग के आधार पर हिन्दी भाषा को विस्तृत रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. 1- साहित्यिक हिन्दी भाषा 2- हिन्दी की अन्य सहयोगी क्षेत्रीय भाषाएँ.

1. **साहित्यिक हिन्दी :** साहित्यिक हिन्दी, हिन्दी भाषा का वह रूप है जिसका व्याकरण लिखित रूप से उपस्थित है. कार्यालयों, स्कूलों व अन्य स्थानों पर इसी भाषा का उपयोग दैनिक कार्यों में होता है. हिन्दी के साहित्य इसी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखे गए जिससे यह स्पष्ट है कि यह भाषा साहित्य, लिखने, पढ़ने और बोलने की सामान्य भाषा है जिसका स्वरूप हर जगह सामान्य रहता है.

2. **हिन्दी की सहयोगी अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ :** हिन्दी भाषा का यह रूप अति लोचनीय है. सामान्यत: भाषा के इस रूप का उपयोग कार्यालयीन कार्यों में नहीं किया जाता है परंतु इन भाषाओं में कई महान रचनाओं और महाकाव्यों का उदाहरण देखने को मिलता है. इस भाषा का प्रयोग बोल-चाल व सामान्य सम्प्रेषण के लिए बहुतायत किया जाता है. बोली की ये भाषाएं अपने क्षेत्र विशेष में साहित्यिक हिन्दी से कहीं ज्यादा प्रचलित हैं. यह वो भाषाएँ हैं जिन्होंने बहुत सारे फिल्म निर्माताओं को भाषा की लोकप्रियता को देखते हुये फिल्में बनाने को विवश किया है. इन भाषाओं को हिन्दी की सहयोगी भाषा, या हिन्दी की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊँनी, मालवी, नागपुरी, मगही, मेवाती इत्यादि महत्वपूर्ण हैं.

इन भाषाओं के बोलने की कला इन भाषाओं को अपने आप में विशेष बना देती हैं. इन भाषाओं की विशेषता यह होती है कि इनमें कुछ किलोमीटर के क्षेत्रीय फासले पर ही अपना स्वरूप और बोलने के

तरीकों में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जिससे सुनने वाला ये आसानी से समझ सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति किस क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है.

आइये इन क्षेत्रीय भाषाओं के विषय में और जानकारी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं

हिन्दी की सहयोगी अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ

क - अवधी : अवधी हिन्दी भाषा की एक उप भाषा है जो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है जिसके अवधी होने का कारण इसका अयोध्या क्षेत्र के आसपास बोला जाता है. अयोध्या का नाम धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. अवधी शब्द की व्युत्पत्ति अवध शब्द से है जिसके नाम का एक सूबा वर्तमान के मध्य उत्तरप्रदेश में स्थित है. अवध का नाम अवध के नवाबों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है. अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पुत्र आसफ़ुद्दौला 1775 में राजधानी फ़ैज़ाबाद (वर्तमान अयोध्या) से लखनऊ ले गए और उन्होंने लखनऊ को भारत के सबसे रईस और चमचमाते शहरों में से एक बना दिया. अवध राजकाल की भाषा को ही कालांतर में अवधी भाषा के रूप मे ख्याति प्राप्त हुई.

भाषा के विकास के रूप में अवधी भाषा को विश्व ख्याति प्राप्त है. अवधी भाषा का हिन्दी साहित्य में योगदान अतुलनीय है. भक्ति काल के कवियों ने इस भाषा का महत्व अपनी रचनाओं के माध्यम से और बढ़ा दिया. रामभक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने इस बोली में ही रामचरित मानस की रचना करके इस भाषा का मान और बढ़ाया. इसके अतिरिक्त सूफी कवियों जैसे जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद इत्यादि ने भी अवधी भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है.

आइये हिन्दी भाषा के एक वाक्य का अवधी भाषा में रूपान्तरण को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं.

साहित्यिक हिन्दी वाक्य : "मैं आज बैंक गई. वहाँ एक शर्ट पैंट पहने बाबूजी थे, उन्होंने बोला इस फार्म पर अंगूठा लगा कर पैसा निकाल लो"

अवधी रूपान्तरण : हम आज बाँके गई रहन उहाँ बूसट पैंट पहिने बाबूजी बोलिन ई फरम प अंगूठा लगाई के पाइसा निकार लिहो.

ख - ब्रजभाषा : ब्रज भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली एक प्रमुख स्थानीय भाषा है जो कृष्ण नगरी मथुरा के आस-पास है. यह रचना भी अपने साहित्यिक योगदान के लिए विश्वप्रसिद्ध है. भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जैसे सूरदास, रहीम, रसखान इत्यादि ने अपनी रचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचने के लिए इसी भाषा का आश्रय लिया. काव्यभाषा के रूप में शुद्ध ब्रजभाषा के प्रथम कवि अमीर खुसरो (1253-1325 ई) माने जाते हैं.

यह भाषा प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है. इस भाषा में अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली, उर्दू इत्यादि के शब्दों और भावों का बहुतायत प्रयोग मिलता है. सूरदास की यह रचना ब्रज भाषा और ब्रज भूमि के महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है -

मुखहि बजावत बेनु धनि यह वृन्दावन की रेनु ।
नंद किसोर चरावत गैयां मुखहि बजावत बेनु।।

अर्थात : ब्रजरज धन्य है जहां नंदपुत्र श्री कृष्ण गायों को चराते हैं और अपने अधरों पर बाँसुरी बजाते हैं.

आइये हिन्दी भाषा के एक वाक्य का ब्रज भाषा में रूपान्तरण का एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं.

साहित्यिक हिन्दी वाक्य :

ओह चोर आजकल तुझे चुराने की बड़ी ही आदत पड़ रही है.

ब्रजभाषा रूपान्तरण : ओये चोर !! आजकल तोये चोरबे की बहोत ही टेब पड़ रही है.

ग - कन्नौजी : कन्नौजी भाषा को कान्यकुब्जों की भाषा होने का गौरव प्राप्त है. कन्याकुब्ज ब्राह्मण जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग के निवासी थे, कन्नौजी भाषा का उपयोग करते थे. कन्नौजी भाषा का नामकरण कान्यकुब्ज का अपभ्रंश मात्र है. कन्नौजी उत्तर प्रदेश के कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत जिलों के ग्रामीण अंचल में बहुतायत से बोली जाती है. कन्नौजी भाषा/ कनउजी, पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत आती है.

आइये, हिन्दी भाषा के एक वाक्य का कन्नौजी में रूपान्तरण का एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं.

साहित्यिक हिन्दी वाक्य :

"मुझे ऐसे ही बोलना पसंद है मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि मैं जहां बोलूँ कन्नौजी में ही बोलूँ जो मुझे अधिक अच्छा लगे"

कन्नौजी रूपान्तरण : हमरई आइसे बोला...इ पसंद ह...ई, हम कोसिस करत हई जहाई बोलइ कनऊजी बोलइ तो हमाइ जादो अच्छों लागत हई.

घ - बुन्देली : बुन्देली भाषा बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है, जिसका अपना एक अलग ही स्वर्णिम इतिहास है. कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब भी जब अपने इन क्षेत्रों के राजाओं से संवाद करता था तो बुन्देली भाषा में ही करता था. यह भाषा दक्षिण पश्चिम उत्तरप्रदेश और उत्तरी मध्यप्रदेश के बीच अधिक प्रचलित है जो शुद्ध रूप मे झाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी होशंगाबाद इत्यादि में बोली जाती है तथा मिश्रित रूप में दतिया, पन्ना, छिंदवाड़ा, विदिशा इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है.

आइये हिन्दी भाषा के एक वाक्य का बुन्देली भाषा में रूपान्तरण का एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं.

साहित्यिक हिन्दी वाक्य : संध्या एक बहुत ही पूजा पाठ करने वाली पुराने जमाने की रूढ़िवादी महिला है. ऐसे में परिवार कैसे चलेगा.

बुन्देली रूपान्तरण : संध्या भौतई पूजा पाठ करबे वारी पुराने जमाने की रूढ़िवादी औरत हती. ऐसों परबार कैसे चलहों.

ङ - बघेली : बघेली भाषा अवधी और ब्रज भाषा का ही एक रूप है जिसमें 'ह' प्रत्यय का प्रयोग बहुतायत में होता है. यह भाषा का एक बोली रूप है जिसका प्रयोग मुख्यत: रीवाँ अथवा रीवा, नागोद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है. यह एक जनजातीय भाषा है जिसे भाषा विज्ञान के स्तर पर अवधी या ब्रज भाषा की उपभाषा कहा जा सकता है. इस भाषा को बघेलखंडी और रिवई भाषा के रूप में भी जाना जाता है.

च - भोजपुरी : भोजपुरी भाषा का नाम भोजपुरी बिहार प्रांत के भूभाग जिनके राजा भोज थे उनके राज्य की भाषा-बोली होने का संभवत: अनुमान है. यह भाषा मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तराई नेपाल के एक बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है. एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में लगभग तीस करोड़ लोग भोजपुरी को बोलने या समझना जानते हैं. भोजपुरी जानने-समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है. जिसका कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाये गये मजदूर हैं, जिनके वंशज अब जहाँ उनके पूर्वज गये थे वहीं बस गये हैं. इनमें सूरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी आदि देश प्रमुख हैं.

आइये, हिन्दी भाषा के एक वाक्य का भोजपुरी भाषा में रूपान्तरण का एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं.

साहित्यिक हिन्दी वाक्य :

"तुम्हारे खेतों में धान की फसल पक चुकी है जो अब काटने के लिए तैयार है"

भोजपुरी रूपान्तरण : तोहार खेतवा में धाने के फ़सर पाक गईल बा अउरी अब काटे खातिर तैयार बा.

छ - हरियाणवी : हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिन्दी भाषा की ही उप भाषा है जो विशेषकर हरियाणा राज्य, पश्चिम उत्तरी उत्तरप्रदेश में बोली जाती है. हरियाणवी भाषा को स्थानीय लोग बांगरु भाषा के रूप में भी जानते हैं. हरियाणवी गाने और लोककला विश्व प्रसिद्ध हैं. आइये हिन्दी भाषा का रूपान्तरण हरियाणवी भाषा में एक चुटकुले के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं.

साहित्यिक हिन्दी :

पत्नी पति से : अजी सुना है कि यदि आदमी मर जाए तो उसे स्वर्ग में अप्सरा मिलती है ! तो फिर महिलाओं को स्वर्ग में क्या मिलेगा

पति : बंदर मिलेंगे, बंदर

पत्नी : ये तो बड़ी गलत बात है. यहां भी बंदर, वहाँ भी बंदर!

भोजपुरी रूपान्तरण :

पत्नी पति से : अजी सुणों हो की आदमी मर जावे पाछे स्वर्ग मे उसे अप्सरा मिलए सै. फेर लुगाई ने स्वर्ग में कै मिले हैं ?

पति : बांदर मिले हैं, बांदर.

पत्नी : ये तो घड़ीं गलत बात है. आड़े भी बांदर उड़ईं भी बांदर

ज - राजस्थानी भाषा : राजस्थानी भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है जो केवल एक प्रांतीय भाषा न होकर एक बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है. यह भाषा न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम सीमा पर भी बोली और समझी जाती है. राजस्थानी भाषा का प्रसार में हिन्दू मारवाड़ी समुदाय का बड़ा योगदान है जो आजादी के बाद व्यवसाय के उद्देश्य से देश विदेश में फैले और अपने भाषा काल संस्कृति को न केवल बचाए रखा बल्कि उसका संवर्धन भी किया. राजस्थानी भाषा भारत में राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश में भी समझी और बोली जाती है.

आइये, हिन्दी भाषा के वाक्य का राजस्थानी भाषा में रूपान्तरण एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं.

साहित्यिक हिन्दी वाक्य :

क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे ?

राजस्थानी भाषा में रूपान्तरण :

थे मारै भारा में सोच रिया हां काई सा.?

इसके अतिरिक्त हिन्दी की अन्य सहयोगी क्षेत्रीय भाषाएँ अपने क्षेत्र के अनुसार प्रसिद्ध हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाषा छत्तीसगढ़ी, उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों की भाषा कुमाऊँनी, मालवा क्षेत्र जो पूर्व दिशा में बेतवा नदी, उत्तर-पश्चिम में चम्बल और दक्षिण में पुण्य सलिला नर्मदा नदी के बीच स्थित है. वहाँ की भाषा मालवी तथा अन्य मगही, मेवाती इत्यादि अन्य हिन्दी की सहयोगी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएँ हैं.

मोहम्मद शाहिद कबीर
स्टा.प्र.कें. विशाखपट्टनम

सोशल साइट्स में बढ़ती हिन्दी की लोकप्रियता

सोशल साइट्स से आशय है, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई ऐसी जगहें, जहां से समाज का प्रदर्शन आसानी से किया जा सके. इनका उपयोग सामाजिक मूल्यों के उत्थान, समाज को समुचित रूप से संचालित करने और किसी या किन्हीं कुरीतियों की ओर समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित करके उनके निर्मूलन के प्रयास करना आदि हैं.

इन महत्वपूर्ण प्रभावों के अतिरिक्त समाज में मनोरंजन, समाज के लोगों में आर्थिक लाभ और नई योजनाओं के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन आदि में भी सोशल साइट्स अच्छी भूमिका निभा सकती हैं.

आज हम देखते है कि समाज के लगभग हर क्षेत्र में जन सहभागिता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है. जन सहभागिता के वृहद कार्य को प्रभावित करने के लिए आम जनता की भाषा में समन्वय और संप्रेषण आवश्यक है वरना जनता, सरकार या किसी अन्य संस्था के आयोजन की भावना को समझ ही नहीं पाएगी और परिणामस्वरूप जिस भावना से कार्य किए जाने की इच्छा थी वह निष्प्रभावी हो सकती है.

शायद यही कारण है, कि आज सोशल साइट्स पर हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है. इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं.

1. **संवाद के माध्यम :** आज की दुनिया के संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है मोबाइल फोन. विभिन्न उपायों जैसे व्हाट्स ऐप, टेलीग्राम और मैसेजेस आदि में हिंदी की ग्राह्यता तेजी से बढ़ती जा रही है. इसका एक मुख्य कारण है, नई टाइप विधियों का आगमन. यूनिकोड जैसी टाइप विधि के आने से आज के मोबाइल, कंप्यूटर, टेबलेट और लैपटॉप धारक सरलता से अपनी भावनाएं हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं.

2. **हिन्दी भाषा की सरलता :** समूचे विश्व में हिन्दी के समान सरल भाषा ढूंढना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल है. इस भाषा में अन्य भाषा के शब्दों का समामेलन इतनी आसानी से हो जाता है कि पहचानना मुश्किल होता है, कि यह मूलतः हिन्दी भाषा का शब्द है या किसी अन्य भाषा से लिया गया है. जैसे रोजमर्रा को भाषा में प्लेट, ग्लास को अपना लिया गया है, उसी प्रकार तकनीकी भाषा में कम्प्यूटर, केलकुलेटर और साइट्स जैसे शब्द.

3. **विशाल जन संख्या का समर्थन :** हिंदी न केवल भारत, दक्षिण एशिया या एशिया की बल्कि समूचे विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है. इसे उन भिन्न भाषा भाषियों का हृदय से प्यार दुलार प्राप्त है, जो हिन्दी से दूर के संबंधी होते हैं, जैसे महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार एवं गायक भूपेन हजारिका आदि. इन्होंने अपनी कृतियों का हिन्दी भाषा में अनुवाद करने की सहर्ष अनुमति इसीलिए प्रदान की, क्यूंकि वे जानते थे कि हिंदी भाषा में उनकी कृतियों को समुचित सम्मान और दुलार मिलेगा.

4. **मिलती जुलती लिपि का होना हिंदी :** देवनागरी लिपि की बनावट कई अन्य भाषाओं की लिपि से मिलती जुलती है. यही कारण है कि इन भाषाओं के पढ़ने बोलने वाले लोग भी हिन्दी को पढ़ने और समझने का प्रयास कर के इसके जानने वालों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं. शायद यही कारण है कि आजकल हिन्दी भाषा के विज्ञापनों की संख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई देती है.

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोशल साइट्स में हिन्दी के बढ़ते प्रचार और प्रसार को नजर-अंदाज़ नहीं किया जा सकता है. आज हम देखते हैं कि अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स, होटलों और महंगे मॉलों में जो साइन बोर्ड्स होते हैं, वे द्विभाषी होने लगे हैं. ज्यादातर इनमें हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है.

कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में हिन्दी को त्रिभाषीय बोर्ड्स में तीसरी भाषा के रूप में अभी भी कानूनी बाध्यता के कारण लिखा जा रहा है. आशा है यह स्थिति भी जल्द ही दूर हो जाएगी और हमारी हिन्दी सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा कहलाने की हकदार कहलाएगी.

राहुल गुप्ता
क्षे.का. भोपाल (सेंट्रल)

विज्ञापन में हिंदी

विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जनसामान्य को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं. अंग्रेजी में विज्ञापन के लिए 'Advertising' शब्द प्रयोग किया जाता है. Advertising लैटिन के 'Advertere' से बना है जिसका अर्थ 'मस्तिष्क का केन्द्रीभूत होना' है. दूसरे शब्दों में मस्तिष्क को प्रभावित करना या किसी विशेष वस्तु व व्यक्ति विशेष के प्रति जनसामान्य के मस्तिष्क को आकृष्ट करने का प्रयास करना ही विज्ञापन है.

विज्ञापन शब्द 'वि' और 'ज्ञापन' इन दो शब्दों से मिलकर बना है. 'वि' से तात्पर्य 'विशेष' से तथा 'ज्ञापन' से आशय 'ज्ञान कराना' अथवा सूचना देना है. इस प्रकार 'विज्ञापन' शब्द का मूल अर्थ है 'किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना.'

किसी व्यक्ति, वस्तु, सेवा या आंदोलन को प्रस्तुत करने वाली मुद्रित सामग्री, लिखित शब्द, बोले गये शब्द या चित्रांकन विज्ञापन है. अत: विज्ञापन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संस्थान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने व उनमें इनके प्रति विश्वास जगाने का एक ऐसा माध्यम है जो वर्तमान व्यवसायिक युग का एक अभिन्न अंग बन गया है.

विज्ञापन और हिंदी भाषा : किसी भी विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध कराना विज्ञापन है और विज्ञापन की सफलता के लिए एक उपयुक्त भाषा माध्यम का होना अनिवार्य है. हिन्दी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है. वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के बढ़ते दायरे के बीच हिन्दी का वर्चस्व देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में विज्ञापनों की भाषा के रूप में हिन्दी में असीम संभावनाएँ हैं. हिन्दी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने और उसे आत्मसात करने की अदभुत शक्ति है, इसलिए शायद यह इतनी तेजी से लोकप्रियता के हर स्तर पर खरी उतरती जा रही है. विज्ञापन मानव जीवन के हर वर्ग को प्रभावित करता है. ऐसे में यदि हिन्दी भाषा विज्ञापनों की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है तो यह विज्ञापनों की लोकप्रियता को भी बढ़ाने में सक्षम होती है.

आज हमारे पास विज्ञापन के प्रसारण के तीन दृश्य, श्रव्य और पाठ्य साधन विद्यमान है. सिनेमा और दूरदर्शन में दृश्य-श्रव्य दोनों का एकीकरण या समावेश हो जाता है. इनमें हम विज्ञापित वस्तुओं के रंग-रूप, आकार-प्रकार के साथ-साथ उनके प्रयोग-प्रभाव के भी प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं और वह प्रभाव प्राय: गहरा हुआ करता है. श्रव्य साधन के रूप में वस्तुओं का विज्ञापन करने के लिए आकाशवाणी या रेडियो का सहारा लिया जाता है. विज्ञापनकर्ता यानी विज्ञापित वस्तु के संबंध में बताने वाले कलाकार ऐसे-ऐसे श्रव्य साधनों का सहारा लेते हैं कि वास्तव में दृश्य जैसा प्रभाव ही दिखाई देने लगता है.

पाठयरूप में समाचार-पत्रों, पोस्टरों, साइनबोर्डों, बड़े-बड़े बैनरों और नियॉन साइन आदि का सहारा लिया जाता है. नियॉन साइन तथा बड़े-बड़े प्ले बोर्ड तो पाठ्यता के साथ-साथ दृष्टिगत होने का प्रभाव भी डालकर प्रदर्शित या विज्ञापित वस्तु तक अवश्य पहुंचने का प्रभाव छोड़ जाते हैं.

हिन्दी के बिना हिन्दुस्तान में जन-जन तक पहुंचना संभव नहीं है. शब्द भण्डार, व्याकरण और साहित्य सभी दृष्टियों से अत्यन्त समृद्ध, प्राचीन भाषा हिन्दी का आज के इस अर्थप्रधान युग में महत्वपूर्ण स्थान है. आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं एवं इंटरनेट हैं. इन माध्यमों में विज्ञापन का विशेष स्थान है, हिन्दी में विज्ञापनों ने इन माध्यमों को नई जीवन्तता प्रदान की है.

हिन्दी में हर वर्ष सैकड़ों फिल्में मुम्बई, चैन्नई एवं कोलकाता में बनती हैं एवं टेलीविजन हेतु सैकड़ों हिन्दी धारावाहिकों का निरंतर निर्माण किया जा रहा है. उपग्रह चैनलों एवं इंटरनेट पर भी हिन्दी का निरंतर व्यापक प्रयोग हो रहा है.

जनसंचार के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी भाषा का प्रयोग राजभाषा तथा प्रयोजनमूलक हिन्दी के रूप में निरन्तर विकासमान है. जनसामान्य को

उपयोगी सूचनाएं एवं खबरें देने के लिए सदियों से सरकार एवं व्यापारी वर्ग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं. आमजन तक सन्देश हिन्दी में प्रसारित किए जाते हैं.

विज्ञापनों में हिन्दी : विज्ञापन की सफलता के लिए उसकी भाषा रोचक, स्पष्ट, सरल तथा आम बोलचाल की भाषा-जैसी हो, ताकि सामान्यजन एवं सम्बन्धित ग्राहक उसे समझ सकें. आजकल हिन्दी विज्ञापन-जगत पर छाई हुई है. हिन्दी, मीडिया के बल पर धीरे-धीरे समृद्ध होकर विश्वभाषा बनने जा रही है. आज टेलीविज़न पर कई धारावाहिक मनोरंजन प्रधान हैं. टेलीविज़न कम्पनियों में मनोरंजन प्रधान और सूचना प्रधान कार्यक्रम दिखाने की होड़ मची हुई है तथा सभी व्यावसायिक कम्पनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन हिन्दी में देने को आतुर हैं. विश्व के सुप्रसिद्ध रेडियो स्टेशन बी. बी. सी. लन्दन, वायस ऑफ अमेरिका, रेडियो सिलोन, जर्मन रेडियो स्टेशन एवं विश्व के अन्य रेडियो स्टेशनों पर हिन्दी में विज्ञापनों का निरन्तर प्रसारण किया जाता रहा है.

विज्ञापनों की हिन्दी में प्राय: लोकप्रिय उपमाओं, अलंकारों, मुहावरों, कहावतों, तुकबन्दियों, टैगलाइन या सूत्र वाक्य का पर्याप्त प्रयोग कर आकर्षक बनाया जाता है, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

- 'रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स' का विज्ञापन 'कर लो दुनिया मुट्ठी में' केवल संचार सेवा का विज्ञापन नहीं है, वह किन्हीं मायनों में यह अर्थ संप्रेषित करता है कि विश्व व्यवस्था के नए ढाँचे में युवा-आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया में एक नई पहचान बनाने को बेकरार है.
- 'तंदुरूस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय, लाइफबॉय है जहाँ तंदरूस्ती है वहाँ' ज़माना बदल गया और लाइफबॉय साबुन की विज्ञापन अपील भी बदल गई लेकिन जिन्होंने भी ये पंक्तियाँ सुनी हैं, वे आज तक उसे भूल नहीं पाए.
- 'निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा", दूध सी सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल-खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा',
- 'ठंडा मतलब कोका कोला', 'कुछ मीठा हो जाए',
- 'क्या स्वाद, क्या महक, कैसी चटपटी चहक (एम.डी.एच. मसाले) सच सच'

हिन्दी भाषा का स्वरूप और विज्ञापन की भाषा के रूप में उसकी विशिष्टताएँ : हिन्दी जिस भाषा-धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है. संस्कृत का काल मोटे रूप में 1500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक माना जाता है. हिन्दी की आदि जननी संस्कृत है.

हिन्दी का विकास क्रम - संस्कृत > पाली > प्राकृत > अपभ्रंश > अवहट्ट > प्राचीन/प्रारंभिक हिन्दी

हिन्दी की पाँच उपभाषाएँ है, जिनके अंतर्गत मुख्यत: दस बोलियाँ है. अब हम जब विज्ञापन की हिन्दी के रूप को लें तो भारत के संदर्भ में विज्ञापन-क्षेत्र के लिए हिन्दी की आवश्यकता निर्विवाद है. हिन्दी भाषा विज्ञापन की अनिवार्यता है. मानो यह सूत्र-सा बना है कि 'हिन्दी नहीं तो विज्ञापन नहीं.' विज्ञापन में हिन्दी एक लोकप्रिय भाषा माध्यम है. इसका प्रभुत्व लोगों के हर वर्ग तक है.

विज्ञापन की भाषा के रूप में हिन्दी प्रयोग में समस्या एवं समाधान : हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने के बाद विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा हिन्दी को विज्ञापन की भाषा के रूप में अधिक प्रश्रय दिया जाने लगा. स्टारप्लस जैसे अंग्रेजी के चैनल अब अपने नए कलेवर में हिन्दी को अपनाते हुए दिखाई दिए. यद्यपि जनसंचार माध्यमों की भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग में कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं, लेकिन यदि कुछ सावधानियाँ बरती जाएं तो इनका सहज ही निराकरण किया जा सकता है.

इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें अपनी हठधर्मिता को छोड़ नवीन विचारों को अपनाना होगा. हमें लोकप्रचलित तथा व्यवहारिक शब्दों को ग्रहण करते हुए एक नई हिन्दी का स्वागत 'विज्ञापनी हिन्दी' के रूप में करना होगा, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ती रहे.

पिछले बीस पच्चीस सालों में वैश्वीकरण की आंधी से कोई नहीं बच सका है. हमारी रोज की जिंदगी से लेकर बड़े कॉर्पोरेट निर्णय तक वैश्वीकरण से प्रभावित हैं, पर जहाँ तक बात हिन्दी की है तो वैश्वीकरण से इसे बहुत फायदा मिल रहा है.

आज औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिनके विपणन हेतु विज्ञापन ही सहारा है. फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स, हैंडबिल, साइनबोर्ड, सिनेमा स्लाइड और बैलून आदि अनेक माध्यमों से विज्ञापन होता है. हिन्दी जनसंचार माध्यमों पर बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई है. आने वाले समय में इसकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ेगी. देश-दुनिया के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबार और सर्वाधिक देखे जाने वाले टीवी चैनल हिन्दी के ही हैं.

हिन्दी को आधुनिक भाषाओं के बीच प्राण भाषा का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है और इसका बाजार निरंतर विकासमान है. आज हिन्दी बाजार की मांग बन चुकी है. आज बाजार के लिए जितना महत्व विज्ञापन का है शायद उतना ही महत्व उन विज्ञापनों की भाषा के रूप में हिन्दी का भी.

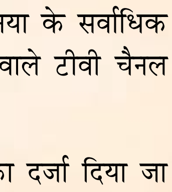

मनु
डीआईटी, पवई

खिलौनों की दुनिया एटिकोप्पका

एटिकोप्पका वाराही नदी के किनारे स्थित एक गाँव है, जो विशाखपट्टनम से 65 कि. मी. की दूरी पर स्थित है. स्थानीय रूप से उगाये गए अंकुडु नामक लकड़ी से यहाँ खिलौने बनाये जाते है. इसकी लकड़ी नरम होने के कारण आसानी से काटी और तराशी जाती है, जिससे खिलौनों को मन चाहे रूप में लाया जाता है. लकड़ी को अनोखी आकृतियों के रूप में काटने के बाद बीज, छाल, लाख, जड़ों और पत्तियों से तैयार

प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता हैं. एटिकोप्पका के चिह्नक खिलौने में खड़ी हुई वर-वधू, शादी के मंच, चिड़ियाँ एवं शहनायी मंडली इत्यादि हैं. घर की सजावट की वस्तुओं एवं उपहार देनेवाली वस्तुओं के रूप में यहाँ के खिलौने लोकप्रिय हो गए. हानिकारक एवं कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल के बिना सहज रंगों का उपयोग करने के कारण एटिकोप्पका के खिलौने बच्चों के खेलने के लिए भी सुरक्षित है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में एटिकोप्पका के खिलौना बनानेवालों की अपनी संस्कृति को खिलौनों के रूप में सजीव रखने के लिए प्रशंसा की.

एनवीएनआर अन्नपूर्णा
आस्ति वसूली शाखा, क्षे. का. विशाखपट्टनम

उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भारत में हिंदी की स्थिति

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है. राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जो किसी भी राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण होती है.

निजभाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय के सूल।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजभाषा हिंदी होगी. स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी.

किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता, सब प्रकार के भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य आदि गुण होने अनिवार्य होते हैं और यह सभी गुण हिंदी भाषा में हैं.

आज हिंदी देश के कोने-कोने में बोली जाती है. अहिंदी भाषी भी थोड़ी-बहुत और टूटी-फूटी हिंदी बोल और समझ सकता है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों की राजभाषा हिन्दी है. पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार में इसे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है. शेष प्रांतों में यदि कोई भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा सकती है तो वह हिंदी ही हो सकती है. विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है. परन्तु आज अपने ही देश में हिंदी को तिरस्कृत होना पड़ रहा है. विदेशी मानसिकता के रोग से पीड़ित कुछ लोग आज भी अंग्रेजी के पक्षधर और हिंदी के विरोधी बने हुए हैं.

ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो हिंदी को अच्छी तरह बोलना व लिखना जानते हैं लेकिन वे अपने मिथ्याभिमान का प्रदर्शन अंग्रेजी बोलकर करते हैं, फिर चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या आम आदमी. यद्यपि सरकारी आदेशों में यह प्रचारित है कि अपना सभी कामकाज हिंदी में कीजिये लेकिन उन्हें यदि कोई पत्र हिंदी में लिखा जाए तो आपको उसका उत्तर अंग्रेजी में मिलेगा. अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं, अपने ही देश की भाषा बोलते हैं, परन्तु हमारे राजनेता अन्य देशों को छोड़िये अपने ही देश में अंग्रेजी में बोलकर अपने अहं की तुष्टि करते हैं. संसद में भी प्रश्न अंग्रेज़ी में पूछा जाता है तो उसका उत्तर अंग्रेजी में मिलता है.

यह विवाद रहित सत्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अपनी ही भाषा के पठन-पाठन से होता है, अन्य किसी भाषा से नहीं. विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ने के कारण बालक अपने विचारों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता. फलतः उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है.

हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए हर संभव प्रयास करें. व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग हीनता नहीं गौरव का प्रतीक है. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर सबको चौंका दिया था. उनकी इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है. ऐसे लोग जो अपनी संकीर्ण पृथकवादी भावनाओं का प्रदर्शन कर हिंदी का विरोध करते हैं उन्हें भी राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर संकुचित मनोवृत्ति को छोड़कर हिंदी को अपनाना चाहिए.

नरेश कुमार
बाजपुर शाखा, हल्द्वानी

विभिन्न हिन्दी शिक्षण योजनाएँ

ऐसी भाषा जो हमारी राजभाषा है और अपनी व्यापकता तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा संपर्क सूत्र होने के कारण हमारा राष्ट्रभाषा भी है और विश्वस्तर पर जिसे तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने का गौरव प्राप्त है, ऐसी भाषा के संवर्धन और विकास के लिए हम सभी को अपने व्यक्तिगत स्तर प्रयास करना चाहिए तथा अपने सरकारी कामकाज के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं साहित्यिक रचनाओं में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए.

इसी बात को ध्यान में रखकर संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में प्रारम्भ किया गया. राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया. अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं. सन् 1960 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया. केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का पंजीकरण लखनऊ में 1 नवम्बर, 1960 को हुआ. केंद्रीय हिंदी मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री मो. सत्यनारायण मनोनीत किए गए. सन् 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उससे संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त अनिवार्य कर दिया गया. सन् 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया. हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किए जा रहे हैं.

प्रोत्साहन योजनाए : केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ निम्न प्रकार से हैं. इस प्रशिक्षण को उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि) प्राप्त होता है.

1) प्रबोध : यह पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर का है इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगू, अंग्रेज़ी, मणिपुरी, मिज़ो भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. वे सभी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है वह प्रबोधक प्रशिक्षण के पात्र हैं. जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकॉर्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, जस्टनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलिफोन ऑपरेटर आदि, उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है.

2) प्रवीण : यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी / कर्मचारी नामित होंगे. मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें मध्य स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं. जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सामान्यत: स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं व वर्कशॉप के पर्यवेक्षक आदि, उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है.

3) प्राज्ञ : इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी या पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं. जिन अधिकारियों / कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी लेखन तथा पत्र व्यवहार करना पड़ता है उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है.

4) पारंगत : केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा उनके संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, उद्यमों, अभिकरण, निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं.

वित्तीय प्रोत्साहन : लिखित परीक्षा निम्न लिखित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा जो नकद पुरस्कार दिया जाता है, उसकी वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:-

	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	पारंगत
70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू.1600/-	रू.1800/-	रू.2400/-	रू.10,000/-
60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू.800/-	रू.1200/-	रू.1600/-	रू.7,000/-
55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू.400/-	रू.600/-	रू.800/-	रू.4,000/-

उपरोक्त योजनाओ के अलावा देश का हर राज्य हिन्दी प्रशिक्षण मे अपना योगदान दे रहा है, जिस से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो. भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की संवाहक, संप्रेषक तथा परिचायक भी है. यह भाषा हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच सेतु की तरह है. बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवत: सबसे वैज्ञानिक भाषा है.

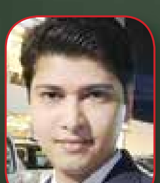

तपन कीर्तिकुमार विलखिया
सुनाव शाखा, आणंद

नई शिक्षा नीति 2020 और हिन्दी

29 जुलाई 2020 को पूरे 34 वर्षों के उपरांत सरकार ने नई शिक्षा नीति का जीर्णोद्धार किया है. एक परिवर्तन जिससे कयास लगाया जा रहा है कि भारत मे शिक्षा कि स्थिति बदलेगी यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है. जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है.
2. नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है.
3. 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है.
4. पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है.
5. देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है.
6. शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले किया गया था लेकिन अबकी बार 2020 में जारी किया गया.

1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था. तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था. कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्लकाल में पारित हुआ था.

अगस्त 1985 में 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया. इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया. इसे राजीव गांधी के कार्यकाल में जारी किया गया था.

इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था. इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुन: 'शिक्षा मंत्रालय' करने का फैसला लिया गया है. इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है. संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा. एम.फिल. को समाप्त किया जायेगा.

नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है. व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है.

स्कूलों में 10+2 फार्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फार्मेट को शामिल किया जाएगा. इसके तहत पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे. पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी वहीं अब तीन साल के प्री-प्राइमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी. इसके बाद कक्षा 3-5 के तीन साल शामिल हैं. इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक!. चौथी स्टेज (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल की होगी. पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वही अब 9वीं कक्षा से रहेगी.

शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जायेगा. इसमें रट्टा विद्या को ख़त्म करने की भी

कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है. किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं.

नई शिक्षा नीति की घोषणा के उपरान्त बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही. वहीं मुख्यता इसमें घोषित बदलावों का स्वागत किया गया है लेकिन इसके कई लक्ष्य के पूरा होने पर संदेह व्यक्त किया गया.

देश के विकास में वहां के निवासियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जिस देश में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, वह देश तेजी से तरक्की की दिशा में बढ़ेगा. देश में अंतिम बार शिक्षा निति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया. यह नीति कमियों से भरी हुई थी, इसके बावजूद इस पर ध्यान न देना देश के विकास में बाधक बना हुआ था लेकिन अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 को शुरू कर दिया गया है जोकि पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर और असरदार नजर आती है.

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है. गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है. इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सुधार के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है.

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान

- नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है.
- पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज- 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
- तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)
- तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और
- 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10, 11, 12

भाषायी विविधता का संरक्षण

- रा.शि.नि.-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है. साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है.
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी.

शारीरिक शिक्षा

- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें.

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा.
- कक्षा-6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी.
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी.
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा. इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है.

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति.
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया जाएगा.
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' का विकास किया जाएगा.
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा.

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- न.शि.नि.-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा.
- न.शि.नि.-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे

और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक).

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा.

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद: यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा.
- सामान्य शिक्षा परिषद: यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा.
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद: यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा.
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद: यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा.
- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी.

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

- इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा.

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' का गठन किया जाएगा. जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा.
- डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी.

वित्तीय सहायता

- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी.

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

- **राज्यों का सहयोग:** शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा. साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है.
- **शिक्षा का संस्कृतिकरण:** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है.
- **फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होना:** कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं.
- **वित्तपोषण:** वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है.
- **मानव संसाधन का अभाव:** वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंज़ूरी दी है. अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी. नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है.

श्वेता सिंह
स्टा.प्र.के. लखनऊ

हिंग्लिश बिगड़ैल रूप या स्वीकृति

Example I

Hinglish: Image ko 90 degrees par right ghumaen.
English: Rotate the image 90 degrees to the right.

Example II

Hinglish: jis day sky chakkar khane lagega
English: The day the sky will tremble

हिंगलिश भाषा, भारत की हिन्दी भाषी राज्यों में बोली जाने वाली एक लोकप्रिय भाषा है. अधिकाधिक लोग इस भाषा का प्रयोग अपने दैनिक कार्यो एवं आम बोलचाल की भाषा में करते हैं. भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है और अधिकाधिक लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं. हिंग्लिश भाषा में यह विशेषता होती है कि यह भाषा किसी भी भाषा का शुद्ध रूप नहीं है अपितु यह भाषा विभिन्न भाषाओं से मिश्रित एक भाषा है जिसकी स्वीकृति सभी लोगों में हैं. यूं तो हिंग्लिश में ज्यादातर हिंदी एवं अंग्रेजी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है परंतु इसके अलावा और भी भाषाएं हैं जो हिंदी की सहयोगी भाषा कहलाती हैं उनका भी प्रयोग इस भाषा में किया जाता है जिसमें उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इत्यादि प्रमुख हैं. सर्वप्रथम हिंग्लिश को 1976 ई. में भाषा का दर्जा दिया गया और उसके बाद धीरे-धीरे बहुत सारे ऐसे शब्द जो हिंग्लिश के शब्द है जैसे कि स्मोग, फिल्मी, जंगली इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग अंग्रेज़ी में किया जाने लगा. 1960 के दशक में मशहूर लेखिका शोभा डे ने अपने लेख में हिंग्लिश का प्रयोग करना शुरू किया. तभी से इसका प्रचार एवं प्रसार तेजी से शुरू हुआ इसलिए इन्हें हिंग्लिश का जनक भी कहा जाता है.

हिंग्लिश की उत्पत्ति एवं क्रमगत उन्नति : कोई भी भाषा जो अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और जो कि एक पूर्ण एवं शुद्ध भाषा नहीं है, उसके बारे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस भाषा की रचना एवं विस्तार तेजी से पूरे भारतवर्ष में हुआ हैं. भारत में 10 वीं सदी से ही सर्वप्रथम हिंदी बोली जाती रही है. जिसमें बाद में क्रमश: दूसरी भाषाएं जैसे कि संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं का मिश्रण हुआ और इसे 'खिचड़ी बोली' कहा जाने लगा. बाद में 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब भारत की भाषा जो कि हिंदी थी, का संपर्क इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी से हुआ. तभी से इस नई भाषा हिंग्लिश की नींव भारत में पड़ गई. अंग्रेज़ी जोकि अंग्रेज़ों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, उसे सीखना और समझना मानो भारतीयों के लिए अनिवार्य हो गया था और जो अंग्रेज़ी बोल एवं समझ सकते थे, उन्हें समाज में एक अलग ही विशिष्ट स्थान दिया जाने लगा था. बाद में स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में भी विज्ञान एवं मेडिकल की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेज़ी में ही रखा गया. यही वजह थी जिससे भारतीय, जिनकी भाषा हिंदी थी, उनकी रुचि अंग्रेज़ी की ओर बढ़ती चली गई और उनके द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेज़ी ने एक नई भाषा को जन्म दिया जोकि हिंग्लिश बनी. परिस्थितियों को समझते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में अपनी कविताएं हिंगलिश में लिखी जिसमें कई भाषाएं मिश्रित थी.

आज बदलते हुए आधुनिक परिदृश्य में विशेष रुप से आधुनिक भारत में हिंग्लिश की स्वीकृति एवं इसका प्रचार-प्रसार बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है. बढ़ती साक्षरता एवं बढ़ती भाषाओं के आदान-प्रदान के कारण हिंग्लिश की स्वीकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है. बढ़ते ऑनलाइन एवं इंटरनेट के आधुनिक युग में अंग्रेज़ी का ही अधिकाधिक प्रयोग होता है. इसमें हिंदी भाषी लोगों को ऑनलाइन हिंग्लिश के प्रयोग से एक नया बल मिला है और इसके अधिकाधिक ऑनलाइन प्रयोग के कारण इसका प्रचार प्रसार एवं स्वीकृति बढ़ी है.

दक्षिण भारत के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है. यूं तो हिंग्लिश कोई मूल भाषा नहीं है परंतु 35 करोड़ से अधिक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भारतवासी इसका प्रयोग करते हैं. इसकी प्रसिध्दि का एक कारण यह भी है कि यह भाषा नागरिकों को आधुनिकता एवं स्थानीयता दोनों प्रदान करती है. भारत में कोई भी नागरिक अपनी आम बोलचाल की भाषा में शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाता है, उनके वाक्य में अंग्रेजी का होना अनिवार्य पाया गया है जो हिंग्लिश की स्वीकृति को प्रबल रूप से प्रमाणित करता है.

20वीं सदी के अंत एवं 21वीं सदी के शुरुआत से ही ऐसा देखा

जा रहा है कि फिल्मों, धारावाहिकों एवं मनोरंजन के दूसरे आयोजनों में भी हिंग्लिश का प्रयोग किया जाता रहा है. हिंगलिश का इस्तेमाल मनोरंजन एवं संगीत के साधनों में होने से इसकी स्वीकृति आज के नौजवानों में भी बहुत तेजी से बढ़ी है.

इस तरह से हम देखते हैं कि हिंग्लिश में मूलत: एक भाषा न होते हुए भी इसे एक मिश्रित भाषा के रूप में नागरिकों के बीच स्वीकृति प्राप्त है. गूगल द्वारा अपने मोबाइल की बोर्ड में हिंगलिश का विकल्प प्रदान करना इसकी स्वीकृति को प्रमाणित करता है. भारतीय शोध से यह भी प्रमाणित होता है कि जब अंग्रेज़ी का प्रसार अपनी चरम सीमा पर है तब भारत में भारतीयों द्वारा शुद्ध अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंग्लिश का प्रयोग अधिकाधिक किया जा रहा है. हिंग्लिश की प्रसिद्धि एवं स्वीकृति को ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल साइट अपनाती हैं. जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग हिंग्लिश में किया गया है. विभिन्न कंपनियां भी आजकल हिंग्लिश का प्रयोग अपने प्रोडक्ट के प्रसार-प्रचार के लिए करते हैं ताकि ग्राहकों का आकर्षण इनकी ओर हो. पहले इसका प्रयोग अनौपचारिक संदर्भ में किया जाता था परंतु आजकल इसका इस्तेमाल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की कक्षाओं में भी देखा जा रहा है, जो इसकी औपचारिक स्वीकृति को प्रमाणित करता है.

अत: अंत में हम यह कह सकते हैं कि हिंग्लिश जो कि एक मूल भाषा नहीं है परंतु यह भाषा का बिगड़ैल रूप भी नहीं बल्कि आधुनिक युग का स्वीकृत रूप हैं. हमें हिंग्लिश को स्वीकृत करना चाहिए क्योंकि यह भारत में अधिकाधिक बोली जाती है और भारतीय अंग्रेज़ी भी कहीं न कहीं हिंग्लिश से प्रभावित रहती है. परंतु हिंग्लिश की स्वीकृति में हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी मूल भाषा हिंदी जो कि भारत की प्राचीनतम भाषा है, उसकी आत्मा को जीवित रखें और कार्यालय एवं दैनिक कामकाज में इसका अधिकाधिक प्रयोग करें.

मोहम्मद नसीम अनवर
स्टा.प्र.कें. विशाखपट्टणम

बैंकिंग सफर - हिंदी से हिंदी में बैंकिंग तक

हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुंचा जा सकता.

-सुप्रसिद्ध जर्मन-हिंदी विद्वान लोथार लुत्से

आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लक्ष्य केवल एक वर्ग विशेष न रह कर जन-साधारण बन गया है. भारत के वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पवित्र त्रिमूर्ति की संज्ञा प्राप्त 'J.A.M.' अर्थात् जनधन खाते, आधार एवं मोबाइल आधारित डिजिटल तकनीकों ने बैंकिंग को देश के दूरस्थ और अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहे क्षेत्रों में बड़ी कुशलता से स्थापित कर दिया है.

बैंकिंग में राजभाषा की वर्तमान स्थिति: सामाजिक बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में जनता की भाषा में काम करना आज बैंकों में बेहतर ग्राहक सेवा का अभिन्न अंग बन गया है. बैंकिंग कार्य-कलापों में आज सहज, सरल एवं सुगम भाषा का प्रयोग आवश्यक भी है और समय की मांग भी. चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में हिन्दी के माध्यम से सहज सम्प्रेषण संभव है, अतएव हिन्दी को अपनाकर बैंकिंग में उत्कृष्ट ग्राहक-सेवा के नए प्रतिमान स्थापित किये जा सकते हैं. बैंकिंग क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग से बहुसंख्यक

हिन्दी भाषी समाज का बैंकों के प्रति विश्वास निश्चित रूप से बढा है. तकनीकी नवोन्मेषों एवं बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के बीच आधुनिक बैंकिंग में राजभाषा की स्थिति कुछ यूं दृष्टिगोचर होती है:

1. बैंकों की विभिन्न शाखाओं में हिन्दी ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधा का प्रावधान किया जा रहा है साथ ही साथ ए.टी.एम. में भी अब हिंदी के विकल्प उपलब्ध हैं. कई ऐसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर लाए गए हैं जो हिंदी में बैंकिंग कार्य करने को आसान बना रहे हैं. यूनिकोड से हिंदी में कार्य करने की संभावनाओं में क्रांतिकारी बदलाव परिलक्षित हुए हैं. भाषाई इंटरफेस की मदद से पासबुक और एफ.डी.आर. भी सी.बी.एस. में हिंदी में जारी होने लगे हैं. हिंदी इंटरफेस युक्त स्मार्टफोन आ रहे हैं.
2. बैंकिंग के बदलते स्वरूप में विपणन प्रमुखता से उभरा है. प्रत्येक बैंक इस हेतु विज्ञापनों पर एक बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं जिसमें राज्य विशेष की भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी को भी स्थान दिया जा रहा है.
3. बैंकिंग की विविध विधाओं में कर्मचारियों को पारंगत बनाने हेतु प्रशिक्षण देना एक अनिवार्य घटक माना जाता है. बैंकों ने यह स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण ऐसी भाषा में होना चाहिए, जिसे समझना हर कर्मचारी हेतु सहज-सरल हो ताकि जो बात कही जा रही है वह बिना किसी संशय या बाधा के हर किसी को समझ में आ सके.
4. भारत में उपभोक्ताओं की विशाल संख्या और उनकी बढ़ती क्रय-शक्ति, वैश्विक कंपनियों को हमारी भाषाओं को साथ लेने के लिए विवश कर रही है. आज इंटरनेट पर विविध स्तरीय सामग्रियां यूं तो हिन्दी में भी उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी स्थिति अंग्रेज़ी एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध बैंकिंग कंटेंट के मुकाबले कहीं कम हैं.

बैंकिंग के आधुनिक नवोन्मेषों के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा के सन्दर्भ में कुछ सुझाव : भारतीय बैंकों ने नवोन्मेषों की तकनीकों को आत्मसात तो किया है, लेकिन संभवत: हिंदी इस दौड़ में कुछ पिछड़ सी गयी है. संभव है कि हिंदी को इस प्रौद्योगिक बैंकिंग परिवेश में अभी अपना पूर्ण स्थान बनाने में कुछ समय लगे, लेकिन इस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना वांछनीय है. इस दिशा में कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं:

1. हमें हिंदी को प्रथम भाषा के तौर पर प्रयोग करना होगा क्योंकि हिंदी में कार्य करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और व्यावसायिक आवश्यकता भी. सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाना तभी संभव होगा जब बैंक में किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए हिंदी/ द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा हो.
2. बैंकों के कर्मचारियों को अपने बैंकिंग कार्य राजभाषा में करने हेतु अपेक्षित है कि उन्हें इस दिशा में पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाये जिसमें 'क' 'ख' तथा चुनिन्दा 'ग' क्षेत्रों में स्थापित बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर विशेष बल दिया जाये.
3. सोशल मीडिया के इस दौर में एक खिचड़ीनुमा भाषा जन्म ले चुकी है, एक ऐसी भाषा जो देश-विदेश की सीमा के परे अपने उपयोगकर्ताओं की मांग के अनुरूप लचीली होती है साथ ही जिसमें एक भाषा का कोई शब्द दूसरी भाषा में जोड़ना कोई अनोखी बात नहीं मानी जाती. आज की पीढ़ी के अंग्रेजी से मोह का मुख्य कारण उसका लचीलापन और संकेताक्षरों के प्रयोग की सहूलियत ही है. यह लचीलापन हिंदी में भी लाने के लिए भी हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा.

वर्तमान में बैंक प्रौद्योगिकी चालित उत्पाद व सेवाओं को विभिन्न डिलिवरी चैनलों ग्राहकों के द्वार तक पहुंचा रहे हैं. भारतीय भाषाएँ ग्राहकों व बैंकों के बीच संप्रेषण व संवाद की कड़ी बन रही हैं. बैंकिंग में बदलती तकनीकों के बीच, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का महत्व आज भी अक्षुण्ण है जिसमें सहज एवं बोधगम्य भाषा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है. देश के एक बड़े भूभाग में हमारी राजभाषा अर्थात हिंदी ही वह माध्यम है जिसके चलते बैंकिंग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाई है. अधिकतर लोग अपने सभी कार्य अपनी मातृभाषा या फिर हिंदी में ही करते हैं और सोचते भी उसी रूप में ही हैं. हिंदी भाषा में बैंकिंग कार्य करने शुरू किए जाएं तो प्रारंभ में कुछ गिने-चुने क्षेत्रों में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है परंतु आर.बी.आई. एवं अन्य विभिन्न बैंकों द्वारा विकसित की गई तकनीकी, वैज्ञानिक एवं परिभाषिक शब्दावली की सहायता से हम इन विषय में भी आराम से हिंदी में कार्य कर सकते हैं. आइए, प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के बीच हम इसके प्रति संवेदनशील बनें और खुद को इसकी प्रगति में भागीदार बनाएँ.

आलोकचन्द्र गुप्ता
अचलगंज शाखा, कानपुर

राजभाषा के प्रचार प्रसार में
हिन्दी सिनेमा का योगदान

भारत एक बहुभाषी देश है एवं हिन्दी विदित रूप से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है. लगभग 80 करोड़ से भी अधिक लोग हिन्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां हिन्दी का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है, वहाँ इसकी लोकप्रियता एवं प्रचार-प्रसार बढ़ाने में हिन्दी सिनेमा का न केवल हिन्दी साहित्य के तुल्य अपितु उससे भी अधिक योगदान रहा है. भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले श्री दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित प्रथम हिन्दी फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) एवं प्रथम सवाक् फिल्म आलमआरा (1931) से आरंभ हुआ ये सिलसिला आज अपने भव्यतम स्वरूप में आ चुका है.

हिन्दी सिनेमा की राष्ट्रीय उपस्थिति के पूर्व गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग न्यूनतम था, किन्तु हमारे देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ निर्माता-निर्देशकों एवं कलाकारों के अथक प्रयासों से अनेक बेहतरीन फिल्में पर्दे पर आयीं और अपनी कहानियों से न केवल समस्त भारतवासियों अपितु विश्व के कोने कोने में जनमानस के हृदय में अद्वितीय छाप छोड़ गईं.

सन 1951 मे श्री राज कपूर साहब द्वारा निर्मित 'आवारा' फिल्म को प्रतिष्ठित टाइम मैगज़ीन ने सार्वकालिक 100 सबसे उम्दा फिल्मों की सूची में शामिल किया था. उस दौर में न सिर्फ भारतीय बल्कि सोवियत संघ की जनता भी हिन्दी फिल्मों को पसंद करती थी, क्योंकि उनमें संभावना का एक संदेश होता था. आज़ादी के पूर्व एवं पश्चात् के कुछ दशकों के बेहद निराशा भरे दौर में हिन्दी फिल्मों ने देशवासियों को जीने के लिए प्रेरित किया.

'आवारा' (1951), 'श्री 420' (1955), 'प्यासा' (1957), 'मदर इंडिया' (1957), 'मुग़ल ए आज़म' (1960), 'गाइड' (1965), 'आनंद' (1971), 'शोले' (1975), 'जाने भी दो यारों' (1983), 'दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे' (1995), 'लगान' (2001), '3 इडियट्स' (2009) से लेकर आज प्रदर्शित हो रही 'ब्रह्मास्त्र' तक, इन सभी फिल्मों का योगदान हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार मे सर्वोत्कृष्ट रहा है.

गैर हिन्दी भाषी भारतीय राज्यों एवं विश्व के कई देशों जैसे रूस, चीन और जापान इत्यादि मे हिन्दी सिनेमा एवं इसके गीतों और संवादों के कारण लोगों ने हिन्दी के अनेक शब्दों को जाना एवं सीखा. आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस इत्यादि सितारों को अमेरिका, ब्रिटेन एवं यूरोप मे लोकप्रियता हासिल हुई है तो उसका एकमात्र कारण हिन्दी सिनेमा है.

विश्व पटल में हिन्दी एक अद्वितीय पहचान बना चुकी है और हिन्दी में बनने वाली फिल्मों की संख्या किसी भी अन्य भाषा से अधिक है. आज विश्व की हर चौथी फिल्म हिन्दी भाषा मे बनाई जाती है साथ ही हिंदुस्तान की साठ प्रतिशत से भी अधिक फिल्में हिन्दी में ही निर्मित की जाती है. हिन्दी सिनेमा में कार्यरत गैर हिन्दी भाषी कलाकार स्वत: ही हिन्दी भाषा के ज्ञान में कुशल हो जाते हैं. सुपर स्टार रजनीकान्त, कमल हसन, अकेडमी पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात संगीत निर्माता ए. आर. रेहमान, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त श्री देवी, सिक्किम से आने वाले डैनी डेंग्जोग्पा, मणिपुर से प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन इत्यादि लोकप्रिय हस्तियाँ गैर हिन्दी भाषी राज्यों से आने वाले सुप्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका अपने क्षेत्र के लोगों में हिन्दी के प्रति उत्साह, ज्ञान और उत्सुकता बढ़ाने में अहम् योगदान रहा है.

हिन्दी भारत वंशियों के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्कों के लोगों के लिए भी विदेशों में संपर्क की एक भाषा है. भारतीय सिनेमा का हिन्दी के प्रचार प्रसार में कितना योगदान रहा है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज अमेरिका के अनेक हिन्दी सीखने वाले विद्यालयों में लोकप्रिय हिन्दी फिल्मों के गानों एवं संवादों के माध्यम से हिन्दी सिखाई जा रही है. सऊदी अरब जैसे देश ने भी हिन्दी भाषा को देश की चौथी आधिकारिक भाषा घोषित किया है. जिसका कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण हिन्दी सिनेमा का बढ़ता प्रभाव है. अत: वर्तमान मापदण्डों के अनुसार सिनेमा हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा प्रचारक है.

अंशुल शुक्ला
क्षे.म.प्र.का. पुणे

के वाई सी
अनुपालन का महत्व

केवाईसी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक प्रचलित शब्द है. बैंक और फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ग्राहक की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए केवाईसी का प्रयोग करते हैं. केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर यानि अपने ग्राहक को जानें - होता है. सर्वविदित है कि बैंकिंग व्यवसाय मुद्रा विनिमय अर्थात् पैसों के लेन-देन का ही एक वृहत्तम रूप है. हम बैंकिंग चैनल के माध्यम से लोगों से ब्याज पर पैसा लेते हैं और उसी पैसे को लोन के माध्यम से ब्याज पर देकर व्यवसाय करते हैं. जाहिर है कि दिए गए पैसों से लिए गए पैसों का ब्याज कम सुनिश्चित करना और दोनों ही तरह के ब्याज के बीच का मार्जिन ही व्यवसाय की लाभप्रदता का पैमाना तय करता है. अर्थात् यह मार्जिन जितना ज्यादा रहेगा लाभ उतना ही ज्यादा रहेगा. देखा जाये तो कम ब्याज (बचत खाता) अथवा शून्य ब्याज (चालू खाता) पर लिया गया पैसा कहीं-न-कहीं इस मार्जिन को बढ़ाने में सहायक होता है एवं खातों का यही दो प्रारूप किसी भी ग्राहक के बैंकिंग परिसेवा से जुड़ने की प्रथम सीढ़ी साबित होती है. खाताधारक का बैंक के ऊपर विश्वास एवं उनकी आस्तियों का सुरक्षित रख-रखाव और बैंक के ऊपर उनका भरोसा बैंकिंग व्यवसाय के सुचारु रूप से निष्पादन की प्रथम कड़ी है. बैंककर्मी के रूप में हमारा यह दायित्व है कि लोगों के भरोसे और विश्वास पर हम खरा उतरें और उनकी आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. खातों में धोखाधड़ी एवं इसके उपरांत बैंक एवं ग्राहकों को होने वाला नुकसान हमें केवाईसी अनुपालन का दृढ़ता से पालन करने हेतु निर्देशित करता है. इसके अलावा सरकार द्वारा तय किए गये मानदंड मसलन एंटी मनी लौंडरिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर लगाम भी केवाईसी अनुपालन का महत्व दर्शाता है.

के वाई सी क्या है : जब आप अपनी पहचान सत्यापित करवाते है तो इस प्रक्रिया को केवाईसी कहते हैं. बैंक और वित्तीय संस्थानों में केवाईसी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस प्रक्रिया से व्यक्ति की असली पहचान सुनिश्चित हो जाती है. केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया के माध्यम से बैंक या संस्थान किसी व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और वित्तीय संस्थानो के लिए अनिवार्य किया है कि वे उन सभी ग्राहकों की पहचान और पते की पुष्टि करें जो उनके साथ वित्तीय ट्रांज़ेक्शन करते हैं. केवाईसी एक संस्थान को एक निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में सक्षम बनाता है. जब ग्राहक अपना केवाईसी करवा लेते हैं तो वो बैंक को अपनी पहचान, पता और वित्तीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं. इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि इसमें निवेश किया गया पैसा मनी लौंडरिंग / अवैध गतिविधियों / धोखाधड़ी के लिए नहीं है.

केवाईसी क्यों जरूरी है : केवाईसी मानदंडों का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने ग्राहकों को जानना और समझना आसान बनाना है. केवाईसी मानदंडों के कार्यान्वयन का उद्देश्य मनी लौंडरिंग या अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए जानबूझकर या अनजाने मे बैंकों को इस्तेमाल होने से रोकना है. अपने ग्राहक मानदंडों को जानने का मुख्य उद्देश्य है :

- मनी लौंडरिंग बंद करना
- आतंकवादी वित्तपोषण पर लगाम
- ग्राहकों को समझना और भविष्य के जोखिमों से बचना

केवाईसी की जरूरतें : फोटोग्राफ के साथ एक पहचान प्रमाण और एक पते का प्रमाण आमतौर पर केवाईसी के प्रमुख दस्तावेज़ हैं. जिसका उपयोग बचत बैंक खाते, म्यूचुअल फ़ंड, बीमा आदि के समय किसी की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है. सरकार द्वारा निम्नलिखित 6 दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ का दर्जा दिया गया है.

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड. इसके अलावा 'लेटर ऑफ थैंक्स' का केवाईसी अनुपालन में समायोजन भी इसके सुदृढ़ क्रियान्वयन को दर्शाता है. 'लेटर ऑफ थैंक्स' नए खोले गए सभी खातों में आवश्यक रूप से भेजा जाना चाहिए. खाताधारक के पते के प्रमाण के सत्यापन का यह एक बहुत ही अच्छा जरिया है.

केवाईसी का उपर्युक्त विवरण इसका महत्व बताता है और सहज रूप से प्रदर्शित करता है कि व्यापक रूप से सुझाए गए सभी मानदंडों का अनुपालन हमें भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से न केवल सुरक्षित रखेगा अपितु ग्राहक के साथ अच्छे से जुड़ने एवं उनके विश्वास पर खरा उतरने में सहायक होगा.

अवनीश कुमार झा
क्षे.का. ग्रेटर कोलकाता

केंद्रीय कार्यालय मुंबई में आयोजित
हिंदी उत्सव, 2022

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु केंद्रीय कार्यालय मुंबई में दिनांक 14.10.2022 को हिंदी दिवस मुख्य समारोह का आयोजन किया गया. बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सुश्री ए.मणिमेखलै ने इस समारोह की अध्यक्षता की. इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने बैंकिंग तथा ग्राहक सेवा में हिंदी और स्थानीय भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डाला. बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री नितेश रंजन, श्री निधु सक्सेना, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री उमेश कुमार सिंह एवं मुख्य महाप्रबंधक (मासं) श्री लाल सिंह ने भी सभा को संबोधित किया. सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में बैंक की कार्टून पुस्तक ‘मेरा बैंक हमेशा मेरे साथ’ एवं विभिन्न विभागों के संदर्भ साहित्य का विमोचन भी किया गया. कार्यक्रम के दौरान, हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टाफ सदस्यों तथा विभागों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया. हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई 9 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.

मुख्य कार्यक्रम के पश्चात् मनोरंजक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सुप्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बावरा, श्री रोहित शर्मा एवं श्री बसंत आर्य ने कविता पाठ किया. इसके साथ ही बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायन एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ दी गईं. इस अवसर पर बैंक के अन्य शीर्ष कार्यपालकगण, स्टाफ सदस्य एवं परिवार के सदस्य उपस्थित थे.

कार्यक्रम में स्वागत भाषण, डॉ. सुलभा कोरे सहायक महाप्रबंधक (राभा) द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री गोकुलानंद दास, महाप्रबंधक (मासं) द्वारा प्रस्तुत किया गया. कार्यक्रम का संचालन श्री रामजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक (राभा) एवं श्री विवेकानंद, मुख्य प्रबंधक (राभा) ने किया.

उद्घाटन समारोह / स्वागत वक्तव्य

विमोचन

पुरस्कार वितरण

हास्य कवि सम्मेलन / सांस्कृतिक कार्यक्रम

दर्शक दीर्घा

विभिन्न क्षे.म.प्र.का. / क्षे.का. / स्टाफ महाविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य हिंदी दिवस समारोह

क्षे.म.प्र.का. अहमदाबाद, क्षे.का. अहमदाबाद एवं क्षे.का. गांधीनगर

क्षे.म.प्र.का. एवं क्षे.का. जयपुर

क्षे.म.प्र.का. एवं क्षे.का. लखनऊ

क्षे.म.प्र.का. मंगलूरु एवं क्षे.का. मंगलूरु

क्षे.म.प्र.का. रांची एवं क्षे.का. रांची

क्षे.म.प्र.का. एवं क्षे.का. विजयवाड़ा

क्षे.म.प्र.का. बेंगलूरु एवं क्षे.का. बेंगलूरु (दक्षिण)

क्षे.म.प्र.का. भोपाल एवं क्षे.का. भोपाल (सेंट्रल)

क्षे.म.प्र.का. भुवनेश्वर क्षे.का.भुवनेश्वर एवं कटक

क्षे.म.प्र.का. चंडीगढ़

क्षे.म.प्र.का. चेन्नई एवं क्षे.का. चेन्नई (उत्तर) एवं (पश्चिम)

क्षे.म.प्र.का. दिल्ली एवं क्षे.का. दिल्ली (उत्तर) (दक्षिण) (एनसीआर)

क्षे.म.प्र.का. हैदराबाद, क्षे.का. पंजागुट्टा, कोटी, सिकंदराबाद एवं सैफाबाद

क्षे.म.प्र.का. कोलकाता एवं क्षे.का. कोलकाता मेट्रो

क्षे.म.प्र.का. पुणे

क्षे.म.प्र.का. विशाखपट्टनम

क्षे.म.प्र.का. मुंबई

स्टाफ महाविद्यालय बेंगलूरु

हिंदी दिवस समारोह

क्षे.का. आणंद

क्षे.का. बेलगावी

क्षे.का. बेंगलूरू (पूर्व)

क्षे.का. बेंगलूरू (उत्तर)

क्षे.का. ब्रह्मपुर

क्षे.का. भागलपुर

क्षे.का. बिलासपुर

क्षे.का. चेन्नई (दक्षिण)

क्षे.का. धनबाद

क्षे.का. दुर्गापुर

क्षे.का. एर्णाकुलम (ग्रामीण)

क्षे.का. एर्णाकुलम

क्षे.का. गुवाहाटी

क्षे.का. ग्वालियर

क्षे.का. हल्द्वानी

क्षे.का. मेहसाणा

क्षे.का. गुंटूर

क्षे.का. अमरावती

हिंदी दिवस समारोह

क्षे.का. हावड़ा

क्षे.का. हुब्बली

क्षे.का. इंदौर

क्षे.का. गोवा

क्षे.का. जोधपुर

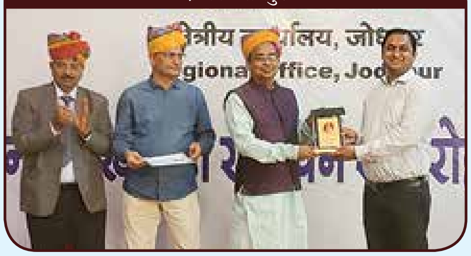

क्षे.का. जूनागढ़

क्षे.का. करनाल

क्षे.का. कोल्हापुर

क्षे.का. बरेली

क्षे.का. गाजियाबाद

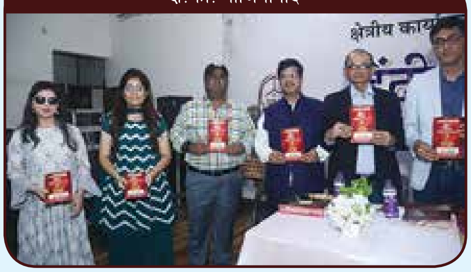

क्षे.का. कोषिक्कोड

क्षे.का. कुर्नूल

क्षे.का. लुधियाना

क्षे.का. मदुरै

क्षे.का. महबूबनगर

क्षे.का. कलबुर्गी

क्षे.का. कानपुर

क्षे.का. मऊ

क्षे.का. नागपुर

क्षे.का. नासिक

क्षे.का. नेल्लोर

क्षे.का. निजामाबाद

क्षे.का. भोपाल (दक्षिण)

क्षे.का. पटना

क्षे.का. पुणे (पूर्व)

क्षे.का. पुणे (पश्चिम)

क्षे.का. रायपुर

क्षे.का. बालासोर

क्षे.का. तिरुवनंतपुरम

क्षे.का. उडुपी

डीआईटी पवई

क्षे.का. काकीनाड़ा

क्षे.का. करीमनगर

क्षे.का. सूरत

क्षे.का. राजमंड्री

क्षे.का. श्रीकाकुलम

हिंदी दिवस समारोह

क्षे.का. गाजीपुर

क्षे.का. उदयपुर

क्षे.का. अहमदनगर

स्टा.प्र.के. भोपाल

क्षे.का. तिरुचिरापल्ली

क्षे.का. ओंगोल

क्षे.का. कोल्लम

क्षे.का. तिरुपति

क्षे.का. कोट्टायम

क्षे.का. राजकोट

क्षे.का. रायगढ़

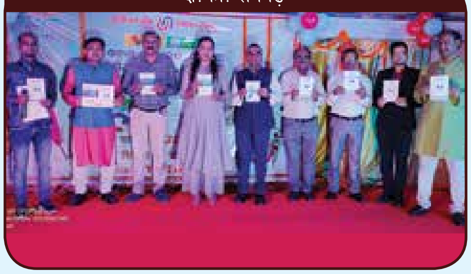

क्षे.का. रीवा

क्षे.का. समस्तीपुर

क्षे.का. संबलपुर

क्षे.का. शिमोगा

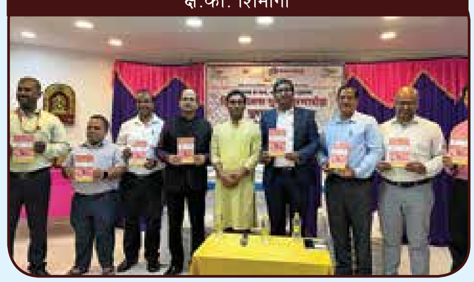

क्षे.का. बड़ौदा

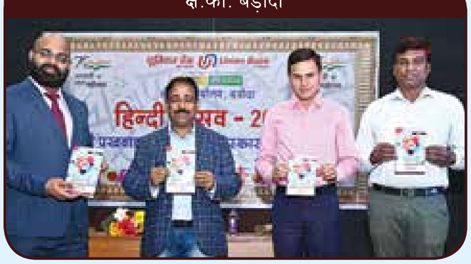

क्षे.का. जबलपुर

क्षे.का. वरंगल

निर्णय

'अपने मिशन की सफलता एवं ब्रेल लिपि को "समग्र साक्षरता अभियान" का अंग बनाए जाने पर आप क्या कहेंगी?' पत्रकार ने अमिता से पूछा.

'मैं इसे एक शुरुआत के रूप में ही मानती हूँ, मेरी समझ से बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है. ब्रेल लिपि हमारे बीच लगभग 200 वर्षों से है, फिर भी नेत्रहीन वर्ग को उसका उतना लाभ नहीं मिल सका है जितना कि मिल जाना चाहिए था. आज तो ब्रेल लिपि को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के स्थान पर उसके उपयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दृष्टिबाधित जन की पूर्ण साक्षरता के मानक के रूप में ब्रेल लिपि को आधार के रूप में स्वीकार किया है तो हमें इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता होगी.

'संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको अपना वैश्विक राजदूत बनाया है, जिसके पीछे आपकी जमीनी स्तर पर चलाई जा रही कार्य योजना का योगदान है. क्या आपको लगता है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित जन के अतिरिक्त भी कोई कर सकता है?'

'हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा सुदूर अंतरिक्ष एवं ऐसी प्रयोगशालाओं में जहाँ प्रकाश का सीमित प्रयोग करना होता है, वहाँ ब्रेल लिपि द्वारा काम किया जाना प्रस्तावित है और कई वैज्ञानिक इस हेतु प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं.'

'संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपको अपने मिशन हेतु रु. 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, क्या करेंगी आप इतने पैसों का?'

'मेरी समझ में यह राशि बहुत कम है फिर भी हमारी योजना है कि ब्रेल पुस्तकों को प्रत्येक शिशु तक तथा प्रत्येक ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति तक पहुंचाना जिसे उनकी आवश्यकता है. देश में ब्रेल पुस्तकों का प्रकाशन बड़े पैमाने पर हो रहा है और कई स्थानों पर पुस्तकालय एवं वाचनालय भी खोले गये हैं, किंतु पाठकों की संख्या नहीं बढ़ रही है ऐसे में पाठकों तक पुस्तकों की पहुंच बनाने में यह धनराशि किसी सेतु का काम कर सकती है'

'जब प्रौद्योगिकी है तो ब्रेल ही क्यों? यह तो लिखने का एक पुराना तरीका है.'

'सच कहते हैं आप, जब ऑडियो विजुअल की व्यवस्था हो गई है तो फिर आखिर आप लोग छोटे-छोटे बच्चों को पेन-पेंसिल देकर अलग-अलग तरह की लेखन व्यवस्था क्यों सिखाते हैं? सभी बच्चों को टैब आदि देकर छुट्टी क्यों नहीं पा लेते?'

'अब तो किसी के मन में ब्रेल को लेकर कोई शंका नहीं रह गई है' पत्रकार ने यह कहकर इंटरव्यू समाप्त कर दिया.

अमिता का राष्ट्रीय चैनल तथा अन्य संचार माध्यमों पर लाइव प्रसारित हुआ यह लंबा साक्षात्कार उसके द्वारा विगत कई वर्षों की नि:स्वार्थ सेवा एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था. आज जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा उसे "विश्व ब्रेल सम्मान" से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने अपने "समग्र साक्षरता अभियान" में ब्रेल को 'अनिवार्य' रूप से लागू कर दिया था, तब शासकीय स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से यह साक्षात्कार लिया गया.

ऑनलाइन साक्षात्कार पूर्ण होने पर जब अमिता ने अपना मोबाइल फोन हाथ में लिया तो वह सहसा बज उठा, उसने देखा यह तो सुबोध की कॉल थी.

"हाँ, सुबोध बोलो, क्या बात है? बहुत दिनों बाद आज तुमने फोन कैसे किया?" एक साँस में सब कुछ कह गई अमिता.

'सबसे पहले तो तुम्हें बधाई कि तुम एक विश्व स्तर की हस्ती बन गई हो.'

'तुम्हें भी बधाई सुबोध कि तुम उस हस्ती के आज भी मित्र बने हुए हो.' यह कहकर अमिता खिलखिलाकर हँस पड़ी.

'दरअसल माँ-पिताजी भी तुम्हें बधाई दे रहे हैं और वे तुमसे कुछ बात भी करना चाहते हैं.

'बधाई देने हेतु उन्हें धन्यवाद कहना, मैं उनसे कल बात करूँगी.'

'ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, गुड नाइट.' कहकर सुबोध ने कॉल काट दी.

अमिता अपने सेलफोन को एक ओर रखकर, लंबी साँस भरकर बिस्तर पर जा लेटी. विभिन्न सम्मान समारोहों और प्रदेश एवं देश के प्रमुख लोगों से चर्चा-परिचर्चा ने अंतर्मुखी अमिता को मानसिक रूप से बहुत थका दिया था. अब उसे अपने लिए कुछ समय मिला तो वह स्मृति के सागर में डूबती-उतरती चली गई.

उसे याद आए वे दिन जब उसे उसकी माँ शारदा देवी हाथ पकड़कर मंदिर ले जाया करती; घर में खाना बनाते-बनाते उसे गिनती-पहाड़े सिखाती; खेल-खेल में बारहखड़ी सिखाती. अमिता के पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ माह पश्चात् ही हो गया था, अत: संयुक्त परिवार में रहने वाले ताऊ एवं चाचा ने उस दृष्टिहीन कन्या को अभिशाप ही समझा, आखिर उसके पिता उस घर में सबसे अधिक कमाई जो करते थे. शारदा देवी को अपने पति की मृत्यु के पश्चात् घर की रसोई से लेकर झाड़ू, पोंछे, बर्तन साफ करने जैसे सारे कामों की जिम्मेदारी सौंप दी गई. उनके मायके में न तो संपन्नता थी और न ही उनके प्रति सहानुभूति. अत: उनको वापस मायके बुलाने या उनके प्रति किसी प्रकार के दायित्व निर्वहन के विषय में उनके भाईयों ने कोई बात ही नहीं की. इसे शारदा ने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया.

अमिता जब कुछ बड़ी हुई तो शारदा ने उसे विशेष विद्यालय में प्रवेश दिलवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अमिता के ताऊ ने यह कहकर ठुकरा दिया कि विशेष विद्यालय तो दूसरे शहर में है और फिर वे नहीं चाहते कि उनकी लाडली बच्ची घर से दूर जाकर इतनी कम उम्र में कठिनाइयों का सामना करे. अनाथ बच्चों के हॉस्टलों से जुड़े हुए, कई अखबारी भयावह किस्सों के उदाहरण उन्होंने दे डाले, जिससे शारदा मन मसोसकर रह गई. ऐसी बातों के आगे उसका कोई तर्क चल न सका. किसी तरह उसने ब्रेल लिपि सीखी तथा दृष्टिबाधित

बच्चों को पढ़ाने हेतु चलाया जाने वाला आधार पाठ्यक्रम कर लिया. अपने सीमित ज्ञान के माध्यम से शारदा अमिता के लिए ज्ञान के वातायन खोलने लगी. घर पर रहकर वह जो और जितना कुछ पढ़ा सकती थी, उसने अमिता को सच्ची लगन के साथ पढ़ाया.

कहते हैं न कि सच्ची श्रद्धा से किये गए शांति पूर्ण कार्य की गूँज हजारों मील तक जाती है. अमिता के पढ़ने-लिखने व ज्ञानवान होने की बात घर व आस-पड़ोस के बच्चों के माध्यम से अमिता के मोहल्ले में ही रहने वाली स्कूल अध्यापिका ज्योति मैडम तक पहुंच गई. ज्योति मैडम सामाजिक प्रकृति की एक मिलनसार महिला थीं, वे अमिता के घर पहुंचीं और अमिता की जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे कहीं अधिक प्रतिभा उसमें पाई. ताऊजी से अनुमति लेकर ज्योति मैडम ने उसका कक्षा दसवीं के लिए प्राइवेट फार्म भी भरवा दिया. वे अमिता को अपने घर पर बुलाती और वहाँ आने वाले उनके ट्यूशन विद्यार्थियों के साथ उसे भी पढ़ाती.

ज्योति मैडम उसका उदाहरण देकर अन्य बच्चों को उससे प्रेरणा लेने के लिए खूब प्रोत्साहित किया करती थी. एक बार जब वे अंग्रेजी का कोई उत्तर लिखवा रही थीं, तभी अचानक बिजली चली गई. मैडम का बोलना बंद होते ही ब्रेल में नोट्स बना रही अमिता ने कहा, 'मैडम आगे बताइये न, क्या लिखना है.' इस पर मैडम अपने चिर-परिचित अंदाज में ठहाका मारकर हँस पड़ी. 'तू तो लिख लेगी, बेटा, पर इन लोगों का क्या होगा जो बाहरी प्रकाश के अभाव में नेत्रहीन हो गए हैं!'

ज्योति मैडम के घर पर ही उसे सुबोध मिला. वह और उसकी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अमिता से बहुत प्रभावित हुए. कक्षा दसवीं में अमिता ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर "नगर गौरव" का सम्मान पाया. जब उसने बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की ही थी कि माँ का साया भी उसके सिर से उठ गया. घर में रहकर कठोर परिश्रम करने तथा समुचित देखभाल के अभाव व परिवारजन द्वारा की जा रही उपेक्षा के चलते शारदा देवी को छोटी-छोटी बीमारियों ने समय से पहले ही काल का ग्रास बना दिया. अपनी माँ से साहस का पाठ पढ़, अमिता ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा न करने पर उसका स्वयं पढ़ पाना संभव न था.

सुबोध जो कि शहर के एक बड़े व्यापारी का बेटा था, अमिता की जीवटता में उसका सहयोगी बना. वह ट्यूशन के लिए बच्चों को जुटाने में उसकी सहायता किया करता. इतना ही नहीं जब अमिता ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने की इच्छा जताई तो सुबोध ने उसका भरपूर सहयोग किया. युवा होते दोनों हृदयों के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो कि सहज एवं स्वाभाविक था. उन दोनों को जो भी अनुभव हो रहा था, वे उनके होठों पर न आ सका. स्नातक की डिग्री पूर्ण करते ही लगनशील अमिता ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उसे भी उत्तीर्ण कर लिया. हालाँकि परिवार के लोग उसकी इस सफलता से प्रसन्न नहीं थे, किंतु उन्हें इस सफलता के पीछे अपने कई उल्लू सीधे होते दिखाई पड़े. सुबोध साक्षात्कार से लेकर नियुक्ति तक उसके साथ रहा. उन दोनों के इस साथ पर कस्बाई सोच की कुदृष्टि पड़ते देर न लगी. छोटे शहरों का यही दुर्भाग्य है कि यहाँ के बाशिंदे औरों की व्यक्तिगत बातों में निरर्थक रुचि लेते हैं और अच्छे खासे संबंधों को तबाह कर दिया करते हैं. उन दोनों के पवित्र रिश्ते पर बाजारी गप्पों ने ग्रहण लगा दिया. जब सुबोध ने अपने माता-पिता से अमिता की प्रशंसा की और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो वे न केवल भड़क गए, बल्कि ऐसा होने पर जान देने तक की धमकी देने लगे. वे इतने पर ही न रुके, बल्कि अपनी धमकी में वे यहाँ तक पहुंच गए कि यदि सुबोध ने अमिता से मिलने की कोशिश की तो अमिता का भी कुछ अनिष्ट हो सकता है. इस बाद वाली बात ने सुबोध को अंदर तक दहला दिया. उसने अब अमिता से मिलना और उसके फोन कॉल रिसीव करना बंद कर दिया. साथ ही अपने माता-पिता द्वारा लाए गए सभी विवाह प्रस्तावों को वह अस्वीकार करता चला गया.

दूसरी ओर, अमिता ने अपनी कर्मशीलता से जीवन की राहों को आसान बनाया. वह अपने कैरियर में उन्नति तो कर ही रही थी, अपने खाली समय को पूरे उत्साह एवं ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र के ग्रामीण दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग बालक-बालिकाओं के विकास के लिए दे रही थी. प्रदेश के नि:शक्तजन कल्याण विभाग में अपनी पदस्थापना के दौरान उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई प्रोजेक्टों को जमीनी स्तर पर संचालित करने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया. यह कस्बाई लड़की अब राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व बन चुकी थी.

जहाँ उसकी बड़ी सफलता ने उसे अपने अतीत में झाँकने के लिए विवश कर दिया, वहीं अनायास आए सुबोध के इस फोन कॉल ने उसे सोचने पर विवश किया कि इतना सब कुछ करने पर भी उसके पास एक कमी है. वह स्वयं को अधूरा सा अनुभव करने लगी. उसे अपने जीवन में एक मधुमास की कल्पना अच्छी लगी. साथ ही उसे बसंत के बाद आने वाले पतझड़ की निष्ठुर ऋतु भी दिखाई देने लगी. खट्टी-मीठी कल्पना मिश्रित थकान ने उसे एक गहरी नींद सुला दिया.

देर सुबह उसकी नींद मोबाइल की आवाज से ही खुली, देखा तो सुबोध का फोन था.

'हाँ सुबोध, गुड मॉर्निंग!'

'अमिता माँ तुम से बात करना चाहती हैं, तुम बात करोगी ना'

'लेकिन सुबोध, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती. शायद वे मुझे मिले सम्मान से प्रभावित हैं और चूँकि तुमने भी अब तक विवाह नहीं किया है, अत: संभव है कि वे हमारे विवाह की चर्चा करें, किंतु मैं जीवनपथ पर बहुत आगे निकल आई हूँ. हो सकता है कि घर बसाकर मैं सुखी हो जाऊँ, परंतु उनके सुख का क्या होगा, जिसके लिए मैं कृतसंकल्पित हूँ? फिर यह आवश्यक नहीं है कि जो लोग आज मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, वे कल भी प्रसन्न रहेंगे ही...... लेकिन वे बच्चे और युवा जिनका भविष्य मेरे तुच्छ प्रयासों से सुधर सकता है, उनके लिए तो संभवत: मैं प्रसन्नता का ही कारण रहूँगी. इस लिए सुबोध मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती.' इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया.

अर्पित जैन
क्षे.का. भोपाल (दक्षिण)

हिन्दी की लोकप्रियता में बाधाएँ

संस्कृति किसी समाज या देश की आत्मा होती है और 'भाषा' संस्कृति का अभिन्न अंग है जो संस्कृति के अन्य तत्वों के परिवहन, प्रसार और संचालन में सहायक होती है. यदि आप किसी समाज या स्थान या देश की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो आपको उस देश की भाषा से सबसे पहले सामना करना पड़ता है. यदि आप उस समाज / देश की भाषा से परिचित हैं तो केवल दो प्रक्रियाओं अर्थात् शब्दग्रहण (पढ़ना / सुनना) व अर्थबोध (समझना) से गुजरना होता है वहीं यदि आप उस भाषा से परिचित नहीं हैं तो आपको तीन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है : पढ़ना/ सुनना, अपनी भाषा में अनुवाद करना व समझाना. कई बार अनुवाद के कारण वास्तविकता एकदम सटीक रूप में उपस्थित नहीं हो पाती है.

अत: संस्कृति को परखने समझने और जानने के लिए उस स्थान या समाज विशेष की भाषा से रु-ब-रु होना एक अनिवार्यता है. भारत जैसा विशाल देश, जो अपनी सामासिक संस्कृति तथा विविधता में एकता के लिए विख्यात है, की भाषा में भी सामासिकता और विविधता में एकता का होना आवश्यक है. भाषा में भी एक ऐसी कड़ी की आवश्यकता है जो पूरे देश की संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके और अन्य भाषाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाए. हिन्दी निश्चित रूप से इस कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है.

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में कुल 19,569 भाषाएँ और बोलियाँ मातृभाषा के रूप में प्रचलित हैं (स्रोत - इंटरनेट) अर्थात 130 करोड़ की आबादी की मातृभाषा 19,569 में से कोई एक भाषा है. उनमें से 96.71% की आबादी की मातृभाषा उन 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है. इसके साथ ही भारत में 75 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं और पूरे विश्व में 80 करोड़ के लगभग लोग हिन्दी बोलते और समझते हैं. इस प्रकार से हिन्दी निश्चित रूप से संपर्क भाषा का कार्य कर रही है. यह हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है.

हिन्दी की लोकप्रियता के मार्ग में बाधाएँ :

लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति : हिन्दी भारत की राजभाषा, संपर्क भाषा है परंतु आज भारत में हिन्दीभाषी कहीं-न-कहीं एक हीनता की भावना से ग्रसित हैं और यह हीनता अचानक नहीं आई है. इसकी नींव लार्ड मैकाले ने 1835 में रख दी थी. लॉर्ड मैकाले भाषा की प्रकृति एवं व्यक्तित्व निर्माण में उसकी भूमिका को भली-भांति समझता था. वह जानते थे कि भारत को लंबे समय तक पराधीन बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी प्राचीन संस्कृति से दूर करना होगा और देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति को बदलना होगा. इसका परिणाम है कि यह मानसिकता अब स्कूल, कॉलेजों से निकलकर हर घर में घुस चुकी है. आज माताएँ भी अपने बच्चों को मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने को वरीयता दे रही है चाहे वह अंग्रेज़ी दोयम दर्जे की ही क्यूँ न हो. इसीलिए जहां विकसित देशों में मानसिक परिपक्वता की औसत उम्र 16-18 वर्ष है वहीं हमारा देश मानसिक परिपक्वता के लिए 25-28 वर्ष/प्रति व्यक्ति का समय लेता है. शिक्षा नीति में द्विभाषिकता के कारण हमारा दिमाग सृजनशीलता पर ज्यादा समय नहीं दे पाता उसका अधिकांश समय अनुवाद और अंग्रेजी को सीखने-दोहराने में लगता है. यदि आप आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो विश्व में सर्वोत्तम 10 औसत आई.क्यू. (IQ) वाले देशों में एक खास बात यह है कि वे सभी पूर्णत: अपनी भाषा में कार्य करते हैं. औसत आई.क्यू. के सूची में भारत 83वें दर्जे पर है. इससे स्पष्ट है कि अपनी भाषा का सृजनशीलता और व्यक्तित्व निर्माण और आई.क्यू. क्षमता पर कितना असर होता है.

भारत का वर्गीकरण और सरकारी नीतियाँ : सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि अंग्रेजों ने भारत को 'फूट डालो और शासन करो' की नीति पर पराधीन कर रखा था. हमारी इस फूट ने उन्हे 200 वर्षों तक यह अवसर प्रदान किया था. स्वतन्त्रता आंदोलनों के दौरान हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा थी किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के राज्यों का वर्गीकरण भाषाओं के आधार पर किया गया अर्थात् फिर से फूट डाली गई और हिन्दी को राजभाषा बना दिया गया. वर्ष 1976 में राजभाषा नियम के लागू होने के साथ पुन: इन राज्यों को हिन्दी समझने-बोलने के आधार पर तीन भाषायी वर्गों ('क', 'ख' एवं 'ग' भाषिक क्षेत्र) में बाँट दिया गया. हालांकि इस बँटवारे का उद्देश्य भारत के उस भाषायी वर्गों को राजभाषा सीखने, पढ़ने लिखने पर विशेष ज़ोर प्रदान करना था. इसके लिए सरकार की ओर से शिक्षण योजनाएँ लागू की गयी. लेकिन हिन्दी को संविधान द्वारा/में अनिवार्य नहीं किया गया और अंग्रेज़ी को सह राजभाषा के रूप में बरकरार रखा गया. साथ ही स्कूली शिक्षाओं में अंग्रेजी के अध्यापन पर विशेष ज़ोर दिया जाने लगा और आज हालात ऐसे हैं कि हिन्दी माध्यम की अपेक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और कॉलेजों की कुल संख्या अधिक है.

व्यावसायिक एवं उच्चतर शिक्षा में पाठ्यक्रम / पाठ्यपुस्तकों का हिन्दी में उपलब्ध न होना : भारत की आज़ादी को 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं आज़ादी के बाद संविधान के निर्माताओं ने सभी वङ्गमय को राजभाषा में तब्दील करने के लिए 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की थी किन्तु आज 75 वर्ष के बाद भी व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में प्रदान नहीं की जा रही हैं. फलत: हमारी विकसित पीढ़ी जो विभिन्न आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है वह निश्चित रूप से उसी भाषा में सक्षम होगी जिसमें उसने शिक्षा ग्रहण की है.

परिनिष्ठित हिन्दी आज भी मात्र साहित्य और कविताओं में विराजमान है. अध्यापन, तकनीक, चिंतन, सिद्धान्त आदि की भाषा नहीं बन पायी है; इन क्षेत्रों में आज भी उत्कृष्ट लेखकों / विचारकों का अभाव है.

हमारे आदर्श : यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी के विकास में भारतीय सिनेमा उद्योग व संगीत उद्योग का बहुत बड़ा हाथ रहा है. बॉलीवुड की लोकप्रियता और ग्राह्यता इतनी विशाल है कि अब विभिन्न भाषाई प्रान्तों और यहाँ तक कि विदेशी कलाकार भी हिन्दी सिनेमा जगत में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए वे हजारों-लाखों रुपये देकर हिन्दी सीख भी रहे हैं. किन्तु जिन भारतीयों को यह भाषा नैसर्गिक उपहार के तौर पर मिली है वो ही बड़े-बड़े मंच और पुरस्कार समारोह में ऐसा बर्ताव करते हैं मानो हिन्दी की परिकल्पना भी उनकी कल्पना से परे है और आज भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों को फॉलो करता है.

भाषाई आत्मसम्मान का नहीं होना : चूंकि हिन्दी भारतीयों के लिए एक नैसर्गिक देन है और बिना धन और श्रम के व्यक्ति हिन्दी सीख जाता है तो इसका मूल्य वह उतना नहीं समझ पाता जितना वह एक व्यक्ति समझता है जिसने अतिरिक्त प्रयास और धन देकर इस भाषा को सीखा हो. यही तथ्य अंग्रेजी के क्रम में लागू होता है. चूंकि अंग्रेजी को सीखने के लिए हम अतिरिक्त श्रम/ समय/ धन और ट्यूशन लगाते हैं तो वह मोह आवश्यक हो जाता है. इसके प्रति किए गए मेहनत और कुर्बानी को हम नहीं भूल पाते.

कुछ लोग जानबूझकर गलत हिन्दी शब्दों का प्रयोग करते हैं या हिन्दी के एक वाक्य में 70% अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके गौरवान्वित महसूस करते हैं वहीं कुछ घनघोर राष्ट्रवादी हिन्दी के नाम पर केवल उसी हिन्दी को दूसरों से बोलवाने के लिए ज़ोर देते हैं, जिसमें केवल संस्कृत के शब्द हो, इससे हिन्दी अपनी सहजता और सरलता से दूर हो जाती है. इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता से उबर पाना एक टेढ़ी खीर है. सरकार की भूमिका यहाँ भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों को भी सुदृढ़ और सुसंपन्न किया जाए. भाषा की शुद्धता पर विशेष ज़ोर दिया जाए ताकि शुद्ध भाषा शिष्ट व्यक्तित्व को तैयार करे.

हिन्दी में स्तरीय व उम्दा सामग्री (कंटैंट) का अभाव : विगत दशकों में भारत में हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं, साहित्य, गीत-संगीत की गुणात्मकता में संकुचन दिखाई पड़ता है. मुख्य रूप से हिन्दी में उत्कृष्ट व्यावसायिक व आर्थिक समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों की संख्या तथा मनोरंजन के साधनों में स्तरीय व विचारपूर्ण कंटेंट की कमी होने के वजह से भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग समाचार व मनोरंजन आदि के लिए अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में विस्थापित हो रहे हैं.

समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं न्यूज चैनल जनसंचार एवं सूचनाओं के सम्प्रेषण का अहम हिस्सा होते तो हैं ही साथ ही पाठकों के भाषाई शुद्धता, शब्दभंडार, विचार व चिंतनधारा को प्रभावित करने में भी सहयोग करते हैं. न्यूज चैनल और पत्रिकाओं की बात करें तो समाचार के विषय-वस्तु को मसालेदार और आकर्षक बनाने के लिए न्यूजआइटम को विवादित, पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते नज़र आते हैं. यही नहीं नकारात्मक तथ्यों को सकारात्मक तथ्यों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है.

सोशल मीडिया की भूमिका : सोशल मीडिया आज के दौर में एक सशक्त औज़ार है. यह वह दोधारी तलवार है जो किसी भी मानक / अस्तित्व का रक्षण और संहार करने में पुर्णतः सक्षम है. भाषाई आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी (उच्च शिक्षा को नहीं प्राप्त करना) के कारण देश के लोग विश्लेषण और विमर्श करने में पिछड़े रह जाते हैं और ऐसे पिछड़े लोग नकारात्मक संदेशों को परिचालित करते हैं और संस्कृति की कब्र खोदने में अथक मेहनत करते हैं. जैसा कि ऊपर कहा गया है कि अल्प-शिक्षितों से समाज को सबसे ज्यादा खतरा है... और ऐसे लोगों के हाथ में सोशल मीडिया की दोधारी तलवार का होना विध्वंस का आह्वान ही है.

राजभाषा नीति-नियम का केवल 'प्रेरणा और प्रोत्साहन' की नीति पर आधारित होना भी कभी-कभी हिन्दी के गौरव को चोट पहुंचाने वालों को बढ़ावा देती है. देश में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय पशु-पक्षी आदि के अपमान अथवा हनन पर दंड/ सजा का प्रावधान काफी आम है किन्तु देश कि राजभाषा के अपमान, नीतियों के उल्लंघन आदि पर दंड या जुर्माने का कोई प्रावधान न होना भी अल्पविकसित मानसिकता वाले आबादी को दुस्साहस करने का मौका देती है.

भाषा एक साधन है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है और शिक्षा का मानक है, लेकिन यह वाक्य सभी भाषाओं पर समान रूप से लागू होती है. दूसरे शब्दों में हमारी शिक्षा का स्तर हमारी अभिव्यक्ति शैली और दूसरों तक बात सकारात्मक तरीके से पहुंचा देने की कौशल पर निर्भर करती है. परंतु भारत के संदर्भ में मान्यता भिन्न है, यहाँ अधिकांश जनसंख्या के अंदर एक विचित्र मनोविकार है जिसके अनुसार केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का बोलना आ जाना शिक्षा या कौशल का मानदंड है. यदि किसी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती तो यह उसकी खामियों में गिना जाता है अर्थात् अंग्रेजी को यहाँ 'भाषा' नहीं 'कौशल' माना जाता है. यह मानसिकता हिन्दी की लोकप्रियता और सर्वग्राह्यता को खा रही है.

राधा मिश्र
क्षे.का. हावडा

विश्व हिंदी सम्मेलन एवं इसकी भूमिका

वैश्विक स्तर पर हिंदी एवं हिंदी साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा हिंदी भाषा के समग्र विकास हेतु विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन एक सशक्त माध्यम है जो पूरे विश्व में हिंदी भाषा को लेकर सदैव सजग तथा सक्रिय रहता है. इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक अगर इसकी भूमिका का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की दिशा में इस संस्था का समग्र प्रयास रहा है.

विश्व हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिन्दी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिन्दी प्रेमी एकत्रित होते हैं. वैश्विक स्तर पर हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने, समय-समय पर हिन्दी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रति सरोकारों को और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्त्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलनों की श्रृंखला आरम्भ की गयी. इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहल की थी. पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के सहयोग से नागपुर में सम्पन्न हुआ, जिसमें प्रसिद्ध समाजसेवी एवं स्वतन्त्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष सन्देश भेजा.

प्रारम्भ में इसका आयोजन हर चौथे वर्ष किया जाता था लेकिन अब यह अन्तराल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है. अबतक दस विश्व हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं- मॉरीशस, नई दिल्ली, पुनः मारीशस, त्रिनिदाद व टोबेगो, लन्दन, सूरीनाम, न्यूयार्क और जोहांसबर्ग में. दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 2015 में भोपाल में आयोजित हुआ जबकि वर्ष 2008 में इसका आयोजन मॉरीशस में हुआ था.

पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी, 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया. सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के तत्वावधान में हुआ. सम्मेलन से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष महामहिम उपराष्ट्रपति श्री बी. डी. जत्ती थे. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अध्यक्ष श्री मधुकर राव चौधरी उस समय महाराष्ट्र के वित्त व नियोजन मन्त्री थे. पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन का बोधवाक्य था - 'वसुधैव कुटुम्बकम्' सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम, जिनकी अध्यक्षता में मॉरीशस से आये एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी सम्मेलन में भाग लिया था. इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन में पारित किये गये मन्तव्य थे-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाये.
2. वर्धा में विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हो.
3. विश्व हिन्दी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये अत्यन्त विचारपूर्वक एक योजना बनायी जाए.

दूसरे विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन मॉरीशस की धरती पर हुआ. मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में 28 अगस्त से 30 अगस्त 1976 तक चले इस सम्मेलन के आयोजक राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष, मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. सर शिवसागर रामगुलाम थे. सम्मेलन में भारत से तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री, डॉ. कर्ण सिंह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया. भारत के अतिरिक्त सम्मेलन में 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.

तीसरे विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक किया गया. सम्मेलन के लिये बनी राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड़ थे. इसमें मॉरीशस से आये प्रतिनिधिमण्डल ने भी हिस्सा लिया जिसके नेता थे श्री हरीश बुधू. सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने प्रमुख भूमिका निभायी. सम्मेलन में कुल 6566 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें विदेशों से आये 260 प्रतिनिधि भी शामिल थे. हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुश्री महादेवी वर्मा समापन समारोह की मुख्य अतिथि थीं.

चौथा विश्व हिन्दी सम्मेलन 02 दिसम्बर से 04 दिसम्बर 1993 तक मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया. 17 साल बाद मॉरीशस में एक बार फिर विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा

रहा था. इस बार के आयोजन का उत्तरदायित्व मॉरीशस के कला, संस्कृति, अवकाश एवं सुधार संस्थान मंत्री श्री मुक्तेश्वर चुनी के पास था. उन्हें राष्ट्रीय आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. इसमें भारत से गये प्रतिनिधिमण्डल के नेता थे, श्री मधुकर राव चौधरी. भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री रामलाल राही प्रतिनिधिमण्डल के उपनेता थे. सम्मेलन में मॉरीशस के अतिरिक्त लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.

पाँचवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन त्रिनिदाद एवं टोबेगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था. यह आयोजन 04 अप्रैल से 08 अप्रैल 1996 की अवधि में हुआ था और आयोजक संस्था थी त्रिनिदाद की हिन्दी निधि. सम्मेलन के प्रमुख संयोजक हिन्दी निधि के अध्यक्ष, श्री चंका सीताराम थे. भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल के नेता अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री माता प्रसाद थे. सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था- प्रवासी भारतीय और हिन्दी. जिन अन्य विषयों पर इसमें ध्यान केन्द्रित किया गया, वे थे - हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, कैरेबियाई द्वीपों में हिन्दी की स्थिति एवं कंप्यूटर युग में हिन्दी की उपादेयता. सम्मेलन में भारत से 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने हिस्सा लिया एवं अन्य देशों के 257 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे.

छठा विश्व हिन्दी सम्मेलन लन्दन में 14 सितम्बर से 18 सितम्बर 1999 तक आयोजित किया गया. यू.के. हिन्दी समिति, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम, न्यूयॉर्क ने मिलजुल कर इसके लिये राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार और संयोजक डॉ. पद्मेश गुप्त थे. सम्मेलन का केंद्रीय विषय था - हिन्दी और भावी पीढ़ी. सम्मेलन में विदेश राज्यमन्त्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया. प्रतिनिधिमण्डल के उपनेता थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. विद्यानिवास मिश्र. इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्त्व इसलिए है क्योंकि यह हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया. यह वर्ष सन्त कबीर की छठी जन्मशती का भी था. सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इनमें भारत से 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल थे.

सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन सुदूर सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में दिनांक 05 जून से 09 जून 2003 हुआ था. इक्कीसवीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन था. सम्मेलन के आयोजक, श्री जानकीप्रसाद सिंह थे और इसका केन्द्रीय विषय था - विश्व हिन्दी: नई शताब्दी की चुनौतियाँ. सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मन्त्री, श्री दिग्विजय सिंह ने किया. सम्मेलन में भारत से 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इसमें 12 से अधिक देशों के हिन्दी विद्वान व अन्य हिन्दी सेवी सम्मिलित हुए. सम्मेलन का उद्घाटन 05 जून को हुआ था.

आठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 13 जुलाई से 15 जुलाई 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुआ. इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था - 'विश्व मंच पर हिन्दी'. इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया. न्यूयॉर्क में सम्मेलन के आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्था अमेरिका की हिन्दी सेवी संस्थाओं के सहयोग से भारतीय विद्या भवन ने की थी. इसके लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण भी किया गया. इसे प्रभासाक्षी.कॉम के समूह सम्पादक बालेन्दु शर्मा दाधीच के नेतृत्व वाली टीम ने विकसित किया.

नौवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 22 सितम्बर से 24 सितम्बर 2012 तक, दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहांसबर्ग में आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इनमें लगभग 300 भारतीय शामिल हुए. सम्मेलन में तीन दिन चले मंथन के बाद कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए और विरोध के बाद एक संशोधन भी किया गया.

दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 सितंबर तक भोपाल में हुआ. दसवें सम्मेलन का मुख्य विषय था - 'हिन्दी जगत : विस्तार एवं सम्भावनाएँ'.

11वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन पुन: मॉरिशस में हुआ. इसका आयोजन 18-20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया. इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरीशस सरकार के सहयोग से हुआ. इस सम्मेलन की योजना का निर्णय सितंबर 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में ही लिया गया था.

12वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 2021 में न्यूयॉर्क में प्रस्तावित था परंतु कोविड 19 महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका.

हिंदी एक सरल सहज तथा भावनापूर्ण भाषा है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है. हिंदी हृदय के उद्गार की भाषा है तथा भारतीय अस्मिता की पहचान है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारतीय उप महाद्वीप पर रहने वाले हर जनमानस की भाषा हिंदी है. वह कहा करते थे कि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा है.

विश्व साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित करने एवं इसके विकास करने हेतु हर देश में प्रयास जारी है. संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर हर प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत की इस अमिट भाषा को पहचान मिल सके.

रविनेश कुमार
क्षे.का. पटना

आषाढ़ का एक दिन

- मोहन राकेश

नाटक व रंगमंच- भारतीय जीवन मूल्यों में घुली मिली, अहिंसा, करुणा व सेवापरायणता का मानक है. मोहन राकेश रचित नाटक 'आषाढ़ का एक दिन' भी कालिदास की अन्तर्वेदना और मल्लिका की एकनिष्ठ प्रणय साधना की प्रस्तुति है. यह नाटक आषाढ़ के प्रथम दिवस से उसी प्रकार शुरु होता है जैसे मेघदूत का आरम्भ होता है - 'आषाढ़स्य प्रथम दिवसे...'. नाटक का शीर्षक 'आषाढ़ का प्रथम दिवस' न रखकर 'आषाढ़ का एक दिन' रखने से इसे एक विशिष्टता एवं मौलिकता प्रदान करता है. नाटक की शुरुआत मेघ गर्जन और वर्षा से है और अंत भी आषाढ़ की बारिश से ही होता है, परन्तु वह आषाढ़ का पहला दिन नहीं है, अत: आषाढ़ का एक दिन यथार्थपरक शीर्षक है.

नाटक के आरम्भ में ही मोहन राकेश ने यह स्पष्ट कहा है कि यह हिन्दी रंगमंच पाश्चात्य रंगमंच से बहुत भिन्न है. हमारे पास उपलब्धियों को देखने के लिए पाश्चात्य रंगमंच ही है क्योंकि हिन्दी रंगमंच किसी भी विशेष विचारधारा का द्योतक नहीं है. उनका कहना है कि रंगमंच ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज की दैनिक आवश्यकताओं एवं वहाँ की सांस्कृतिक महत्ताओं की अभिव्यक्ति हो न कि वह महज़ पाश्चात्य रंगमंच का अंधानुकरण हो. इसी के चलते मोहन राकेश ने अपनी रचना में भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कालिदास को सम्मिलित किया है.

नाटक के कुल तीन अंक हैं. इसके मुख्य पात्र ग्राम की वृद्धा अम्बिका (मल्लिका की माँ), मल्लिका, कवि कालिदास, राजपुरुष दन्तुल, मातुल, ग्राम पुरुष विलोम, कवि पत्नी प्रियंगुमंजरी हैं. इस नाटक में सदैव कालिदास का आभास होता रहता है. मेघदूत प्रकृति और प्रेम का काव्य है. कालिदास भी प्रकृति और प्रेम के ही कवि हैं. इस नाटक में भी कालिदास का ग्राम प्रांतर, पर्वत प्रदेश ही है. पर्वत प्रदेश से मेघों और प्रकृति का जितना गहरा संबंध है उतना ही गहरा संबंध आषाढ़ से भी है. इसलिए नाटककार भी नाटक में कालिदास और मल्लिका के मनोभावों को मेघ गर्जन, बिजली और वर्षा के दृश्य और श्रव्य से व्यक्त करते हैं.

मोहन राकेश ने अपने आपको कालिदास और मल्लिका के प्रसंग तक सीमित रखा है, अनावश्यक रूप से संस्कृति का गुणगान इस नाटक में देखने को नहीं मिलता है. कथानक कि दृष्टि की भी यह अत्यंत सीमित और सार-गर्भित रचना कही जाएगी. कथानक को आगे बढ़ाने में तथा पात्रों के चरित्र निर्माण में संवाद की एक मुख्य भूमिका होती है, नाटक में संवाद सारगर्भित एवं प्रभावशाली हैं. भाषा भी अत्यंत संस्कृतनिष्ठ नहीं है व पढ़ने पर प्रवाह बना रहता है. इस नाटक की भाषा कम बोलकर भी अधिक कहती है. कालिदास जहां सर्जन के मानक हैं. वहीं मल्लिका इसकी विस्तारित आस्था की द्योतक हैं. नाटक में बिंबो का भी बहुलता से प्रयोग किया गया है जैसे घोड़ों की टापें, राजपुरुषों की क्रूरता और मेघ मन में चंचलता आदि.

इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है परंतु कवि कालिदास की जीवनी पर कथानक आधारित होने से वातावरण जीवंत हो उठा है. नाटक का कथानक कालिदास और उनकी बचपन की प्रेमिका मल्लिका के चारों ओर घूमता है. नाटक के प्रथम अंक में कालिदास हिमालय में स्थित ग्रामीण परिवेश में अपनी कला को विकसित कर रहे हैं, वहाँ मल्लिका भी उनके साथ है. नाटक के कथानक में तब परिवर्तन आता है जब उज्जयिनी के कुछ दरबारी कालिदास से मिलते हैं और उन्हें राजा विक्रमादित्य की सभा में चलने का आमंत्रण देते हैं. मल्लिका कालिदास को राजदरबार का प्रश्रय पाने के लिए प्रोत्साहित करती है.

दूसरे अंक से पता चलता है कि कालिदास कवि कालिदास बन चुके हैं. उज्जयिनी की प्रियंगुमंजरी से उनका विवाह संपन्न हो चुका है. मल्लिका से मिलने प्रियंगुमंजरी उसके गांव आती है.

तीसरे और अन्तिम अंक में कवि कालिदास कश्मीर सत्ता को त्याग कर निस्सहाय मल्लिका के पास आता है जहाँ उसे उसकी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है. मल्लिका के जीवन की यथार्थ स्थिति को देखकर वह पूरी तरह निराश हो जाता है और वहाँ से प्रस्थान कर जाता है.

यदि यह कहा जाए कि इस नाटक का नायक कालिदास न होकर मल्लिका थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. मल्लिका का चित्रण एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, विचारशील, आधुनिक और निर्णायक नारी के रुप में हुआ है. मल्लिका के शब्दों में मैं, वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर हैं. मल्लिका ने कालिदास को इतना प्रेम करने के बाद भी कभी अपने को कालिदास और उनकी उपलब्धियों के बीच नहीं आने दिया. हालांकि मन में एक इच्छा बनी रहती है, जैसा कि द्रष्टव्य है -

"....सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा-गाकर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घण्टा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी.... कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है..... यह कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिये हैं. इन पर तुम जो भी लिखोगे, उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है."

नाटक में अनेक ऐसे संदर्भ हैं जो कालिदास के कुमारसंभवम्, मेघदूत, अभिज्ञानशाकुन्तलम् और ऋतुसंहार के दृश्य संदर्भों को उजागर करते हैं. मोहन राकेश ने लिखा है कि "मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है, जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है." मोहन राकेश ने कालिदास की इसी अपराध अनुभूति को 'आषाढ़ का एक दिन' का आधार बनाया. उन्होंने यह भी कहा कि 'ऐतिहासिक नाटककार इतिहास की बत्ती में कल्पना का दिया जलाकर रसानुभूति का प्रकाश फैला देता है.' वर्ष 1959 में 'आषाढ़ का एक दिन' को सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया व वर्ष 1971 में निर्देशक मणिकौल ने इस नाटक पर फिल्म निर्माण किया जिसे आगे जाकर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ.

मोहन राकेश ने न सिर्फ नाटकों की साहित्यिकता बरकरार रखी, बल्कि नाटक और रंगमंच के बीच की खाई को भी सफलतापूर्वक पाटा. 'आषाढ़ का एक दिन' में साहित्यिकता और रंगमंचीयता का अभूतपूर्व संतुलन है. हिन्दी नाटक और रंगमंच के सर्जनात्मक आन्दोलन की भूमिका भी यहीं से बनती है. हिन्दी नाटक के परिप्रेक्ष्य में, भाव वस्तु और रूपबंध स्तर पर 'आषाढ़ का एक दिन' ऐसा पर्याप्त सघन, तीव्र और भावोदीप्त लेखन प्रस्तुत करता है, जैसा हिन्दी नाटक में बहुत कम ही हुआ है.

चयनिका दुबे
के.का. मुंबई

क्या आपका बच्चा हिंदी पढ़ सकता है?

हिंदुस्तान में जहाँ राजभाषा हिंदी है और अधिकांश जनसंख्या हिंदीभाषी है यह प्रश्न बड़ा ही विकट है और इससे भी विकट है इसका उत्तर 'जी हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती'. इस विडम्बना के पीछे बहुत सारे विचारणीय कारण हैं, जिनकी विवेचना तो सदा ही होती है पर परिणाम कुछ नहीं निकलता. हम भी इस विषय पर आज थोड़ी माथापच्ची करते हैं.

सच पूछिए तो भारतवर्ष में आमजन की भाषा तो हिंदी ही है और ये इतने रूपों में यहाँ बोली जाती है कि विश्व की किसी भी भाषा के इतने सारे प्रचलित रूप होंगे इसमें संदेह है. हमारे यहाँ तो कहावत ही है 'कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी'. हिंदी के इतने सारे आंचलिक स्वरूप हैं और सभी बोलने में इतने मधुर और सुनने में इतने कर्णप्रिय हैं कि क्या कहिए. फिर भी कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण हमें इस भाषा को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है. हिन्दी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी कार्यशालाएं ये सब इस बात का ही तो प्रमाण हैं कि कहीं न कहीं यह अपने दम पर खड़ी होने में समर्थ नहीं हो पा रही है और इसको विभिन्न आयामों के सहारों की आवश्यकता पड़ती है.

इतने वर्षो तक हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, हिंदी को उसके सिंहासन से हटा देने की यह बहुत बड़ी वजह थी. अंग्रेजों के कामकाज की भाषा स्वाभाविक ही था कि उनकी अपनी ही भाषा होगी और उसके लिए उन्होंने यहीं पर अंग्रेज़ी पढ़ाने और उसको पुष्पित-पल्लवित करने की दूरदर्शी व्यवस्था की ताकि उनका कामकाज यहाँ के लोगों द्वारा ही हो सके और उन्हें अपने देश से कम से कम भाषा की मजबूरी के कारण लोग नहीं बुलाने पड़ें. हिंदुस्तानियों को भी धीरे-धीरे यही रास आने लगा. पढ़ लिखकर लायक बनने का मतलब अंग्रेज़ी पढ़कर लायक बनना ही हो गया.

लगातार उपेक्षित रहने के कारण हिंदी का प्रयोग घटता ही चला गया. जब शिक्षा, विशेषतः उच्चस्तरीय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही हो रही थी तब निचली कक्षाओं से किसी हिंदी माध्यम योग्य छात्र भी पढ़कर आगे बढ़ता है आगे की शिक्षा उसे अंग्रेज़ी माध्यम से ही लेनी पड़ती थी. विशेषतः विज्ञान जैसे विषय जिनकी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध ही नहीं थीं. ऐसे में उन बच्चों के लिए विषय की कठिनाई से ज़्यादा कठिनाई होती थी भाषा की और उनकी योग्यता धरी की धरी रह जाती थी.

यहाँ तक कि सभी तरह की परीक्षाओं के साक्षात्कार अनिवार्य रूप से अंग्रेज़ी भाषा में ही होते थे, जिस वजह से हिंदी भाषियों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. भाषा पर किसी भी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार तभी हो सकता है जब वह उसकी मातृभाषा हो.

मुझे ज्ञात नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसा और कोई भी देश होगा या ऐसे और कोई भी छात्र होंगे जिनको परीक्षाएं अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा में देनी पड़ती हो. यदि आप अपनी भाषा में लिखने और बोलने के लिये स्वतंत्र नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रदर्शन आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं हो पाएगा.

यहाँ तक कि जब आपको आपकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहीं पर देनी हो जैसे कि प्यार जताना या झगड़ा करना, आप तुरन्त अपनी भाषा पर आ जाते हैं. क्योंकि यही वह भाषा है जिसमें आपको बोलने से पहले शब्दों का चुनाव करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ती और आप फर्राटे से अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं. बिना अर्थ का अनर्थ किये हुए.

हुआ यह कि अंग्रेज़ तो एक समय के बाद चले गए पर उनकी भाषा यहीं रह गई. इतने समय तक साथ रहने के कारण उनका रहन सहन और बहुत सारे तौर तरीके भारतीयों ने अपना लिये. 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना रखने वाले हमारे देश के लिये यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी. उनकी भाषा भी हमारी भाषा में रच बस गई. हिंदी जो आजकल बोली भी जाती है उसमें तो इतने सारे उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और न जाने किन-किन भाषाओं के शब्द इतने घुले मिले हैं कि अच्छे-अच्छे हिंदीभाषी भी नहीं जान पाते कि वो अपनी सामान्य बोल चाल में कितने शब्द ऐसे इस्तेमाल करते रहते हैं जो हिंदी के हैं ही नहीं.

पर यह बात इतना नहीं कचोटती क्योंकि जनसाधारण की भाषा इसी तरह की होती है जिसका सरल होना और सुगम होना आवश्यक हैं. चिंता का विषय तो यह है कि हिंदी को उसके शुद्ध रूप में जानने, समझने, लिखने और पढ़ने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है. अभी तो एक पीढ़ी है जो अच्छी हिंदी जानती और समझती है लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते. ऐसा केवल इसलिए नहीं कि अगली पीढ़ी का इस भाषा पर अधिकार नहीं होगा जिसके लिये प्रचलित शब्द है 'कमांड'. बल्कि इस पीढ़ी का किसी भी भाषा पर 'कमांड' नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी भाषा आप निरन्तर बोल और लिख पढ़ रहे हैं वो आपकी अपनी है ही नहीं और आपके सोचने की भाषा न होने के कारण आप कहें कि आपका उसपर अधिकार है तो आप ग़लत हैं.

यह स्थिति अचानक तो नहीं पैदा हुई, धीरे-धीरे ही आ खड़ी हुई है. जब अभिभावकों ने जान लिया कि हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर हमारा बच्चा वह सब उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पायेगा जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होने वाले बच्चे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही हिंदी के बजाय अंग्रेज़ी पढ़ाने में भलाई समझी. इसमें गलत भी क्या था. आपकी शिक्षा का उद्देश्य तो तभी पूरा हो सकता है जब आप पढ़ लिखकर कोई अच्छा पद प्राप्त कर सकें. अब एक ही बालक (आम तौरपर) दो-दो भाषाओं में तो पारंगत नहीं हो सकता. स्वाभाविक ही वह हिंदी में नाममात्र का समय लगाता और काम भर के नम्बर लेकर आता है. यह परंपरा बन गई है कि आपको अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तो अच्छी तरह सिखानी ही है ताकि उसे आगे जाकर किसी प्रतिस्पर्धा में भाषा की वजह से मुँह की न खानी पड़े. इसीलिए आजकल किसी भी अभिभावक से पूछ कर देखिये आपका बच्चा हिंदी में कैसा है तो वो आराम से जवाब देते हैं 'हिंदी में अच्छा नहीं है'.

चिंता की बात तो ये है कि अभी तो हमारी पीढ़ी को यह अनुमान ही नहीं हो पा रहा है कि आने वाले समय में हम किस चीज़ से वंचित रह जाने वाले हैं. अभी तो वो लोग मौजूद हैं जो हिंदी के अच्छे ज्ञानी, लेखक, कवि इत्यादि हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये भूतपूर्व होते जा रहे हैं और मुझे शक है कि आगे आने वाले समय में फिर से ऐसे मनीषी हमारे बीच रहेंगे?. परिणामस्वरूप एक अत्यन्त मधुर, समृद्ध और उपयोगी भाषा अपने पुनरुत्थान के लिए उनकी प्रतीक्षा करेगी जो इसके महत्व को न केवल समझें, दुनिया को भी समझाएं तथा इसको इसकी पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलाने में जी जान लगा दें. यह तभी सम्भव है जब विद्यालयों में हिंदी को पूरे सम्मान के साथ स्थान मिले और विद्यार्थियों को हिंदी न आने पर संकोच हो न कि गर्व महसूस हो.

आजकल एक अच्छी बात यह हो रही है कि धीरे-धीरे उच्च शिक्षा में और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम रखने की सुविधा दी जाने लगी है, किंतु अभी ये प्रयास उतने कारगर नहीं हैं कि हमारी भाषा की प्रतिष्ठा पूरी तरह वापस आ सके. अभिभावक के तौर पर हम एक प्रतिज्ञा तो ले ही सकते हैं कि भले ही अंग्रेज़ी भाषा में दूसरे विषयों की तरह हमारा बच्चा महारत हासिल करे लेकिन उसको हिंदी बोलना, लिखना और पढ़ना अच्छी तरह आना चाहिए ताकि हम गर्व से कह सकें कि 'हमारा बच्चा हिंदी पढ़ सकता है'.

निधि मालवीय
क्षे.का. मुंबई (ठाणे)

जंगल सफारी रणथंबोर नेशनल पार्क

अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? जवाब है - हम क्या करेंगे जो करेगा फिर तो शेर ही करेगा. लेकिन ऐसा नहीं है जबकि अगर आप राजस्थान के खूबसूरत नेशनल पार्क रणथंबोर में जंगल सफारी के लिए जा रहे हो. खासकर इस उम्मीद में कि वहां आपका सामना अपने प्राकृतिक आवास में विचरते टाइगर से होगा.

फरवरी के मध्य का समयकाल था, हल्की गुलाबी ठंड का मौसम जो सुबह सुबह कंपकपाती है और वैसे भी ऐसे मौसम मे जंगल का तापमान बेहद सर्द भरा होता है. हमारी यह रोमांचक सफारी शुरू होती है रिसॉर्ट से सुबह लगभग 6:00 बजे. सफारी के लिए कैंटर में हम सभी मित्र और परिवार के लोग मिलाकर कुल 20 लोग सवार थे. सफारी के लिए दो प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जाता है एक ओपन जीप इसमें लगभग 4 से 5 लोग होते हैं और कैंटर एक ओपन मिनी बस की तरह होती है. सुबह की सर्दीली हवाओं के बीच, कपकपाती ठंड के साथ रिसॉर्ट से रणथंबोर नेशनल पार्क का रास्ता लगभग 45 मिनट का था. मेरा बचपन सतपुड़ा की हरियाली के बीच खेत खलिहान में जंगलों और पहाड़ों में बीता है इसलिए मुझे प्राकृतिक जगहों से हमेशा से लगाव रहा है. मैं रोमांचित था कि मैं एक जंगल सफारी के सफर पर जा रहा हूं जहां मुझे प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता के साथ स्वच्छंद विचरते हिरण, सांभर, नीलगाय, गौर, बारहसिंघा, हायना, लोमड़ी आदि के अलावा कुछ ऐसे पक्षियों से भी साक्षात्कार होगा जिन्हें हम रोज़ाना जिंदगी में कम ही देख पाते हैं. लेकिन सबसे रोमांचित करने वाली चाह जो मेरे ज़ेहन में एक संशय के साथ घुमड़ रही थी, वह थी कि अगर किस्मत साथ रही तो सच में आज टाइगर से आमना-सामना हो ही जाएगा, और इसी एक पल के इर्द-गिर्द इसी सारी जंगल सफारी का रोमांच जुड़ा हुआ है. मैंने संशय और किस्मत इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने अन्य मित्रों से उनकी अन्य नेशनल पार्क की निराशाजनक जंगल सफारी का वृतांत सुन चुका हूं जिसमें काफी प्रयास और घंटों के बाद भी उन्हें टाइगर देखने को नहीं मिल पाया. जबकि उन्हीं मित्रों के शब्दों से मुझे ऐसा लगा कि केवल यही एक बात निराशाजनक रही अन्यथा उनकी जंगल सफारी भी बहुत रोमांचित रही. असल में होता है यह है कि हम जंगल सफारी की यात्रा को सिर्फ टाइगर दिखने से जोड़कर देखते हैं और उसी के अनुसार हम इसे सफल या असफल यात्रा घोषित करते हैं जबकि इस वजह से हम इससे जुड़े हुए बाकी सारे अच्छे अनुभव रोमांच मनोरमता सुंदरता को भूल जाते हैं और इससे आनंदित नही हो पाते.

बरहाल विचारों की इन्हीं गुत्थम-गुत्था और जंगल की खूबसूरती से गुजरते हुए रास्ते और ठंड का पता ही नहीं चला और हमारा कैंटर रणथंबोर नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर पहुंच गया. जंगल सफारी की प्रवेश प्रक्रिया की औपचारिकता पूरा करने के साथ ही हमारे कैंटर को दो ऑफिशियल सफारी गाइड ने ज्वाइन किया. एंट्री गेट पर हमारे कैंटर के साथ लगभग 10 अन्य कैंटर और सफारी जीप के सफारीगण भी थे और लगभग सभी अपने अपने गाइड के साथ इस चर्चा में व्यस्त थे कि रणथंबोर नेशनल पार्क की इस जंगल के किस जोन में हम जाएं जहां टाइगर दिखने की संभावना ज्यादा हो और यहीं से खेल शुरू होता है किस्मत का.

चर्चा के दौरान हमारे दोनों गाइड और कैंटर में उपस्थित कुछ अनुभवी साथियों ने अपने विचार युक्त गणना से यह तय किया कि हम इस नेशनल पार्क के जोन 3 और 4 में जाएंगे जहां देश मे चर्चित दो फ़ीमेल टाइगर रिद्धि (T-124) और सिद्धि (T-125) का अपनी अपनी टेरिटरी में काफी अच्छा मूवमेंट है. हमारे गाइड ने हमें बताया कि एक टाइगर की टेरिटरी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होती है और वह अपनी टेरिटरी में कम से कम 50 किलोमीटर 1 दिन में मूवमेंट करता है. एक अच्छे अनुभवी गाइड को टाइगर के मूवमेंट की लगभग सटीक जानकारी होती है. इसी गणना के आधार पर कि सुबह के इस समय लगभग 7-00 बजे रणथंभोर नेशनल पार्क के जोन 3 और 4 के किस क्षेत्र में टाइगर के दिखने की संभावना ज्यादा है, वह हमें उस और ले जाने के लिए ड्राइवर को निर्देशित करने लगे.

जैसे जैसे हमारा कैंटर पार्क के अंदर घने जंगल में घुसता गया हम सभी का रोमांच और भी बढ़ता गया. टाइगर के दिखने की संभावना के अनुसार जंगल के अलग-अलग रास्तों पर बहुत अंदर तक हम चलते चले गए जहां हमने झील के किनारे कुछ हिरणों को पानी पीते, विचरते देखा. बारहसिंघा, नीलगाय, अठखेलियां करते बंदरों के समूह देखें और साथ ही ऐसे दुर्लभ पक्षी भी देखे जो अमूमन हम लोग नहीं देख पाते हैं. इस सफर में कई जगह रुके भी, सभी अपने अपने अंदाज में सफारी का आनंद ले रहे थे, कुछ सेल्फी में व्यस्त थे तो कुछ नज़ारों का आनंद ले रहे थे, कुछ जंगल की फोटोग्राफी में व्यस्त थे, कुछ शरारत, कुछ हंसी

मजाक और चुहल बाजिया करते हुए हमें इस जंगल सफारी में लगभग एक घंटा हो चुका था. और इन सभी बातों के बीच सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल और एक ही उत्सुकता थी कि क्या हम जंगल के राजा को देख पाएंगे या नहीं. जहां हम सभी अपने अपने अंदाज में इस सफारी का आनंद ले रहे थे, हमारे दोनों गाइड अपने अनुभव से कभी जंगल में उठती आवाजों को सुनकर, कभी हवाओं की चलने की दिशा के अनुसार, और कभी जंगल के कच्चे रास्तों में बाघों के पद चिन्ह ढूंढते हुए कैंटर को दिशा निर्देशित कर रहे थे.

सफारी के दौरान गाइड ने हमें बताया था कि अगर हमें कोई भी जानवर, पक्षी और खासकर टाइगर दिखता है तो हमें बिलकुल शांत रहना है तभी हम उनका अच्छे से नज़ारा कर पाएंगें अन्यथा वो हमसे दूर भाग जाएँगे या अगर हम उत्साहित होकर शोर मचाते है तो वो घबराकर हम पर हमला भी कर सकते है. साथ ही यह भी बताया कि, नियमानुसार जंगल मे कोई भी सफारी सवार केंटर या जीप से नीचे नही उतार सकता और कोई भी जीप या केंटर को टाइगर या अन्य जानवरों से 100 मीटर की दूरी रखनी होती है.

आगे बढ़ते हुये रास्ते पर एक जगह ऐसी संभावना भी बनी की टाइगर का मूवेमेंट इस क्षेत्र में 10 से 15 मिनट में हो सकता है तो हम वहां रुके और हमने देखा कि धीरे-धीरे कम से कम 15 अन्य जीप और कैंटर इंतजार करने लगे लेकिन लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद हमें निराशा ही हाथ लगा और हम आगे बढ़ चले. सफर के दौरान हमें रास्तों में आते जाते कई जीप और अन्य कैंटर भी मिले, सभी के गाइड आपस में इसी गणना में लगे हुए थे कि टाइगर किस तरफ मूवेमेंट कर रहे होंगे. अभी तक किसी भी कैंटर या जीप सफारी को टाइगर नहीं दिखे थे तो हमें भी थोड़ी हताश होने लगी थी, तभी कैंटर के रास्ते कच्ची धूल भरी पगडंडियों पर हमारे गाइड ने कुछ नोट किया और हमें टाइगर के पद चिन्ह दिखाएं जो ताजे लग रहे थे. अब हम सभी में थोड़ा सा जोश आया, हमारी हताशा कम हुई और उम्मीद जगी कि शायद हमें टाइगर देखने को जरूर मिल ही जाएगा. फिर दोनों गाइड कुछ देर तक आपस मे चर्चा करते रहे और फिर अचानक उनके दिमाग मे कुछ बिजली कौंधी और उन्होंने कहा कि हम जोन 3 में हैं जो कि हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है तो हम जोन 4 की तरफ चलते हैं क्योंकि इस जोन मे अब कोई हलचल दिखाई या सुनाई नही पड़ रही, और उनके उस निर्देश के अनुसार कैंटर ड्राइवर ने सरपट कैंटर जोन 4 की ओर दौड़ा ली. कैंटर तेजी से कच्चे रास्ते पर धूल का गुबार उड़ाते हुये दौड़ा जा रहा था हम सभी हतप्रभ थे कि गाइड अचानक से हमें कहा ले जा रहे है, पूछने पर बताया कि बस दोनों तरफ देखते चलो हमे इसी जोन मे टाइगर दिख सकता है. और हम सभी बड़ी आशा के साथ कच्चे धूल भरे रास्ते के दोनों ओर तेजी से पीछे गुजरते पेड़ों, झाड़ियों, झुरमुटों मे नजारे गड़ाकर टाइगर ढूंढ़ने लगे. तभी अचानक हम में से कोई एक-दो साथी ज़ोर से चिल्लाये ‘टाइगर’ और इसके साथ ही मेरी नज़र भी दाहिने ओर रास्ते से लगभग 20-25 मीटर दूर पेड़ों के बीच टहलते हुये टाइगर पर पड़ी. हमारा केंटर टाइगर को पीछे छोड़ थोड़ा आगे निकल चुका था. टाइगर हमारे केंटर के दायें ओर पीछे था. तब अचानक गाईड ने ड्राइवर से केंटर रोकने को कहा साथ ही हम सभी से भी तुरंत शांत हो जाने को कहा और हम सभी ने ऐसा ही किया. हम सभी बिलकुल शांत थे और ड्राइवर ने धीरे-धीरे केंटर रिवर्स कराते टाइगर के बगल से होते हुये केंटर को टाइगर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया. शरीर में एकदम से सिहरन सी उठी, मन रोमांच से भर उठा, आंखे फटी की फटी रह गई, टाइगर अब हमारे सामने था.

वाह क्या चाल, क्या शान क्या रौब से बेपरवाह बेखौफ चलते हुये टाइगर ने एक बार रुक कर हमारी तरफ देखा, फिर बड़ी ही बेइज्जती से हमारे केंटर को इग्नोर किया और फिर अपनी राह चल पड़ा और तब मैंने महसूस किया कि इसे जंगल का राजा क्यूं कहते हैं. टाइगर जितना हमारे नजदीक आता, ड्राइवर धीरे-धीरे केंटर को पीछे कर लेता एक निश्चित सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखने के लिए. शान से टहलते हुये अब टाइगर उस पगडंडी पर आकर खड़ा हो गया जिस पर हमारी केंटर खड़ी थी, अब टाइगर हमारे केंटर के ठीक सामने था और ये समय था सुबह के लगभग 8:43 बजे अद्भुत नज़ारा था, सभी भाव विभोर थे कुछ चुपचाप टाइगर का नज़ारा कर रहे थे तो कुछ शांति से उसे कैमरे मे कैद कर रहे थे. मैं भी स्तब्ध सा पहले तो देखते रहा फिर मैं भी उसकी तस्वीरें खीचनें लगा. टाइगर अब पगडंडी को पार करके हमारी बाईं तरफ आ चुका था और इन सब के बीच दोनों गाइड भी खुश थे और इस खुस-फुस में लगे थे कि ये रिद्धी (T-124) है या सिद्धी (टी-125) हैं. तब उन्होंने हमें बताया कि ये रिद्धी (T-124) है जो कि सिद्धी (T-125) के टेरिटरी के करीब आ गई है और हो सकता है कि सिद्धी (T-125) भी आस-पास कहीं हो सकती है. और हमारी किस्मत इतनी जोरदार निकली कि जब हमने ये टाइगर साइट किया तब वहां हमारे केंटर के अलावा और कोई अन्य केंटर या जीप नहीं थी. हमने खूब नज़ारा किया लगभग 15 मिनिट फिर धीरे-धीरे अन्य केंटर और जीप जमा होने लगी हमने उन्हें रास्ता दिया और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे जिससे अन्य केंटर एवं जीप के सफारीगण भी ये नज़ारा देख सकें. अब तक लगभग सभी को टाइगर साइट की खबर लग चुकी थी और अब यहां 30-35 केंटर और जीपें आ चुकी थीं और जंगल के बीचों-बीच एक मेला सा लग चुका था, टाइगर धीरे धीरे शान से विचरते हुये घने जंगल मे गुम हो गया. भीड़ इतनी हो चुकी थी कि टाइगर साइट के इतने करीब आने के बाद भी बहुत से लोग टाइगर नहीं देख पाये.

हम सब उस पल किस्मत के सबसे धनी थे हमनें ना सिर्फ टाइगर को साइट किया बल्कि घने जंगल के बीच उसकी चाल-ढाल, रौब-रुतबा, शान-ओ-शौकत, अंदाज़-अंगड़ाई का भपूर नज़ारा किया. अब केंटर तेजी से जंगलों के बीच होता भागा जा रहा था, हवा के ज़ोर से हमारे बाल हवा मे तैर रहे थे, सबके चेहरे पे मुस्कान और जंगल मे धूप खिल चुकी थी. रिसॉर्ट वापस पहुंच कर सबने खुशी-खुशी एक दूसरे से विदा ली, हमने दोनों गाइड और ड्राइवर को धन्यवाद और इनाम दिया और इस तरह अगले पड़ाव की शुरुआत के लिए हमारा ये राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क सफारी का सफर मुकम्मल हुआ.

मनोज सिंह
क्षे.म.प्र.का. भोपाल

दि. 27.09.2022 को आयोजित नराकास फतेहपुर की अर्धवार्षिक बैठक में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु फतेहपुर शाखा, कानपुर क्षेत्र को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वार्षिक राजभाषा शील्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार सहित नराकास फतेहपुर के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे.

दि. 24.08.2022 को आयोजित नराकास (बैंक), पटना की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु क्षे.का.पटना को प्रथम पुरस्कार दिया गया. श्री सुरेन्दर राणा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अजय बंसल, क्षेत्र प्रमुख, पटना तथा श्री संजीव दयाल, अध्यक्ष, नराकास (बैंक), पटना सह क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए डॉ. विजय कुमार पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी.

दि. 23.09.2022 को नराकास (बैंक), प्रयागराज की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन क्षे.का. प्रयागराज के सम्मेलन कक्ष में किया गया. बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र प्रमुख, श्री संतोष कुमार एवं श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन जुड़कर की गई. 2021-22 के लिए नराकास का वार्षिक राजभाषा पुरस्कार क्षे. का. प्रयागराज को प्रदान किया गया.

दि. 24.08.2022 को आयोजित नराकास (बैंक), पटना की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु क्षे.का. पटना को प्रथम पुरस्कार दिया गया. श्री संजीव दयाल, अध्यक्ष, नराकास (बैंक) पटना सह क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अजय बंसल, क्षेत्र प्रमुख, पटना तथा डॉ. सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए डॉ. विजय कुमार पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी.

नराकास(बैंक) बेंगलूरु द्वारा दि. 18.07.2022 को आयोजित समारोह में क्षे.का. बेंगलूरू (दक्षिण) एवं स्टाफ महाविद्यालय बेंगलूरू ने प्रथम पुरस्कार स्वरूप शील्ड व प्रमाण पत्र स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलुरु के राजभाषा प्रभारी श्री कृष्ण कुमार यादव को केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री एम.जी. पंडित द्वारा केनरा बैंक के मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री ई.रमेश (दायें से प्रथम) व केंद्र प्रभारी, श्री राजीव कुमार सिन्हा (बाएँ से प्रथम) की उपस्थिति में प्रदान किया गया.

दि. 25.08.2022 को नराकास पणजी द्वारा आयोजित छमाही बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु क्षे का गोवा का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए उप क्षेत्र प्रमुख, श्री अजय कुमार.

दि. 10.08.2022 को आयोजित नराकास, फ़रीदकोट की अर्धवार्षिक बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु फ़रीदकोट शाखा, भटिंडा को तृतीय पुरस्कार दिया गया.

दि. 24.08.2022 को नराकास, रियासी के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत शाखा कटरा को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक कार्यान्वयन, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली उत्तर-1 द्वारा प्रदान किया गया.

दि. 02.08.2022 को नराकास, खड़गपुर द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु खड़गपुर शाखा, हावड़ा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रो वीरेंद्र कुमार तिवारी, निदेशक, आईआईटी खड़गपुर एवं श्री निर्मल दुबे, प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं पुरस्कार प्राप्त करते श्री पंकज कुमार, शाखा प्रबन्धक, खड़गपुर एवं राजभाषा प्रभारी.

दि. 29.08.2022 को आयोजित नराकास, ठाणे की 13वीं बैठक में वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु क्षे. का. मुंबई (ठाणे) को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ठाणे का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्रीमती रेणु नायर एवं राजभाषा अधिकारी मो. जावेद अर्शद.

दि. 22.08.2022 को नराकास, गुरदासपुर के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत शाखा गुरदासपुर (मुख्य) को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. श्री राशपाल सिंह, नराकास अध्यक्ष से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री रोहित पाल सारंगल (शाखा प्रमुख).

दि. 14.07.2022 को आयोजित नराकास, देवरिया की अर्द्ध-वार्षिक बैठक में मऊ क्षेत्र की देवरिया शाखा को नराकास, देवरिया से वर्ष 2021-22 हेतु उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. नराकास, देवरिया के अध्यक्ष, श्री राजेश देशपांडे से श्री सारंग सिन्हा, देवरिया शाखा, उप शाखा प्रमुख एवं श्री किशोर कुमार, राजभाषा प्रभारी पुरस्कार ग्रहण करते हुए.

दि. 20.07.2022 को नराकास, जम्मू द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु जम्मू मुख्य शाखा को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. नराकास जम्मू की छमाही बैठक में उप निदेशक श्री कुमार पाल शर्मा, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए उप शाखा प्रमुख, श्री सुनील कुमार.

दि. 18.07.2022 को श्री तपन कीर्तिकुमार बिलखिया, विशेष सहायक, सुनाव शाखा द्वारा नराकास, वडोदरा, संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा केवड़िया में आयोजित डिजिटल मुद्रा पर राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुति देने पर डॉ. सुस्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किया गया.

दि. 02.08.2022 से 05.08.2022 तक कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम में भाषाई क्षेत्र 'क' में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों के लिये गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उपस्थित श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक; सुश्री अंशुली आर्य, आई.ए.एस, सचिव (राजभाषा विभाग); श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मां.सं), केंद्रीय कार्यालय; डॉ. सुलभा कोरे, सहायक महाप्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय; श्री सतीश पाठक, मुख्य प्रबंधक, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम एवं सभी राजभाषा अधिकारी. श्रीमती बीना वाहिद, क्षे.म.प्र.का. दिल्ली भी इस अवसर पर उपस्थित रही.

दि. 11.07.2022 से 14.07.2022 तक कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, पवई में भाषाई क्षेत्र 'ख' में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों के लिये गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, (मा.स.) केन्द्रीय कार्यालय; श्री राजीव मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक एवं डॉ.सुलभा कोरे, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) के साथ उपस्थित सभी राजभाषा अधिकारी.

स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूरु द्वारा दि. 16.08.2022 से 06.09.2022 तक आयोजित नव नियुक्त राजभाषा अधिकारियों के प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन दिनांक 06.09.2022 को प्राचार्य, श्री हृषीकेश मिश्रा तथा बैंक की मुख्य राजभाषा अधिकारी डॉ. सुलभा कोरे की उपस्थिति में संपन्न हुआ. सभी 45 प्रतिभागियों के साथ उपस्थित उत्कृष्ठता केंद्र, बेंगलूरु के प्रभारी श्री दीपक नागर; श्री अवनीश कुमार सिमल्टी; श्रीमती गायत्री रविकिरण व समन्वयक, श्री कृष्ण कुमार यादव.

दि. 23.09.2022 को क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालय राँची में वेतनमान IV एवं इससे अधिक के कार्यपालकों हेतु आयोजित राजभाषा संगोष्ठी का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते हुए श्री पी के सोनी, महाप्रबंधक (सीएमसीसी), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई; श्री ज्ञान रंजन सारंगी, महाप्रबंधक, राँची; श्री विकास कुमार सिन्हा, उप अंचल प्रमुख; सुश्री सोनालिका, क्षेत्र प्रमुख, राँची, श्री मुकेश कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख राँची.

दि. 23.08.2022 को श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, पूर्व क्षेत्र, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा क्षेत्र प्रमुख, श्री सोवन सेनगुप्ता की उपस्थिति में क्षे.का.भुवनेश्वर का राजभाषा निरीक्षण किया गया. इस अवसर पर सदस्य सचिव (नराकास) एवं सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ ऑफ इंडिया, श्री आलोक चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे.

दि. 09.09.2022 को आयोजित शाखा समीक्षा बैठक में क्षे.का. गोवा की अर्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका 'यूनियन कोंकण धारा' का विमोचन करते हुए क्षेत्र महाप्रबंधक पुणे, श्री राजीव लोचन पट्टनायक, क्षेत्र प्रमुख, श्री अशोक उपाध्याय एवं उप क्षेत्र प्रमुख, श्री अजय कुमार.

दि. 27.07.2022 को नराकास (बैंक व बीमा) कोच्चि संयोजक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का.एर्णाकुलम द्वारा आयोजित राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए श्री पी विजय कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन) (सेवानिवृत्त), श्री मंजुनाथस्वामी सी जे अध्यक्ष, नराकास (बैंक व बीमा), कोच्चि तथा सुश्री बिनु टी एस, सदस्य-सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व बीमा), कोच्चि.

श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति में क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालय, विजयवाडा की गृह पत्रिका 'यूनियन विजय' का विमोचन किया गया.

दि. 25.08.2022 को श्री जॉन ए एब्राहम, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय मंगलूर द्वारा क्षे.का., कोषिक्कोड का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी में उपस्थित श्री विशु कुमारा यू, उप क्षेत्र प्रमुख.

दि. 02 अगस्त 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई वाशी की गृह पत्रिका 'यूनियन वसुधा' के मार्च अंक का विमोचन करते हुए श्री मनोज कुमार, क्षेत्र महाप्रबन्धक, मुंबई साथ उपस्थित क्षेत्र प्रमुख, श्री अशोक कुमार दास एवं उप क्षेत्र प्रमुख, श्री अनुज आनंद.

दि. 05.08.2022 को क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, पुणे के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र महाप्रबंधक, श्री राजीब एल. पट्टनायक. साथ में उपस्थित श्री सुब्रमणियन एस., उप अंचल प्रमुख; सुश्री शिल्पा शर्मा सरकार, सहायक महाप्रबंधक; श्री राजेश कुमार झा, सहायक महाप्रबंधक एवं ऑनलाइन उपस्थित श्री रामजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), कें.का.मुंबई.

दि. 25 एवं 26 जुलाई 2022 क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालय, विजयवाडा में दो दिवसीय अर्धवार्षिक अंचलीय राजभाषा समीक्षा बैठक अंचल प्रमुख, श्री वी ब्रम्हानंद रेड्डी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में उपस्थित श्री वेगे रमेश, उप अंचल प्रमुख; श्री एन श्रीनिवास राव, क्षेत्र प्रमुख, विजयवाड़ा एवं केंद्रीय कार्यालय से ऑनलाइन जुड़े डॉ. सुलभा कोरे, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा); श्री रामजीत सिंह, मुख्य प्रबन्धक, (राजभाषा).

दि. 29.09.2022 को नराकास (कार्यालय), ज्ञानपुर, प्रयागराज संयोजक-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का ऑनलाइन आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता अग्रणी जिला प्रबन्धक, श्री प्रवीण कुमार झा द्वारा की गई एवं श्री निर्मल कुमार दूबे, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा रिपोर्टों की समीक्षा की गई.

दि. 08.09.2022 को बैंक नराकास, पुणे के तत्वावधान में क्षेत्र महाप्रबंधक, पुणे द्वारा 'एकांकि नाटक प्रस्तुति' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. श्री सुब्रमणियन एस., उप अंचल प्रमुख; श्री राज रतन सेठी, सदस्य सचिव, बैंक नराकास, पुणे; श्री शिवकुमारन एस., मुख्य प्रबंधक, कैंप्स शाखा, पुणे की उपस्थिति में कुल 16 सदस्य बैंकों के प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई.

दि. 17.08.2022 को बरनाला शाखा, क्षे.का. बठिंडा का श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया.

दि. 25.08.2022 को नराकास, मऊ की 14वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक का आयोजन श्री मिथिलेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में क्षे.का.मऊ के सभागार में किया गया. बैठक में श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय उत्तर 2, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी वेब के माध्यम से उपस्थित रहे.

दि. 07.09.2022 को श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता द्वारा कैनिंग स्ट्रीट शाखा, क्षे.का. कोलकाता (मेट्रो) का निरीक्षण किया.

दि. 25.08.2022 को क्षे.का. अमृतसर के अंतर्गत कटरा शाखा का राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक, श्री कुमार पाल शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया. श्री कुमार पाल शर्मा का शाखा कटरा में स्वागत करते हुए श्री गोरंक चौधरी (शाखा प्रमुख) और राजभाषा अधिकारी, सुभाष चन्द्र.

नराकास, मऊ के तत्वावधान में दि.02.09.2022 को संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन क्षे.का. मऊ के सभागार में किया गया. इस कार्यशाला में सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया. कार्यशाला का उद्घाटन, श्री मिथिलेश कुमार, नराकास अध्यक्ष द्वारा किया गया.

दि. 02.08.2022 को आणंद क्षेत्र में कार्यरत उप शाखा प्रमुखों हेतु क्षे.का. के सम्मेलन कक्ष में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन श्री नीरज सिंह, क्षेत्र प्रमुख और श्री संजीव कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दि. 05 एवं 6 सितंबर 2022 को स्टा.प्र.के., मंगलूर द्वारा आयोजित दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित हिन्दी कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री राजेश के, वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा.

स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूरु में दि. 08-09 सितम्बर, 2022 को 'दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित हिन्दी कार्यशाला' का आयोजन क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, बेंगलूरु के समन्वयन में बेंगलूरु व चेन्नई अंचल के प्रतिभागियों हेतु किया गया. प्राचार्य, श्री हृषीकेश मिश्रा की उपस्थिति में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता, क्षेत्र महाप्रबंधक बेंगलूरु, श्री आलोक कुमार द्वारा की गयी.

दि. 03.09.2022 को स्टा.प्र.कें., पवई में एक दिवसीय संयुक्त हिन्दी कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री अनुज सिन्हा, उप अंचल प्रमुख, क्षेमप्रका, मुंबई. इस कार्यशाला में अंचल से 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

दि. 29.09.2022 को सरकारी आर्टस एंड साइंस कालेज में क्षे.का. कोषिक्कोड द्वारा प्रायोजित अखिल केरल हिन्दी समूह गान प्रतियोगिता में पूरे केरल से कुल 150 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया. संबोधित करते हुए श्री श्री टी ए नारायणन, क्षेत्र प्रमुख, साथ है वाइस प्रिंसीपल, डॉ. मिनी, डॉ. प्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर एवं एवं डॉ. रेखा, एसोसिएट प्रोफेसर.

दि. 19.07.2022 को नराकास गाजीपुर की 16वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक में श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा की. साथ में श्री धर्मेंद्र राजोरिया, नराकास अध्यक्ष.

सहजन एक बहु उपयोगी पेड़

सहजन एक बहु उपयोगी पेड़ है. इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलेइफेरा है. यह सहजना, सेंजन, सूजना और मनुगा भी कहलाता है. इस पेड़ के विभिन्न भागों को सेवन किया जाता है जैसे कि पत्ते, फूल, फल, फलिया, बीज आदि. अनेकानेक पोषक तत्वों से भरपूर यह पेड़ औषधि बनाने में भी उपयोग में लाई जाती है. इसमें 300 से अधिक रोगों के रोकथाम का गुण है. इसमें 17 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिंस, 35 तरह के दर्द निवारक गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और 17 तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं. इसकी पत्ती, फूल और फलियों की सब्जी बनती है. इसके अलावा कच्ची पत्तियों का रस एवं थोड़ी बड़ी पत्तियों का पाउडर बनाकर भी सेवन किया जाता है. आयुर्वेदिक उपचार में भी इसके फूल, फल, बीज, रस, झाल एवं पत्तों का उपयोग किया जाता है.

सहजन के पेड़ की फलियों को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक और मोरिंगा भी कहा जाता है. मोरिंगा में आयरन की भरपूर मात्रा होती है जिसकी वजह से एनीमिया से पीड़ित लोगों को इसके पत्तों के जूस का सेवन करवाया जाता है. मोरिंगा में खूब सारा प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइबर, विटामिन बी, सी एवं ई पाया जाता है. एक रिसर्च के अनुसार मोरिंगा में संतरा की तुलना में 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और गाजर की तुलना में 10 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है. हम सभी जानते हैं कि यह सभी तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद अनिवार्य माने जाते हैं. इसमें फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है. मोरिंगा के पत्ते पेट के लिए भी अत्यंत लाभदायक है, यह पाचन शक्ति बढ़ाता है. इसके अलावा कब्ज, सूजन, गैस, गैस्ट्राइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस से भी राहत देती है. मोरिंगा हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं. इस पेड़ के पत्ते बुरे कोलेस्ट्रोल का स्तर कम करने में काम आता है जिससे हमारा ह्रदय स्वस्थ और ह्रदय प्रणाली सुनिश्चित रहती है.

कोरोना काल में सहजन एवं इसके पत्तों के सेवन को भारतीय सरकार ने खूब बढ़ावा दिया. इसके सेवन से आप एनर्जेटिक रहते हैं और इम्यूनिटी एवं हार्ट हेल्थ को मजबूत कर सकते हैं. मोरिंगा में एंटी फंगल, एंटी वायरल, गुण भी हैं. इन सभी गुणों के कारण मोरिंगा को सुपर ग्रीन भी कहा जाता है. मोरिंगा के सेवन से उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है. मोरिंगा शरीर से अतिरिक्त कैलोरी और वसा को कम करने में सहायता करता है, जिससे मोटापे जैसी गंभीर समस्या को भी दूर किया जा सकता है. मोरिंगा पेड़ की छाल और पत्तियों को उबालकर कुल्ला करने से दांतों के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और अत्यंत कष्ट दाई पीड़ा से राहत मिलती है.

सहजन की पत्तियों को पीसकर माथे में लेप लगाने से सर दर्द कम होता है. इसका लेप आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है और आंखों के नीचे काले घेरे भी कम करता है.

सुबह खाली पेट सहजन की फली का रस पीने से पथरी रोग की समस्या से आराम मिलता है. साइटिका जैसे अत्यंत कष्टकारी रोग से मोरिंगा के छाल का काढ़ा राहत दिलाता है. सेहत के साथ-साथ त्वचा के सौंदर्य को निखारता है. मोरिंगा के छाल को पानी में घिसकर प्रभावित हिस्से पर लगाने से दाद और फुंसी जैसे कष्टों से भी राहत मिलती है. इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में भी किया जाता है. इसका पाउडर चेहरे पर जादू की तरह काम करता है. सहजन मुंहासे को दूर करता है, त्वचा मुलायम और चेहरे से रिंकल्स को दूर करता है. इसका सेवन लाभदायक और आसान है. सहजन या मोरिंगा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और इसके गुणों का लाभ उठाएं.

रुचिरा दानी
क्षे.म.प्र.का. अहमदाबाद

आपकी नजर में

आपके कार्यालय की तिमाही गृह पत्रिका-यूनियन सृजन का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ. पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए आपको हार्दिक बधाई. इस विशेषांक में हरियाणा राज्य की संस्कृति, कला, इतिहास, भाषाई यात्रा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, दर्शनीय स्थल आदि को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करने का आपका प्रयास उल्लेखनीय है. सृजनात्मकता की दृष्टि से आपकी यह पत्रिका उत्कृष्ट है. पत्रिका के संपादक मंडल को साधुवाद. शुभकामनाओं सहित,

माधुरी केलकर, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बांद्रा - कुर्ला संकुल, मुंबई

आपके कार्यालय की गृह पत्रिका "सृजन" का अप्रैल-जून 2022 अंक हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ, धन्यवाद. पत्रिका के कुशल एवं सफल सम्पादन हेतु हमारी ओर से शुभकामनाएं एवं आभार स्वीकार करें. पत्रिका में विविध विषयों पर आलेख, कविता, कहानी आदि को शामिल किया गया है. पत्रिका में हरियाणा राज्य की संपूर्ण पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है, जो कि बहुत रोचक एवं ज्ञानवर्धक है. साथ ही आपके कार्यालय की गतिविधियों जैसे विविध आयामों को सारगर्भित रूप से समाहित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है. इससे स्टाफ सदस्यों में हिंदी में सृजनशीलता को बढ़ावा मिलेगा और कार्यालय में हिंदी कार्यान्वयन उतरोत्तर बेहतर होगा. पत्रिका की संकल्पना, साज सज्जा और संपूर्ण कलेवर सृजनात्मक रूप से उत्कृष्ट है. पत्रिका के संपादक मंडल को साधुवाद. हमें आशा है कि भविष्य में भी कलात्मकता एवं नवोंमेषिता से परिपूर्ण आपका यह प्रयास जारी रहेगा.

भूषण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक एवं नराकास अध्यक्ष,
सिरसा, मंडल कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक

यूनियन बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' (अप्रैल-जून, 2022), 'हरियाणा विशेषांक' आँखों के सामने आई तो मन सहसा खुशी से भर उठा क्योंकि हमेशा से मन में हरियाणा राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, व खेल आदि क्षेत्रों के बारे में जानने की उत्सुकता रही है. आज इस अविस्मरणीय अंक के बारे में कुछ लिखते हुए बहुत सुखद अनुभूति हो रही है क्योंकि हरियाणा राज्य के जिन रूपों को पत्रिका में सम्मिलित किया गया है, वो सब अपनी-अपनी विधाओं में परिपूर्ण हैं. किसी भी पत्रिका का मुख्य आकर्षण होता है उसका संपादकीय लेख, जिसके माध्यम से हम पत्रिका के भीतर छिपे एक रहस्यमय संसार का प्रारंभिक परिचय पाते हैं. जिस पत्रिका से संपादकीय टीम इतने गहन भाव से जुड़ी हो, नि:संदेह उसका हर पक्ष सुदृढ़ और संतुलित होता है. पत्रिका का भाव पक्ष और कला पक्ष अपने आप में संपूर्णता लिए है. मैं यूनियन सृजन की पूरी टीम को उनकी इस अनमोल कृति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका पाठकों का ध्यान आकर्षित करने में अवश्य ही सफल होगी.

राम अभिषेक तिवारी
राजभाषा अधिकारी, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, कोलकाता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका का ईवर्जन (वर्ष 7 अंक 2 अप्रैल - जून 2022) 'हरियाणा विशेषांक' पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ. पत्रिका में हरियाणा राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृति और कला, साहित्य और भाषा, खानपान और वेशभूषा को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है. गीता के ज्ञान से पवित्र इस धरती के ऐतिहासिक और आधुनिक परिदृश्य का संगम पत्रिका में प्रस्तुत किया गया है. इस पत्रिका में हरियाणा राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों का सजीव वर्णन किया गया है. मुझे इस पत्रिका के माध्यम से हरियाणा राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य व अनुपम दृश्यों को देखने का सौभाग्य मिला. पत्रिका में हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और साथ में खेल खिलाड़ियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई. पत्रिका में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों का समावेश भी किया गया है जिसमें राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उत्थान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न गतिविधियां सराहनीय है. पत्रिका के संपादक मंडल को विशेष हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई.

महेंद्र सिंह
(प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय बुडायन जींद), राजभाषा समिति, जींद

यूनियन बैंक की गृह-पत्रिका 'यूनियन सृजन' का 'हरियाणा विशेषांक' पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ. इसके मुख्य पृष्ट को देखकर ही मैं इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो गया. क्योंकि 'हरियाणा' से मेरा विशेष लगाव रहा है. इसके पीछे यह कारण है कि मेरी नौकरी की शुरूआत हरियाणा के गुरूग्राम से हुई है. पत्रिका में हरियाणा का जो विस्तृत वर्णन किया गया है वह बहुत ही आत्मीय और सटीक प्रतीत होता है, इस पत्रिका को पढ़कर मुझे मेरे अतीत की याद आ गई. वैसे तो इस पत्रिका का एक-एक लेख बहुत ही खुबसूरत और रोचक हैं, जो लेख मुझे सबसे ज्यादा पसंद आये वह है-साहित्य सृजन, हरियाणा का खान-पान एवं पहनावा, विश्व आकाश में हिंदी की उड़ान, हरियाणा के दर्शनीय स्थल, गुरूग्राम, हरियाणा की ऐतिहासिक/महत्वपूर्ण हस्तियाँ आदि, साथ ही साथ राजभाषा की गतिविधियों को पत्रिका में बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. इस अंक के लिए यूनियन बैंक की संपादकीय टीम को सफल संपादकीय कार्य के लिए हार्दिक बधाईयाँ! भविष्य में भी ऐसे अंक की आशा रहेगी.

निखलेश सोनी
राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक, क्षे. का. भोपाल

RNI No. MAH HIN/2016/68433

नि:शुल्क वितरण हेतु

कुट्टमपुषा, केरल
छायाचित्र : जॉन ए अब्राहम
क्षेमप्रका मेंगलूरु